चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 26 सितंबर- 02 अक्टूबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

प्रधानमंत्री जी, ये कश्मीर का सच है

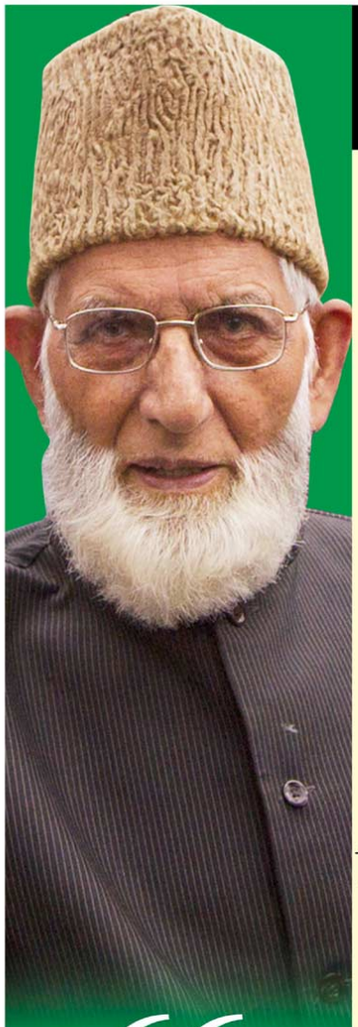

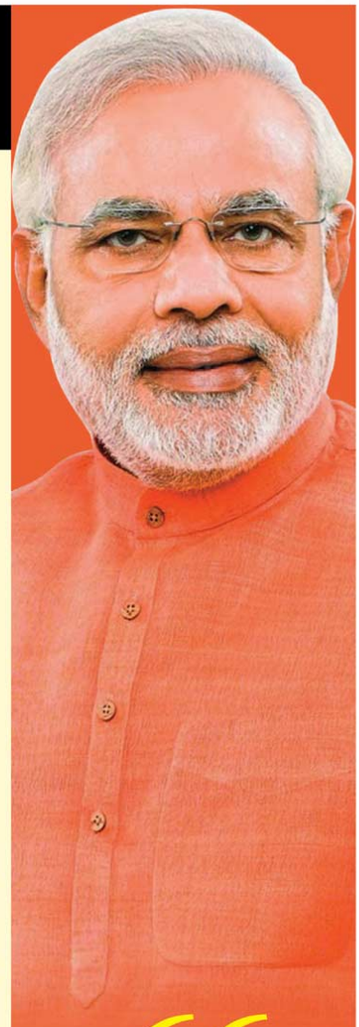

संतोष भारतीय

प्रिय प्रधानमंत्री जी,

मैं अभी-अभी चार दिन की यात्रा के बाद जम्मू-कश्मीर से लौटा हूं. चारों दिन मैं कश्मीर वादी में रहा और मुझे ये लगा कि मैं आपको वहां के हालात से अवगत कराऊं. हालांकि आपके यहां से पत्र का उत्तर आने की प्रथा समाप्त हो गई है, ऐसा आपके साथियों का कहना है, लेकिन फिर भी इस आशा से मैं ये पत्र भेज रहा हूं कि आप मुझे उत्तर दें या न दें, लेकिन पत्र को पढ़ेंगे अवश्य. इसे पढ़ने के बाद अगर आपको इसमें जरा भी तथ्य लगे, तो आप इसमें उठाए गए बिंदुओं के ऊपर ध्यान देंगे. ये मेरा पूरा विश्वास है कि आपके पास जम्मू-कश्मीर को लेकर खासकर कश्मीर घाटी को लेकर जो खबरें पहुंचती हैं, वो सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रायोजित खबरें होती हैं उन खबरों में सच्चाई कम होती है. यदि आपके पास कोई ऐसा तंत्र हो, जो घाटी के लोगों से बातचीत कर आपको सच्चाई से अवगत कराए तो मेरा निश्चित मानना है कि आप उन तथ्यों को अनदेखा नहीं कर पाएंगे.

मैं घाटी में जाकर विचलित हो गया हूं. जमीन हमारे पास है क्योंकि हमारी सेना वहां पर है, लेकिन कश्मीर के लोग हमारे साथ नहीं हैं. मैं पूरी जिम्मेदारी से ये तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं कि 80 वर्ष की उम्र के व्यक्ति से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे के मन में भारतीय व्यवस्था को लेकर बहुत आक्रोश है. इतना आक्रोश है कि वो भारतीय व्यवस्था से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते हैं. इतना ज्यादा आक्रोश है कि वो हाथ में पत्थर लेकर इतने बड़े तंत्र का मुकाबला कर रहे हैं. अब वो कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हैं जिसमें सबसे बड़ा खतरा नरसंहार का है. ये तथ्य मैं आपको इसी उद्देश्य को सामने रखकर लिख रहा हूं कि कश्मीर में होने वाले शताब्दी के सबसे बड़े नरसंहार को बचाने में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. हमारे सुरक्षा बलों में, हमारी सेना में ये भाव पनप रहा है कि जो भी कश्मीर में व्यवस्था के प्रति आवाज उठाता है, उसे अगर समाप्त कर दिया जाए, तो ये अलगाववादी आंदोलन समाप्त हो सकता है. व्यवस्था जिसे अलगाववादी आंदोलन कहती है, दरअसल वो अलगाववादी आंदोलन नहीं है, वो कश्मीर की जनता का आंदोलन है. अगर 80 वर्ष के वृद्ध से लेकर 6 वर्ष का बच्चा तक आजादी, आजादी, आजादी कहे, तो मानना चाहिए कि पिछले 60 वर्षों में हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है और वो चूकें जान-बूझकर हुई हैं. इन चूकों को सुधारने का काम आज इतिहास ने, समय ने आपको सौंपा है. आशा है आप कश्मीर की स्थिति को तत्काल नए सिरे से जानकर अपनी सरकार के कदमों का निर्धारण करेंगे. प्रधानमंत्री जी, कश्मीर में पुलिसवालों से लेकर, वहां के व्यापारी, छात्र, सिविल सोसायटी के लोग, लेखक, पत्रकार, राजनीतिक दलों के लोग और सरकारी अधिकारी, वो चाहे कश्मीर के रहने वाले हों या कश्मीर के बाहर के लोग जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, सबका ये मानना है कि व्यवस्था से बहुत बड़ी भूल हुई है. इसलिए कश्मीर का हर आदमी भारतीय व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो गया है. जिसके हाथ में पत्थर नहीं है उसके मन में पत्थर है. ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया है, ठीक वैसा ही जैसे भारत का सन 42 का आंदोलन था या फिर जयप्रकाश आंदोलन था, जिसमें नेता की भूमिका कम थी, लोगों की भूमिका ज्यादा थी.

कश्मीर में इस बार बकरीद नहीं मनाई गई, किसी ने नए कपड़े नहीं पहने, किसी ने कुर्बानी नहीं दी. किसी के घर में खुशियां नहीं मनीं. क्या ये भारत के उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा नहीं है, जो लोकतंत्र की कसमें खाते हैं. आखिर ऐसा क्या हो गया कि कश्मीर के लोगों ने त्योहार मनाना बंद कर दिया, ईद-बकरीद मनानी बंद कर दी और इस आंदोलन ने वहां के राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ एक बगावत का रूप धारण कर लिया. जिस कश्मीर में 2014 में हुए चुनाव में लोगों ने वोट डाले, आज उस कश्मीर में कोई भी व्यक्ति भारतीय व्यवस्था के प्रति सहानुभूति का एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है. मैं आपको स्थितियां इसलिए बता रहा हूं कि पूरे देश का प्रधानमंत्री होने के नाते आप इसका कोई रास्ता निकाल सकें.

कश्मीर के घरों में लोग शाम को एक बल्ब जलाकर रहते हैं. ज्यादातर घरों में ये माना जाता है कि हमारे यहां इतना दुख है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, दस हजार से ज्यादा पैलेट गन से लोग घायल हुए हैं, 500 से ज्यादा लोगों की आंखें चली गई हैं, ऐसे समय हम चार बल्ब घर में जलाकर खुशी का इजहार कैसे कर सकते हैं? हम एक बल्ब जलाकर रहेंगे. प्रधानमंत्री जी, मैंने देखा है कि लोग घरों में एक बल्ब जलाकर रह रहे हैं. मैंने ये भी कश्मीर में देखा कि किस तरह सुबह आठ बजे सड़कों पर पत्थर लगा दिए जाते हैं और शाम के 6 बजे अपने आप वही लड़के जिन्होंने पत्थर लगाए हैं, सड़क से पत्थर हटा देते हैं. दिन में वे पत्थर चलाते हैं, शाम को वे अपने घरों में इस दु:शंका में सोते हैं कि उन्हें कब सुरक्षा बल के लोग आकर उठा ले जाएं, फिर वो कभी अपने घर को वापस लौटें या न लौटें. ऐसी स्थिति तो अंग्रजों के शासन काल में भी नहीं थी. ये मानसिकता, जितनी हम इतिहास में पढ़ते हैं, सामान्य जन में इतना डर नहीं था, लेकिन आज कश्मीर का हर आदमी, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सरकारी नौकर हो, छात्र हो, बेकार हो, व्यापारी हो, सब्जी वाला हो, ठेले वाला हो या टैक्सी वाला हो, हर आदमी डरा हुआ है और शायद मुझे विश्वास नहीं होता है कि क्या हम उन्हें और डराने या और ज्यादा परेशान करने की रणनीति पर तो नहीं चल रहे हैं.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

“कश्मीर में इस बार बकरीद नहीं मनाई गई, किसी ने नए कपड़े नहीं पहने, किसी ने कुर्बानी नहीं दी. किसी के घर में खुशियां नहीं मनीं. क्या ये भारत के उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा नहीं है, जो लोकतंत्र की कसमें खाते हैं. आखिर ऐसा क्या हो गया कि कश्मीर के लोगों ने त्योहार मनाना बंद कर दिया, ईद-बकरीद मनानी बंद कर दी और इस आंदोलन ने वहां के राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ एक बगावत का रूप धारण कर लिया. जिस कश्मीर में 2014 में हुए चुनाव में लोगों ने वोट डाले, आज उस कश्मीर में कोई भी व्यक्ति भारतीय व्यवस्था के प्रति सहानुभूति का एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है.”

“मैं घाटी में जाकर विचलित हो गया हूं. जमीन हमारे पास है क्योंकि हमारी सेना वहां पर है, लेकिन कश्मीर के लोग हमारे साथ नहीं हैं. मैं पूरी जिम्मेदारी से ये तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं कि 80 वर्ष की उम्र के व्यक्ति से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे के मन में भारतीय व्यवस्था को लेकर बहुत आक्रोश है. इतना आक्रोश है कि वो भारतीय व्यवस्था से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते हैं. इतना ज्यादा आक्रोश है कि वो हाथ में पत्थर लेकर इतने बड़े तंत्र का मुकाबला कर रहे हैं. अब वो कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हैं जिसमें सबसे बड़ा खतरा नरसंहार का है.”

प्रधानमंत्री जी,

ये कश्मीर का सच है

पृष्ठ 1 का शेष

कश्मीर के लोगों में पिछले साठ वर्षों में व्यवस्था की चूक, लापरवाही या आपराधिक अनदेखी की वजह से लोगों को याद आ गया है कि जब कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने का समझौता हुआ था, जिसे वो एकॉर्ड कहते हैं, महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच, जिसके गवाह महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉ. कर्ण सिंह अभी जिंदा हैं, उसमें साफ लिखा था कि धारा 370 तब तक रहेगी जब तक कश्मीर के लोग अपने भविष्य को लेकर अंतिम फैसला मत संग्रह के द्वारा नहीं कर देते. कश्मीर के लोग इस जनमत संग्रह को चार-पांच साल में भूल गए थे. शेख अब्दुल्ला वहां सफलतापूर्वक शासन कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जब शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला तब से कश्मीर में भारत के प्रति अविश्वास पैदा हुआ. 1974 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, उसके बाद शेख अब्दुल्ला को दोबारा कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया. शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान भी गए और उन्होंने अपना शासन चलाया, लेकिन उन्होंने सरकार से जिन-जिन चीजों की मांग की, सरकार ने वो नहीं किया और फिर कश्मीर के लोगों के मन में दूसरे घाव लगे.

1982 में पहली बार शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े और वहां उन्हें बहुमत हासिल हुआ. शायद दिल्ली में बैठी कांग्रेस कश्मीर को अपना उपनिवेश समझ बैठी थी और उसने फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिरा दी. फारूक अब्दुल्ला की जीत हार में बदल गई और यहां से कश्मीरियों के मन में भारतीय व्यवस्था को लेकर नफरत का भाव पैदा हुआ. आपके प्रधानमंत्री बनने से पहले तक दिल्ली में बैठी तमाम सरकारों ने कश्मीर में लोगों को ये विश्वास ही नहीं दिलाया कि वो भी भारतीय व्यवस्था के वैसे ही अंग हैं, जैसे हमारे देश के दूसरे राज्य. कश्मीर में एक पूरी पीढ़ी, जो सन 1952 में पैदा हुई, उसने आज तक लोकतंत्र का नाम ही नहीं सुना, उसने आज तक लोकतंत्र का स्वाद ही नहीं चखा. उसने वहां सेना देखी, पैरामिलिट्री फोर्सेज देखीं, गोलियां देखीं, बारूद देखीं और मौतें देखीं. उसको ये नहीं अंदाज है कि हम दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में किस तरह जीते हैं और किस तरह हम लोकतंत्र की दुहाई देते हुए लोकतंत्र नाम के व्यवस्था का स्वाद चखते हैं. क्या कश्मीर के लोगों का ये हक नहीं है कि वो भी लोकतंत्र का स्वाद चखें, लोकतंत्र की अच्छाइयों के समंदर में तैरें या उनके हिस्से में बंदूकें, टैंक, पैलेट गन्स और फिर संभावित नरसंहार ही आएगा.

प्रधानमंत्री जी, ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको लोगों ने ये बतला दिया है कि कश्मीर का हर व्यक्ति पाकिस्तानी है. हमें कश्मीर में एक भी आदमी पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ नहीं मिला. लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि आपने जो हमसे वादा किया था, वह पूरा नहीं किया. आपने हमें रोटी जरूर दी, लेकिन थप्पड़ मारते हुए दी, आपने हमें हिकारत से देखा, आपने हमें बेइज्जत किया, आपने हमारे लिए लोकतंत्र की रोशनी न आने देने की साजिश की और इसलिए पहली बार ये आंदोलन आजादी के बाद कश्मीर के गांव तक फैल गया. हर पेड़ पर, हर मोबाइल टावर के ऊपर हर जगह प्रधानमंत्री जी पाकिस्तानी झंडा है और जब हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान से चिढ़ते हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी झंडा लगाते हैं और ये कहने में कश्मीर के बहुत से लोगों के मन में कोई पश्चाताप नहीं था. कश्मीर के लोग भारत की व्यवस्था को, सत्ता को चिढ़ाने के लिए जब भारत की क्रिकेट में हार होती है, तो जश्न मनाते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की टीम की जीत पर जश्न नहीं मनाते, खुश नहीं होते, अगर हम न्यूजीलैंड से हार जाएं, अगर हम बांग्लादेश से हार जाएं, अगर हम श्रीलंका से हार जाएं, तब भी वो उसी सुख का अनुभव करते हैं. क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम भारतीय व्यवस्था की किसी भी खुशी को नकार कर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री जी, क्या इस मनोविज्ञान को भारत की सरकार को समझने की जरूरत नहीं है. कश्मीर के लोग अगर हमारे साथ नहीं होंगे, तो हम कश्मीर की जमीन लेकर क्या करेंगे. कश्मीर की जमीन में कुछ भी पैदा नहीं होता, फिर वहां पर न टूरिज्म होगा, न वहां मोहब्बत होगी, सिर्फ एक सरकार होगी और हमारी फौज होगी. प्रधानमंत्री जी, कश्मीर के लोग आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं, वो कहते हैं कि एक बार आप हमसे ये जरूर पूछिए कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हम एक आजाद देश बनाना चाहते हैं और उसमें सिर्फ भारत के साथ शामिल हुआ कश्मीर नहीं शामिल है. उसमें वो जनमत संग्रह पाकिस्तान के अधिकार में रहने वाले कश्मीर, गिलगिट, बलटिस्तान ये तीनों के लिए जनमत संग्रह चाहते हैं और इसके लिए वो चाहते हैं कि भारत, पाकिस्तान के साथ बातचीत करे कि अगर भारत वहां ये अधिकार देने को तैयार है, तो वो भी वहां पर वो अधिकार दें.

प्रधानमंत्री जी, ये स्थिति क्यों आई, ये स्थिति इसलिए आई कि अब तक संसद ने चार प्रतिनिधिमंडल कश्मीर में भेजे, उन चारों सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने जो संसद का प्रतिनिधित्व करते थे, क्या रिपोर्ट सरकार को दी, वो किसी को नहीं मालूम. लेकिन जो भी रिपोर्ट दी हो, उस पर अमल नहीं हुआ. सरकार ने अपनी तरफ से श्री राम जेठमलानी और श्री केसी पंत को वहां पर दूत के रूप में भेजा और इन लोगों ने वहां बहुत से लोगों से बातचीत की, लेकिन इन लोगों ने सरकार से क्या कहा, ये किसी को नहीं पता. आपके पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंटरलोकेटर की टीम बनाई थी, जिसमें दिलीप पडगांवकर, राधा कुमार, एमएम अंसारी थे, इन लोगों ने क्या रिपोर्ट दी, किसी को नहीं पता, उस पर बहस नहीं हुई, उस पर चर्चा नहीं हुई. जम्मू-कश्मीर की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि उन्हें क्या अधिकार चाहिए, उसे कूड़े की टोकरी में फेंक दिया गया. कश्मीर के लोगों को ये लगता है कि हमारा शासन हम नहीं चलाते, दिल्ली में बैठे कुछ अफसर चलाते हैं, इंटेलीजेंस ब्यूरो चलाती है, सेना के लोग चलाते हैं, हम नहीं चलाते. हम तो यहां पर गुलामों की तरह से जी रहे हैं, जिसे रोटी देने की कोशिश तो होती है, लेकिन जीने का कोई रास्ता उसके लिए खुला नहीं है. प्रधानमंत्री जी, कश्मीर के लिए जो पैसा एलॉट होता है वो वहां नहीं पहुंचता, पंचायतों के पास पैसा नहीं पहुंचता, कश्मीर को जितने पैकेज मिले, वो नहीं मिले और आपने 2014 में दिवाली कश्मीर के लोगों के बीच बिताई थी, आपने कहा था कि वहां इतनी बाढ़ आई है, इतना नुकसान हुआ है, इतने हजार करोड़ रुपये का पैकेज कश्मीर को दिया जाएगा. प्रधानमंत्री जी, वो पैकेज नहीं मिला है, उसका कुछ हिस्सा स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद जब महबूबा मुफ्ती ने थोड़ा दबाव डाला, तो कुछ पैसा रिलीज हुआ. कश्मीर के लोगों को ये मजाक लगता है, अपना अपमान लगता है.

प्रधानमंत्री जी, क्या ये संभव नहीं कि जितने भी संसदीय प्रतिनिधिमंडल अब तक कश्मीर गए, इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट, केसी पंत और श्री राम जेठमलानी के सुझाव तथा और भी जिन लोगों ने कश्मीर के बारे में आपको राय दी हो, आपसे मतलब आपके कार्यालय को अब तक राय दी हो, क्या उन रायों को लेकर हमारे भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशों का एक आठ या दस का ग्रुप बनाकर उनके सामने वो रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकती कि इसमें तत्काल क्या-क्या लागू करना है, उन बिंदुओं को तलाशें. क्या इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट बिना किसी शर्त के लागू कर उस पर अमल नहीं कराया जा सकता, चूंकि ये सारी चीजें नहीं हुईं, इसलिए कश्मीर के लोग अब आजादी चाहते हैं और वो आजादी की भावना इतनी बढ़ गई है प्रधानमंत्री जी, मैं फिर दोहराता हूं, मुझे पुलिस से लेकर, 80 साल के वृद्ध से लेकर, लेखक, पत्रकार, व्यापारी, टैक्सी चलाने वाले, हाउसबोट के लोग और 6 साल का बच्चा तक ये सब आजादी की बात करते दिखाई दिए. एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला, जिसने ये कहा हो कि उसे पाकिस्तान जाना है, उसे मालूम है पाकिस्तान की हालत क्या है और जिन हाथों में पत्थर हैं, उन हाथों को ये पत्थर पकड़ने की ताकत अगर किसी ने दी है, तो ये हमारी व्यवस्था ने दी है.

प्रधानमंत्री जी, मेरे मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान इतना बड़ा है कि वहां पत्थर चलाने वाले बच्चों को रोज पांच सौ रुपये दे सकता है और क्या हमारी व्यवस्था इतनी खराब है कि अब तक उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई, जो वहां पांच-पांच सौ रुपये बांट रहा है. कर्फ्यू है, लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, कौन मोहल्ले में जा रहा है पांच सौ रुपये बांटने के लिए. पाकिस्तान क्या इतना ताकतवर है कि पूरे 60 लाख लोगों को भारत जैसे 125 करोड़ लोगों के देश के खिलाफ खड़ा कर सकता है. मुझे ये मजाक लगता है, कश्मीर के लोगों को भी ये मजाक लगता है. कश्मीर के लोगों को हमारी व्यवस्था के अंग मीडिया से भी बहुत शिकायत है, वो कई चैनलों का (शेष पृष्ठ 3 पर)

प्रधानमंत्री जी, क्या ये संभव नहीं कि जितने भी संसदीय प्रतिनिधिमंडल अब तक कश्मीर गए, इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट, केसी पंत और श्री राम जेठमलानी के सुझाव तथा और भी जिन लोगों ने कश्मीर के बारे में आपको राय दी हो, आपसे मतलब आपके कार्यालय को अब तक राय दी हो, क्या उन रायों को लेकर हमारे भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशों का एक आठ या दस का ग्रुप बनाकर उनके सामने वो रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकती कि इसमें तत्काल क्या-क्या लागू करना है, उन बिंदुओं को तलाशें.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 30
26 सितंबर- 02 अक्टूबर 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कश्मीरियों ने किया पत्रकार दल का स्वागत

हारून रेशी
श्रीनगर से

ऐसे समय में जब कश्मीर घाटी हिंसा की आग में जल रही है और यहां की सड़कों और राजमार्गों पर मौत का नाच जारी है, नई दिल्ली से कश्मीर आने वाले तीन पत्रकारों का दल कश्मीरियों के लिए ठंडी हवा के झोंके की तरह था. जब मीडिया के जरिए कश्मीरी आवाम को पता चला कि नई दिल्ली के तीन विश्वसनीय वरिष्ठ पत्रकारों का दल यहां की हालात का खुद अपनी आंखों से जायजा लेने ग्राउंड जीरो पहुंचा है, तो लोगों में उम्मीद की एक किरण जागी कि शायद स्वतंत्र पत्रकारों का यह दल यहां से वापस जाकर देश की जनता को कश्मीर की असल स्थिति से अवगत कराएगा. आम कश्मीरियों को ये शिकायत है कि दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक तबका कश्मीर की सही स्थिति दिखाने की बजाय इसे तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है. कश्मीरियों की छवि गलत अंदाज़ में पेश की जा रही है. पत्रकारों के इस दल का नेतृत्व देश के जाने-माने पत्रकार और चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय कर रहे थे. पत्रकारों के इस दल में राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दूबे और मशहूर कॉलमनिस्ट (स्तंभकार) अशोक वानखेड़े शामिल थे. 11 सितंबर की सुबह जब कश्मीर घाटी के तमाम जिलों में हड़ताल और कर्फ्यू की वजह से आम जिंदगी ठप थी, तब पत्रकारों का ये दल श्रीनगर पहुंचा. यहां से पत्रकारों का ये दल सीधे श्रीनगर के वजीरबाग में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर प्रोफेसर अब्दुल गनी बट के घर पहुंचा. प्रोफेसर ने मुस्कुराहट के साथ इन पत्रकारों का स्वागत किया और उनको कश्मीर की वास्तविकता बतानी शुरू की. तीनों पत्रकारों ने बहुती खामोशी से प्रोफेसर की बातें सुनीं. प्रोफेसर ने प्रभावशाली तरीके से पत्रकारों के समक्ष कश्मीर की समस्या के राजनीतिक और ऐतिहासिक पहलू बयान किए. उन्होंने इस समस्या की वजह से पूरे दक्षिण एशिया के लिए मौजूद खतरे का भी जिक्र किया. प्रोफेसर ने दल को उन कारणों से भी आगाह किया, जो कश्मीर में जारी मौजूदा हिंसा का कारण बने हैं. उन्होंने पत्रकारों के इस दल को ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह कश्मीरियों की नई पीढ़ी उस आंदोलन से जुड़ गई है, जिसके लिए बीते 70 वर्षों से उनके पूर्वज कुर्बानियां देते आ रहे हैं. एक हुर्रियत लीडर की जुबानी इस कहानी को सुनने के बाद पत्रकारों के इस दल ने दो टूक शब्दों में यह स्वीकार किया कि कश्मीर मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए बातचीत किए जाने की जरूरत है.

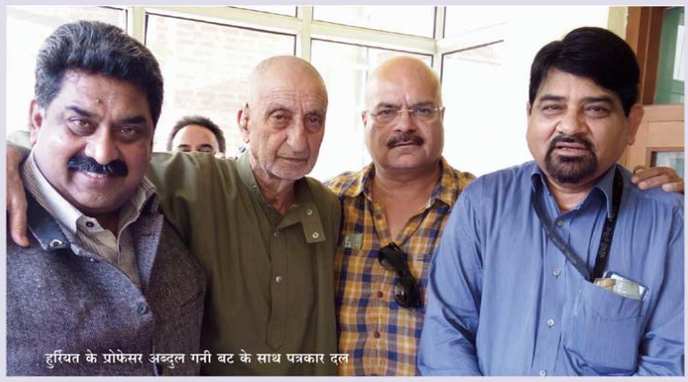

हुर्रियत के प्रोफेसर अब्दुल गनी बट के साथ पत्रकार दल

इसके बाद दिल्ली के पत्रकारों का यह दल कश्मीर में अपने तीन दिन के प्रवास के दौरान यहां के हर विचारधारा के लोगों से मिला और उनकी बातें सुनीं. श्रीनगर सिविल सोसायटी के कई नामी-गिरामी लोगों ने इस दल से मुलाकात की और कश्मीर समस्या के ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य पहलुओं पर रोशनी डाली. पत्रकारों के दल ने घंटों तक अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की बातों को गौर से सुना और समय-समय पर उनसे प्रश्न करते रहे. सिविल सोसायटी के लोगों ने पत्रकारों के सामने ऐसे कई उदाहरण रखे जिससे साबित होता है कि आम कश्मीरी किसी भी तरह से सांप्रदायिक मानसिकता नहीं रखता है, बल्कि वे सिर्फ उस अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसका वादा भारतीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनसे किए हैं. सिविल सोसाइटी के इन सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि किस तरह से दिल्ली के कुछ न्यूज़ चैनल झूठ बोल कर कश्मीरियों का चरित्र हनन कर रहे हैं. उन्होंने पत्रकारों के समक्ष ऐसे बहुत से उदाहरण रखे, जिनसे पता चलता है कि यहां आम लोगों के खिलाफ ताक़त का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है.

सिविल सोसाइटी ने कश्मीर की आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कश्मीर के आर्थिक हितों के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है. संतोष भारतीय, अभय दूबे और अशोक वानखेड़े ने श्रीनगर में पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाक़ात की. स्थानीय पत्रकारों ने अपने नई दिल्ली के दोस्तों के साथ कश्मीर और कश्मीर के मौजूदा हालात पर बात की. कश्मीरी पत्रकारों ने यहां के हालात पर नई दिल्ली के असंवेदनशील रवैये और निष्ठुर व्यवहार की चर्चा की. इस बातचीत के बाद दिल्ली के पत्रकारों ने माना कि यहां के पत्रकारों ने पत्रकारिता के उसूलों को जिंदा रखा है और कश्मीर से जुड़ी उनकी कई गलतफहमियों को खत्म करने में उनसे मदद मिली है. पत्रकारों के दल ने नई दिल्ली और कश्मीर के पत्रकारों के बीच आमने-सामने की बहस की संभावनाओं का भी जिक्र किया, ताकि दोनों तरफ के पत्रकारों के अनुभवों के आधार पर पहले कश्मीर के मसले को अच्छी तरह से समझा जा सके और आवाम को अवगत कराया जा सके.

संतोष भारतीय, अभय दूबे और अशोक वानखेड़े ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं से भी मुलाकात की. नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता की अगुवाई में एक दल ने इन पत्रकारों को बताया कि नई दिल्ली बार-बार ये कह रही है कि कश्मीर मसले का हल संविधान के दायरे में रह कर ही निकाला जा सकता है, लेकिन साल 2000 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संविधान के दायरे में रह कर ही कश्मीर मसले को हल करने के लिए जम्मू और कश्मीर असेंबली में दो तिहाई बहुमत से स्वायत्तता का प्रस्ताव पास किया और इस पर विचार करने के लिए इसे केंद्र सरकार के पास भेजा तब केंद्र सरकार ने इसे संसद या कैबिनेट बैठक में पेश करने के बजाय सीधे रद्दी की टोकरी में डाल दिया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने बताया कि नई दिल्ली के इस अलोकतांत्रिक रवैये की वजह से कश्मीरी जनता को भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा. नेशनल कॉन्फ्रेंस के दल ने पत्रकारों को बताया कि किस तरह नई दिल्ली ने 1953 में कश्मीर के वजीर-ए-आजम और उस वक्त के कश्मीर के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से बर्खास्त कर दिया था. उन्हें 11 साल तक जेल में रखा गया.

इस दौरान पीडीपी के एक सांसद ने बताया कि कश्मीर को लेकर नई दिल्ली का रवैया इतना गैर मुनासिब है कि वो कभी-कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं हम इतने बेशर्म तो नहीं हैं कि अभी तक संसद के सदस्य बने हुए हैं. इस सांसद ने पत्रकारों को उन सच्चाइयों से भी अवगत कराया जिसकी वजह से आज कश्मीर हिंसा की आग में झुलस रहा है. पत्रकारों को उस वक्त काफी आश्चर्य हुआ, जब हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने उन्हें अपने घर बुलाया. लेकिन, पुलिस ने इन पत्रकारों को उनके घर नहीं जाने दिया. बाद में फोन पर ही इन पत्रकारों ने गिलानी से तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत की. पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नई दिल्ली की सिविल सोसायटी अगर आपसे बातचीत के लिए मध्यस्थता करती है, तो क्या आप इसके लिए तैयार होंगे, तो बिना एक क्षण गवाए उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? गिलानी ने साफ किया कि वे बुनियादी तौर पर बातचीत के खिलाफ नहीं हैं.

पत्रकारों को श्रीनगर हवाई अड्डे से निकलने से लेकर अपने तीन दिनी यात्रा के दौरान कश्मीर के आम लोगों से भी मिलने का मौका मिला. टैक्सी ड्राइवर से लेकर होटल के बैरे, सेल्समैन से लेकर राह चलते लोगों से भी बातचीत हुई. हर किसी ने कहा कि कश्मीरी आवाम सिर्फ अपने अधिकारों की बहाली चाहती है और हमलोग इस मसले का समाधान बातचीत के जरिए चाहते हैं. पत्रकारों का ये दल कश्मीर ट्रेडर्स के लीडरों से भी मिला, जिन्होंने बताया कि वे रोज-रोज के लड़ाई-झगड़े से तंग आ गए हैं और इस मसले का तत्काल समाधान चाहते हैं. इन पत्रकारों से मिलने के लिए आम कश्मीरी भी आए. उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अपनी राय पेश की.

कर्फ्यू हटने के बाद इन पत्रकारों ने रात के अंधेरे में श्रीनगर के उन इलाकों का भी दौरा किया, जहां पिछले ढाई महीनों से दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है. कुल मिलाकर दिल्ली के पत्रकारों का ये दौरा कश्मीर के ग्राउंड जीरो का खुद अपनी आंखों से जायजा लेने और समझने का एक साहसिक प्रयास और अनूठा मौका साबित हुआ. ऐसा मौका किसी अन्य भारतीय पत्रकार को पिछले ढाई महीनों में नहीं मिला है. यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इस दौरे के बाद इन पत्रकारों के लेखों और विश्लेषणों में कश्मीर की असल तस्वीर की झलक दिखाई देगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री जी,

ये कश्मीर का सच है

पृष्ठ 2 का शेष

नाम लेते हैं जिनको देखकर लगता है कि ये देश में सांप्रदायिक भावना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं. इसमें कुछ महत्वपूर्ण चैनल अंग्रेजी के हैं और कुछ हिंदी के भी हैं. मैं मानता हूं कि हमारे साथी राज्यसभा में जाने या अपना नाम पत्रकारिता के इतिहास में प्रथम श्रेणी में लिखवाने के क्रम में इतना अंधे हो गए हैं कि वो देश की एकता और अखंडता से भी खेल रहे हैं. पर प्रधानमंत्री जी, इतिहास निर्मम होता है, वो ऐसे पत्रकारों को देशप्रेमी नहीं देशद्रोही मानेगा, क्योंकि ऐसे लोग जो पाकिस्तान का नाम लेते हैं या हर चीज में पाकिस्तान का हाथ देखते हैं, वो लोग दरअसल पाकिस्तान के दलाल हैं, वो मानसिक रूप से हिंदुस्तान और कश्मीर के लोगों में ये भावना पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा सशक्त, बड़ा समर्थ और बहुत विचारवान देश है. प्रधानमंत्री जी, इन लोगों को जब समझ में आएगा, तब आएगा या नहीं समझ में आए, मुझे उससे चिंता नहीं है. मेरी चिंता भारत के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है. नरेंद्र मोदी को इतिहास अगर इस रूप में आंके कि उन्होंने कश्मीर में एक बड़ा नरसंहार करवाकर कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखा, शायद वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत दुखद इतिहास होगा. इतिहास नरेंद्र मोदी को इस रूप में जाने कि उन्होंने कश्मीर के लोगों का दिल जीता. उन्हें उन सारे वादों की भरपाई करने का आश्वासन दिया, जिन्हें साठ साल से कश्मीरियों को कहा जाता रहा है. कश्मीर के लोग सोना नहीं मांगते, चांदी नहीं मांगते, हीरा नहीं मांगते. कश्मीर के लोग इज्जत मांगते हैं. प्रधानमंत्री जी मैंने जितने वर्गों की बात की, ये सब स्टेक होल्डर हैं.

प्रधानमंत्री जी, ये सारे लोग स्टेक होल्डर हैं और इनमें हुर्रियत के लोग शामिल हैं. हुर्रियत के लोगों का इतना नैतिक दबाव कश्मीर में है कि वो जो कैलेंडर शुक्रवार को वहां जारी करते हैं, वह हर एक के पास पहुंच जाता है. अखबारों में छपा कि हर एक को उसकी जानकारी हो गई और लोग सात दिन उस कैलेंडर के ऊपर काम करते हैं, वो कहते हैं कि 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे, 6 बजे तक बाजार बंद होते हैं और 6 बजे बाजार अपने आप खुल जाते हैं. प्रधानमंत्री जी, वहां तो बैंक भी 6 बजे के बाद खुलने लगे हैं, जो आपके व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, वहां पर हमारे सुरक्षाबलों के लोग 6 बजे के बाद नहीं घूमते, 6 बजे के पहले ही घूमते हैं और इसीलिए हमारा कोर कमांडर सरकार से कहता है कि हमें इस राजनीतिक झगड़े में मत फंसाइए. प्रधानमंत्री जी, ये छोटी चीज नहीं है, हमारी फौज का कमांडर वहां की सरकार से कहता है कि हमें इस राजनीतिक झगड़े में मत फंसाइए. हम सिविलियन के लिए नहीं हैं, हम दुश्मन के लिए हैं.

इसीलिए जहां सेना का सामना होता है, तो वे पत्थर का जवाब गोली से देते हैं. लोगों की मौतें होती हैं, लेकिन सेना की

इस भावना को तो समझने की जरूरत है. सेना अपने देश के नागरिकों के खिलाफ कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चीज नहीं है. सुरक्षा बल पैलेट गन चलाते हैं, लेकिन उनका निशाना कमर से नीचे नहीं होता है. कमर से ऊपर होता है इसलिए दस हजार लोग घायल पड़े हैं. प्रधानमंत्री जी, मैं कश्मीर के दौरे में अस्पतालों में गया. मुझसे कहा गया कि चार-पांच हजार पुलिसवाले भी घायल हुए हैं. सुरक्षा बलों के लोग घायल हुए हैं. मुझे पत्थरों से घायल लोग तो दिखाई दिए, लेकिन वो संख्या काफी कम थी. ये हजारों की संख्या वाली बात हमारा प्रचार तंत्र कहता है, जिसपर कोई भरोसा नहीं करता और अगर ऐसा है तो हम पत्रकारों को उन जवानों से मिलवाइए जो दो हजार की संख्या में एक हजार की संख्या में घायल कहीं इलाज करा रहे हैं. पर हमने अपनी आंखों से जमीन पर एक-दूसरे से बिस्तर शेयर करते हुए लोगों को देखा, जो घायल थे. हमने बच्चों को देखा जिनकी आंखें चली गईं, जो कभी वापस नहीं आएंगी. इसलिए मैं ये पत्र बड़े विश्वास और भावना के साथ लिख रहा हूं और मैं जानता हूं कि आपके पास अगर ये पत्र पहुंचेगा तो आप इसे पढ़ेंगे और हो सकता है कुछ अच्छा भी करें. लेकिन मुझे इसमें शक है कि ये पत्र आपके पास पहुंचेगा इसलिए मैं इसे चौथी दुनिया अखबार में छाप रहा हूं ताकि कोई तो आपको बताए कि सच्चाई ये है.

प्रधानमंत्री जी, एक कमाल की बात आपको बताता हूं. मुझे श्रीनगर में हर आदमी अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ करता हुआ मिला. लोगों को सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नाम याद है और वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने लाल चौक पर खड़े होकर कहा था कि मैं पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं. उन्हें कश्मीर के लोग कश्मीर की समस्याओं को हल करने वाले मसीहा की तरह याद करते हैं. उन्हें लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर के लोगों का दुख-दर्द समझते थे और उनका आंसू पोछना चाहते थे. प्रधानमंत्री जी, वो आपसे भी वैसी ही आशा करते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है. उन्हें इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि आप सारे विश्व में घूम रहे हैं. आप लाओस, चीन, अमेरिका, सऊदी अरब हर जगह जा रहे हैं. दुनिया भर की यात्रा करने वाले आप पहले प्रधानमंत्री बने हैं, पर अपने ही देश के साठ लाख लोग आपसे नाराज हो गए हैं. ये साठ लाख लोग इसलिए नहीं नाराज हुए कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं. इसलिए नाराज हुए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के दर्द में अपने ही देश के नाराज लोगों के लिए जितना प्यार होना चाहिए वो प्यार अब नहीं दिखाई दे रहा है. इसलिए मेरा आग्रह है कि आप स्वयं कश्मीर जाएं, वहां के लोगों से मिलें, हालात का जायजा लें और कदम उठाएं. निश्चित मानिए कश्मीर के लोग इसे हाथों हाथ लेंगे. लेकिन बात आपको वहां कश्मीर के सभी स्टेक होल्डर से करनी होगी. हुर्रियत से भी.

प्रधानमंत्री जी, मेरे साथ अशोक वानखेड़े, जो मशहूर स्तम्भकार हैं और टेलीविजन पर राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, प्रोफेसर अभय दूबे, ये भी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो टेलीविजन पर आते रहते हैं और रिसर्च विशेषज्ञ हैं, ये लोग भी साथ थे. और हम तीनों कई बार कश्मीर की हालत देखकर रोए. हमें लगा कि सारे देश में ये भावना फैलाई गई है, योजनापूर्वक एक ग्रुप ने ये भावना फैलाई है कि कश्मीर का हर आदमी पाकिस्तानी है. कश्मीर का हर आदमी देशद्रोही है और सारे लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं. नहीं प्रधानमंत्री जी, ये सच नहीं है. कश्मीर के लोग अपने लिए रोजी चाहते हैं, रोटी चाहते हैं, लेकिन इज्जत के साथ चाहते हैं. वो चाहते हैं कि उनके साथ वैसा ही व्यवहार हो, जैसा बिहार, बंगाल, असम के साथ होता है. अब प्रधानमंत्री जी, एक चीज और मैंने देखी कि क्या कश्मीर के लोगों को मुंबई के लोगों की तरह, पटना के लोगों की तरह, अहमदाबाद के लोगों की तरह, दिल्ली के लोगों की तरह जीने का या रहने का अधिकार नहीं मिल सकता. हम 370 खत्म करेंगे, 370 खत्म होना चाहिए, इसका प्रचार सारे देश में कर रहे हैं. कश्मीरियों को अमानवीय बनाने का प्रचार कर रहे हैं. लेकिन हम देश के लोगों को ये नहीं बताते कि भारत सरकार का एक निर्णय था कि कश्मीर हमारा कभी अंग नहीं रहा और कश्मीर को जब हमने 47 में अपने साथ मिलाया, तो हमने दो देशों के बीच एक संधि की थी, समझौता किया था. कश्मीर हमारा संवैधानिक अंग नहीं है, लेकिन हमारी संवैधानिक व्यवस्था ने आत्मनिर्णय के अधिकार से पहले धारा 370 दी. प्रधानमंत्री जी, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि हम कभी 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और 370 क्या है? 370 है कि हम कश्मीर पर विदेश नीति, सेना और करेंसी इसके अलावा हम कश्मीर के शासन में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे. पर पिछले 65 साल इसके उदाहरण हैं कि हमने, मतलब दिल्ली की सरकार ने, वहां लगातार नाजायज हस्तक्षेप किया. सेना को कहिए कि वो सीमाओं की रक्षा करे. जो सीमा पार करने की कोशिश करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे, जैसा एक आतंकवादी या दुश्मन के साथ होता है. लेकिन लोगों के साथ लोगों को तो दुश्मन मत मानिए. देश के कश्मीर के लोगों को इस बात का रंज है, इस बात का दुख है कि इतना बड़ा जाट आंदोलन हुआ, गोली नहीं चली, कोई नहीं मरा. गुजर आंदोलन हुआ, कोई आदमी नहीं मरा, कहीं पुलिस ने गोली नहीं चलाई. अभी कावेरी को लेकर कर्नाटक में, बैंगलुरू में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पर एक गोली नहीं चली. क्यों कश्मीर में ही गोलियां चलती हैं और क्यों कमर से ऊपर चलती हैं और छह साल के बच्चों पर चलती हैं? छह साल का बच्चा प्रधानमंत्री जी वो क्यों हमारे खिलाफ हो गया? वहां की पुलिस हमारे खिलाफ है.

लोगों का दिल जीतने की जरूरत है और आप इसमें सक्षम हैं. आपने लोगों का दिल जीता इसलिए आप प्रधानमंत्री बने हैं और अकल्पनीय बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं. क्या आप ईश्वर द्वारा दी गई, इतिहास द्वारा दी गई, वक्त द्वारा दी गई अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे कि कश्मीर के लोगों का भी दिल जीतें और उनके साथ हुए भेदभाव, अमानवीय व्यवहार से निजात दिलाएं. उनके मन में ये भावना भरें कि वो भी विश्व के, भारत के किसी भी प्रदेश के वैसे ही सम्माननीय नागरिक हैं, जैसे आप और हम. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिना वक्त खोए कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और बिना समय खोए अपने दल के लोगों को अपनी सरकार के लोगों को कश्मीर के बारे में कैसा व्यवहार करना है, इसका निर्देश देंगे. मैं पुन: आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें उत्तर दें या न दें, लेकिन कश्मीर के लोगों को उनके दुख-दर्द, आंसू कैसे पोंछ सकते हैं, इसके लिए कदम जरूर उठाएं. ■

editor@chauthiduniya.com

कश्मीर समस्या

इतिहास के आईने में

शेख़ अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी

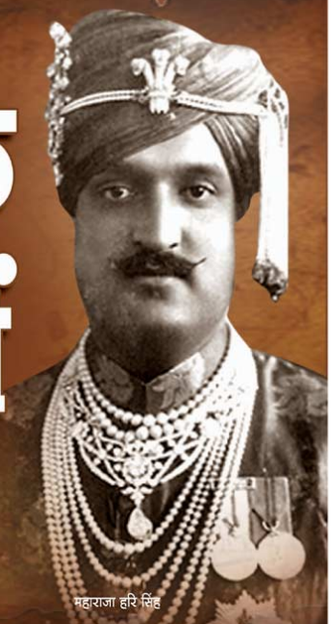
महाराजा हरि सिंह

पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने का एक दूसरा हथकंडा अपनाया. उसने पाकिस्तानी सेना को पश्तून आक्रमणकारियों के वेश में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने को भेजा, जिसमें उसे कश्मीर में रह रहे कुछ स्थानीय मुस्लिमों का भी सहयोग मिला. इससे परेशान होकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी. 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ समझौता किया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत में शामिल करने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी, लेकिन शर्त यह रखी कि भारत सेना भेजकर आक्रमणकारियों को जम्मू-कश्मीर से खदेड़ दे. भारत ने 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने कश्मीर मुद्दा रखा.

सन् 1947 में भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिली. भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 के अनुसार तमाम रियासतों को यह चयन करने की सुविधा दी गई कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ. उस समय जम्मू-कश्मीर देश की सबसे बड़ी रियासत थी, जिस पर महाराजा हरि सिंह का शासन था. पाकिस्तान को भरोसा था कि यह रियासत पाकिस्तान के साथ जाएगी, लेकिन हरि सिंह अपने राज्य को न तो पाकिस्तान और न ही भारत में मिलाना चाहते थे. लिहाजा उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया.

पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने का एक दूसरा हथकंडा अपनाया. उसने पाकिस्तानी सेना को पश्तून आक्रमणकारियों के वेश में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने को भेजा, जिसमें उसे कश्मीर में रह रहे कुछ स्थानीय मुस्लिमों का भी सहयोग मिला. इससे परेशान होकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी.

26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ समझौता किया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत में शामिल करने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी, लेकिन शर्त यह रखी कि भारत सेना भेजकर आक्रमणकारियों को जम्मू-कश्मीर से खदेड़ दे.

भारत ने 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने कश्मीर मुद्दा रखा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव 47 पारित किया. इसके तहत दोनों देशों को संघर्ष विराम के लिए कहा गया. साथ ही पाकिस्तान से कहा गया कि वह जम्मू-कश्मीर से शीघ्र पीछे हटे.

जब भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हुई थी तब शेख अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने का समर्थन किया था. नवंबर 1948 में दोनों देश जनमत संग्रह पर राजी हुए. बाद में भारत ने इससे किनारा कर लिया और कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाए.

भारत की संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को धारा 370 को अपनाया, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.

अगस्त 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ. इसके अनुसार पं. नेहरू ने यह स्वीकार किया कि राज्य का अपना अलग झंडा होगा. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं, बल्कि विधानसभा द्वारा होगी. भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी प्रावधान पूरी तौर पर लागू नहीं होंगे. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिक्षेत्र नहीं होगा, केवल अपीलीय मामले उसके समक्ष प्रस्तुत होंगे. युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण को छोड़कर किसी भी स्थिति में केंद्र द्वारा बिना राज्य की सहमति के आपात स्थिति लागू नहीं की जाएगी.

1954 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनमत संग्रह के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा से बातचीत की. नेहरू जनमत संग्रह के लिए प्रशासक नियुक्त करने पर सहमत थे. उसके बाद पाकिस्तान केंद्रीय संधि संगठन (सेन्टो) गठबंधन में शामिल हो गया और भारत ने इसे जनमत संग्रह को अस्वीकार करने और वार्ता को रद्द करने के लिए इस्तेमाल किया. कश्मीर के मामले में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा लिए गए तीन फैसलों पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं. पहला कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना. दूसरा 1948 में भारत-पाक जंग के बीच अचानक सीजफायर का एलान और तीसरा आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना.

1962 में चीन ने भारत से युद्ध कर अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया. दोनों देशों को अलग करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा खींची गई. फिर, पाकिस्तान ने अपने 30,000 घुसपैठियों के साथ 1965 में कश्मीर पर हमला कर दिया, जवाब में भारत ने भी अपनी सेना भेजी. पाकिस्तान और भारत के बीच यह युद्ध 1 सितंबर से 23 सितंबर 1965 तक चला और इसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी. उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ताशंकद समझौता हुआ. दोनों ने सीमाओं से अपनी-अपनी सेनाएं बुला लीं और तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.

समझौते की मुख्य शर्तें-

1. भारत और पाकिस्तान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और शांति से हल निकालेंगे.

2. दोनों देश 25 फरवरी 1966 तक अपनी सेनाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा रेखा के पीछे हटा लेंगे.

3. भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित होंगे.

4. दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे.

5. आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों तथा संचार संबंधों की फिर से स्थापना तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान फिर से शुरू करने पर विचार किया जाएगा.

6. जुल्फिकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान में राष्ट्रपति पद संभाला. इसके बाद जून 1972 के अंत में शिमला में भारत-पाकिस्तान शिखर बैठक हुई. इंदिरा गांधी और भुट्टो ने उन विषयों पर चर्चा की जो 1971 के युद्ध से उत्पन्न हुए थे. इनमें कुछ प्रमुख विषय थे-युद्ध बंदियों की अदला-बदली, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता का प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाना और कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित करना.

शिमला समझौता के मुख्य बिंदु-

1. दोनों देशों के बीच भविष्य में जब बातचीत होगी, तब कोई मध्यस्थ या तीसरा पक्ष नहीं होगा.

2. शिमला समझौता के बाद भारत ने 93 हजार पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया.

3. 1971 के युद्ध में भारत द्वारा कब्जा की गई पाकिस्तान की जमीन भी वापस कर दी गई.

4. दोनों देशों ने तय किया कि 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थिति में थी, उस रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाएगा.

5. दोनों देश इस रेखा को बदलने या उसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेंगे.

6. आवागमन की सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ-जा सकें.

1975 में इंदिरा गांधी-शेख अब्दुल्ला समझौते के अनुसार मुख्यमंत्री को वजीर-ए-आजम और राज्यपाल को सदर-ए-रियासत कहा जाएगा. समझौते में यह भी कहा गया था कि 1953 के बाद जम्मू एवं कश्मीर में लागू केंद्रीय कानून की समीक्षा होगी और प्राप्त विशेष दर्जा प्रभावित होने की स्थिति में केंद्रीय कानून हटा लिए जाएंगे. भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अपमान करने का अपराध रोकने के लिए भारतीय संसद को सक्षम कानून बनाने का अधिकार होगा, जो भारतीय संघ के किसी भी क्षेत्र या हिस्से को भारत से अलग करने या इसकी भौगोलिक एकता को खंडित करने की नीयत से किया गया हो.

शिमला समझौता के वक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो

शेख़ अब्दुल्ला की गिरफ्तारी

जम्मू-कश्मीर में कुछ कानूनी प्रावधानों की वजह से राज्य में प्रवेश करने के लिए परमिट लेने की व्यवस्था बहाल कर दी गई थी, जिसके खिलाफ जनसंघ ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया. जनसंघ के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट राज्य में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिस पर जम्मू-कश्मीर की तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जहां 23 जून 1953 को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इसी के बाद जम्मू-कश्मीर के वजीर-आजम शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया.

शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने के बाद जम्मू कश्मीर का वजीर-ए-आजम बख्शी गुलाम मोहम्मद को बनाया गया, जो 1953 से लेकर 12 अक्टूबर 1963 तक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे. इसके बाद नेशनल कांफ्रेंस के ही ख्वाजा शम-उद-दिन को जम्मू-कश्मीर का वजीर आजम बनाया गया. उसके बाद कांग्रेस ने गुलाम मोहम्मद शादिक को जम्मू-कश्मीर का वजीर-ए-आजम बनाया, जो 29 फरवरी 1964 से 30 मार्च 1965 तक इस पद पर रहे.

अपने अंतिम दिनों में जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुला से बात कर स्थिति को दुरुस्त करने की कोशिश की. 6 अप्रैल 1964 को शेख अब्दुल्ला को जम्मू जेल से रिहा किया गया और नेहरू से उनकी मुलाक़ात हुई. शेख ने कहा कि उनके नेतृत्व में ही जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था. वे हर उस बात को अपनी बात मानते हैं, जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पहले 8 अगस्त 1953 तक कही थी. नेहरू भी पाकिस्तान से बात करना चाहते थे और किसी तरह से समस्या को हल करना चाहते थे. नेहरू ने इसी सिलसिले में शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान जाकर संभावना तलाशने का काम सौंपा. शेख गए और 27 मई 1964 के दिन जब पाक अधिकृत कश्मीर के मुज़फ्फराबाद में उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई, तभी जवाहरलाल नेहरू की मौत की खबर आई. बताते हैं कि खबर सुन कर शेख अब्दुल्ला फूट-फूट कर रोये थे. नेहरू के मरने के बाद तो हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ने लगे. कश्मीर के मामलों में नेहरू के बाद के नेताओं ने कानूनी हस्तक्षेप की तैयारी शुरू कर दी, वहां संविधान की धारा 356 और 357 लागू कर दी गई. इसके बाद शेख अब्दुल्ला को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया. इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर हमला कर उस पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तानी फौज ने मुंह की खाई और ताशकंद में जाकर रूसी दखल से सुलह हुई.■

6 अप्रैल 1964 को शेख़ अब्दुल्ला को जम्मू जेल से रिहा किया गया

फारूक अब्दुल्ला को क्यों हटाया गया

8 सितंबर 1982 को शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री बने. फारूक अब्दुल्ला अंततः केंद्र सरकार के साथ पक्ष में नहीं रहे. भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से बखर्स्त कर आवामी नेशनल कांफ्रेंस के नेता गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बना दिया. उसके बाद होने वाले चुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की घोषणा की. कहा जाता है चुनाव में फारूक अबदुल्ला के पक्ष में धांधली की गई. चुनाव में धांधली के बाद हारे नेता आंशिक रूप से विद्रोह की ओर अग्रसर हुए. ■

आतंक ने कश्मीरी पंडितों को अपने निशाने पर ले लिया. कश्मीरी पंडितों से कहा जाने लगा कि वे अपना घर जल्द खाली कर दें, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें.

1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के विचार से फरवरी 1999 में बस द्वारा नई दिल्ली से लाहौर तक की ऐतिहासिक यात्रा की. उस समय उन्हें इसका तनिक भी आभास नहीं था कि कारगिल युद्ध की नींव उसी समय पड़ गई थी. पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई और वहां की फौज ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा. 1999 में आईएसआई और पाक फौज ने मिलकर

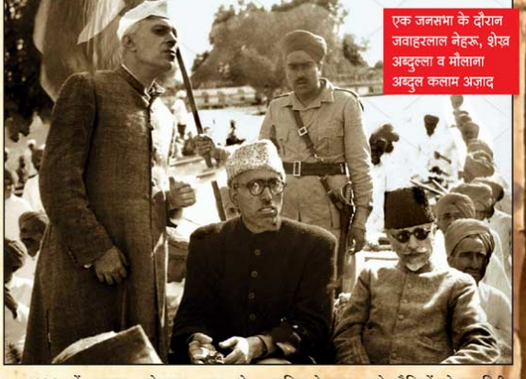
एक जनसभा के दौरान जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला व मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद

1986 में गुलाम मोहम्मद शाह के मुख्यमंत्रित्व काल में दंगे की शुरुआत हुई. यह दंगा कश्मीर में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को राज्य से बाहर निकालने की वजह से हुआ था. इस दंगे में 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थीं और कई हजार कश्मीरी पंडित बेघर हो गए थे.

19 जनवरी 1990 को घटी घटना आज तक देश के लोगों और कश्मीरी पंडितों के मन से मिटी नहीं है. 1990 में कश्मीर में हथियारबंद आंदोलन शुरू हुआ. कश्मीर में रहने वाले लाखों कश्मीरी पंडित अपने घर-बार छोड़कर चले गए. माना जाता है कि उस दिन तीन लाख कश्मीरी पंडित अपना घर-बार छोड़कर कश्मीर से चले गए. इसकी शुरुआत कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल बट को मौत की सजा सुनाने के बाद हुई. सजा सुनाने वाले सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई. इसके बाद 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निदेशक लासा कौल की निर्मम हत्या कर दी गई. घाटी में शुरू हुए इस साजिश के तहत अपने फौजियों को मुजाहिद्दीन के रूप में कारगिल में खाली चौकियों पर माकूल रसद और गोला बारूद के साथ तैनात कर दिया. जब भारतीय फौज पेट्रोलिंग करने पहुंची तो पाकिस्तानियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से पांच की हत्या कर दी. इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को मैदान छोड़कर भागना पड़ा. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय दिवस का ऐलान किया, जिसे 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कश्मीर एक मानवीय समस्या है

(1 फ़रवरी 1972 को जयप्रकाश नारायण का हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित पत्र)

1947 से लेकर आज तक जो घटनाएं घटी हैं, उसके मद्देनज़र यह कहा जा सकता है कि अब किसी भी कश्मीरी नेता का जवाहरलाल नेहरू के जनमत संग्रह के वादे का राग अलापना एक बेकार की कवायद है. जनमत संग्रह का मुद्दा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है. यहां तक कि शेख भी अब घड़ी के कांटे को पीछे नहीं ले जा सकते. कश्मीर के भारत में अधिग्रहण पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता है, जो कोई भी इसके विपरीत सोचता है, वह मूर्खों की जन्नत में जी रहा है और उसकी सोच में समय के अनुकूल बदलाव नहीं हुआ है और उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक बदलावों को उनसे नहीं समझा है. मुझे नहीं लगता कि घाटी में ऐसी सोच रखने वाले बहुत अधिक लोग हैं.

जब से मैंने 13-1-1972 के अंक में जम्मू और कश्मीर के चुनाव पर आपका बेहतरीन संपादकीय पढ़ा है, तबसे मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से बधाई देने के लिए यह पत्र लिखना चाह रहा था. मैं आपके संपादकीय के एक-एक शब्द से सहमत हूं. दरअसल जब जनवरी 1971 के पहले सप्ताह में शेख अब्दुल्ला और उनके सहयोगियों को पिछले लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए कार्रवाई को लेकर अफवाहों का बाज़ार गरम था, तब मैंने इसका विरोध किया था. मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री और श्री पीएन हसकर से यह कार्रवाई नहीं करने की अपील की थी, लेकिन मेरी अपील का कोई असर नहीं हुआ. नतीजतन एक लोकतंत्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई और कश्मीर की जनता बाकी देश की जनता से और अधिक अलग-थलग हो गई. कश्मीर से शेख अब्दुल्ला के निर्वासन के आदेश को उद्धृत करते हुए मैंने अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात पर भी अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहा था कि शेख अब्दुल्ला और उनके सहयोगियों को भारत की मुख्यधारा की राजनीति में वापस लाने के लिए 1953 के बाद मिलने वाले पहले अवसर को हमने मूर्खतापूर्ण तरीके से गंवा दिया है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी ज़ख्मों को भर देती है, लेकिन हमने उस मौके को भी हाथ से जाने दिया. मुझे ख़ुशी है कि वर्तमान संदर्भ में आपके संपादकीय में इन बातों की प्रतिध्वनि सशक्त रूप से सुनाई दी है.

इस बार भी संदर्भ चुनाव ही है, लेकिन इस बार का चुनाव जम्मू और कश्मीर विधानसभा का है. मुझे इसमें कोई शक नहीं कि एक बार फिर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री मीर कासिम ने दिल्ली की मिलीभगत से यह घोषणा की कि निर्वासन आदेश लागू रहेगा, क्योंकि जिन हालात में ये आदेश जारी हुए थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. बेशक ये एक ज़िम्मेदार राजनेता का एक अजीबोगरीब बयान था. यह कोई भी समझ सकता था कि बांग्लादेश की आजादी और पाकिस्तानी सेना की पराजय ने उपमहाद्वीप की स्थिति को बिल्कुल बदल दिया है. अगर जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो यह मीर कासिम के नेतृत्व और उनकी पार्टी के दिवालिएपन को ज़ाहिर करता है. स्थिति का जो आकलन उन्होंने प्रस्तुत किया, व्यक्तिगत रूप से मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं. ऐसा लगता है कि उनका आकलन घाटी में सुलह और वहां के लोगों की भलाई से अधिक उनके व्यक्तिगत सत्ता लोभ पर आधारित है. काश मैं गलत होता, लेकिन मैं उनके क्रियाकलापों की इससे बेहतर व्याख्या नहीं कर सकता हूं.

एक बार फिर लोकतंत्र के सवाल की तरफ लौटते हैं. पिछले दस महीनों से हम खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र और बांग्लादेश में मानवाधिकार के रक्षक के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को क्या कहेंगे, जब हम खुद अपने एक राज्य के नागरिकों को उन्हीं अधिकारों से वंचित कर रहे हैं? सरकार के प्रवक्ता ने पहले जो भी कहा हो या अब कहेंगे, लेकिन हकीक़त यह है कि जम्मू और कश्मीर में कभी भी धांधली-रहित चुनाव नहीं हुए हैं. आपने अपने संपादकीय में बिल्कुल सही कहा है कि आज़ादी और लोकतंत्र को अलग-अलग नहीं किया जा सकता. लेकिन यदि शेख अब्दुल्ला और उनके निर्वासित सहयोगियों को चुनाव पूर्व, पर्याप्त समय रहते अपने राज्य में वापस नहीं लौटने दिया जाता और राजनीतिक कैदी (जिनपर हिंसा का अपराध साबित हो चुका है उनको छोड़कर) अभी भी क़ैद में रहते हैं, तो लोकतंत्र की हमारी पुरजोर हिमायत हमारे कृत्य से कैसे सामंजस्य बैठा पाएगी और दुनिया को हम यह कैसे यकीन दिला पाएंगे कि हम दोहरे मानक इस्तेमाल नहीं करते या घर के लिए एक और बाहर के लिए दूसरी नीति नहीं अपनाते?

एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक बिंदु पर मैं अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं. एक समय था, जब मैं शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत की लगातार मांग करता रहा, ताकि उनके साथ किसी समझौते पर पहुंचा जाए और उनके स्वाभिमान को भी संतुष्ट किया जा सके. ऐसा इसलिए था, क्योंकि उनके साथ कोडाईकोनाल में लंबी बातचीत के बाद मुझे यकीन हो गया था कि वे पाकिस्तान की मंशा के विपरीत कश्मीर को भारतीय संघ में बने रहने पर राज़ी हो जाएंगे. बशर्ते कि हम उनको अपनी छवि बचाने के लिए कुछ रियायतें दे दें, लेकिन अज्ञात कारणों से उनसे बातचीत तो हुई, लेकिन गंभीरता के साथ कभी नहीं हुई. मैं समझता हूं कि इस मसले पर सबसे गंभीर बातचीत का सिलसिला उनके और श्री जी पार्थसारथी के बीच चला था. ये बातचीत शेख के कोडाईकोनाल से रिहाई और अपने राज्य (जहां उन्होंने कुछ अस्पष्ट और दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए थे) से दिल्ली वापसी पर हुई थी. इस के बावजूद मैं समझता हूं कि शेख और भारत के विचारों में सबसे अधिक नजदीकी इसी समय आई थी. लेकिन फिर जब मामला लगभग तय होने के करीब था और श्री पार्थसारथी एक दो दिन में शेख से फिर से मिलने वाले थे कि अचानक कुछ नामालूम कारणों से शेख को बिना बताये पार्थसारथी न्यूयॉर्क रवाना हो गए. उसके बाद फिर कभी इस कश्मीरी नेता के साथ सियासी मेल-मिलाप की संभावनाओं पर कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई.

हमारे संविधान में काफी लचीलापन है और हमारे राज्य और केंद्र इतने बुद्धिमान ज़रूर हैं, जो समझते हैं कि स्वायत्तता की मांग की हद क्या होनी चाहिए. अपने देश की विशाल आबादी और विभिन्न समस्याओं को देखते हुए राज्यों को और अधिक स्वायत्तता दिए जाने की वकालत मैं खुद करता रहा हूं. मैं भी मानता हूं कि छोटे राज्य बेहतर सरकार दे सकते हैं और लोकतंत्र को जनता के और करीब ला सकते हैं और इसमें भागीदारी की भावना को बढ़ा सकते हैं.

इतिहास की इन घटनाओं का ज़िक्र करने का मकसद यह कहना नहीं है कि भारत सरकार को एक बार फिर शेख के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि घाटी में विश्वसनीय और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए आवश्यक माहौल तैयार किया जा सके. मुझे भारी मन से यह स्वीकार करना पड़ता है कि शेख का बांग्लादेश के प्रति रुख और उनके द्वारा कश्मीर और बांग्लादेश के मुद्दों में समानता ढूंढने से मुझे बहुत मायूसी हुई है. 1947 से लेकर आज तक जो घटनाएं घटी हैं, उसके मद्देनज़र यह कहा जा सकता है कि अब किसी भी कश्मीरी नेता का जवाहरलाल नेहरू के जनमत संग्रह के वादे का राग अलापना एक बेकार की कवायद है. जनमत संग्रह का मुद्दा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है. यहां तक कि शेख भी अब घड़ी के कांटे को पीछे नहीं ले जा सकते. कश्मीर के भारत में अधिग्रहण पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता है, जो कोई भी इसके विपरीत सोचता है, वह मूर्खों की जन्नत में जी रहा है और उसकी सोच में समय के अनुकूल बदलाव नहीं हुआ है और उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक बदलावों को उनसे नहीं समझा है. मुझे नहीं लगता कि घाटी में ऐसी सोच रखने वाले बहुत अधिक लोग हैं. एक मात्र सवाल जिसे आज भी प्रासंगिक माना जा सकता है, वह है कि भारतीय संघ में रहते हुए जम्मू और कश्मीर को कितनी स्वायत्तता दी जा सकती है और जम्मू और लद्दाख को राज्य के संवैधानिक ढांचे में कितनी स्वायत्तता होगी. लेकिन यह सवाल सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष नहीं है. देश में कई राज्य हैं, जो अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं. उदाहरण के लिए तमिलनाडु के संबंध में राजामन्नार आयोग की रिपोर्ट है. लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री करुणानिधि का यह ज़ोरदार बयान भी गर्व के साथ दोहराया जा सकता है. यह बयान उन्होंने हाल में तंजोर की एक आम सभा में दिया है. वे कहते हैं कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता की मांग का मतलब देश का विभाजन हरगिज़ नहीं है. इसका मतलब केवल लोक कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहित करना है. देश की एकता और अखंडता को प्रभावित किए बिना लोगों के लिए राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं जांच कर सकती हैं.

हमारे संविधान में काफी लचीलापन है और हमारे राज्य और केंद्र इतने बुद्धिमान ज़रूर हैं, जो समझते हैं कि स्वायत्तता की मांग की हद क्या होनी चाहिए. अपने देश की विशाल आबादी और विभिन्न समस्याओं को देखते हुए राज्यों को और अधिक स्वायत्तता दिए जाने की वकालत मैं खुद करता रहा हूं. मैं ये भी मानता हूं कि छोटे राज्य बेहतर सरकार दे सकते हैं और लोकतंत्र को जनता के और करीब ला सकते हैं और इसमें भागीदारी की भावना को बढ़ा सकते हैं. इसके अतिरिक्त छोटे राज्य क्षेत्रीय असमानताओं को अधिक तेज़ी से और बिना तनाव के कम कर सकते हैं. साथ में हमेशा से मैं यह जोर देता आ रहा हूं कि संघीय सरकार की मजबूती और अधिकार को कमज़ोर नहीं किया जा सकता और न ही भारत की अखंडता को कमजोर होने दिया जा सकता है. मैं समझता हूं कि इस हद के अंदर आपसी सामंजस्य और एक दूसरे से आदान-प्रदान की काफी गुंजाइश है.

इन्हीं कारणों से मुझे कभी ये शक नहीं रहा कि हमारे राष्ट्र की अखंडता को कोई खतरा है. मैं निश्चिंत हूं कि भारत हमेशा एकजुट रहेगा और मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहेगा. हमारी समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम उनपर काबू पा लेंगे. ख़ुशी की बात यह है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम देश के रूप में बांग्लादेश की आज़ादी और उस आज़ादी के संघर्ष में तथाकथित हिंदू भारत की भूमिका ने देश में हिंदू और मुसलमान दोनों तरह की सांप्रदायिकता के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है. कहते हैं कि आदत धीरे-धीरे जाती है, लेकिन मुझे यकीन है कि बड़े से बड़े धर्मांध को भी इस ऐतिहासिक घटना का संदेश मिल गया होगा. तो क्या मैं भारत सरकार को ये सुझाव दे सकता हूं कि बांग्लादेश से सबक सीखते हुए इस देश में कम से कम उन राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दे, जो नाम और काम से खुलेआम अपने सांप्रदायिक चरित्र की नुमाइश करते हैं. मिसाल के तौर पर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का नाम लिया जा सकता है. जातिवाद बेशक एक बड़ा अभिशाप बना रहेगा, लेकिन यह मुख्य रूप से सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन की पैदावार है. एक सामाजिक संस्था के रूप में जातिवाद की पहले जो भी मान्यता थी, अब वे मान्यताएं नहीं रही हैं. मुझे विश्वास है कि देश जैसे-जैसे विकास करेगा, जातिवाद अपनी मौत खुद मर जाएगा. इसका यह मतलब नहीं है कि प्राचीनकाल की इस बेकार प्रथा (जो मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से जिंदा है) के खिलाफ लगातार जंग की आवश्यकता नहीं है.

भविष्य में भारत के इसी विश्वास के मद्देनजर मैं जम्मू और कश्मीर में धांधली रहित साफ-सुथरे चुनाव कराने की गुज़ारिश करता रहा हूं. मैं सभी संबंधित पक्षों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि राज्य में किसी भी

(शेष पृष्ठ 6 पर)

जयप्रकाश नारायण का इंदिरा गांधी को खत

23 जून 1966

प्रिय इंदिरा जी,

कुछ दिनों पहले जब मैं एक दिन के लिए दिल्ली में था, तो मुझे पता चला कि कश्मीर के सवाल की समीक्षा के लिए 26 तारीख को आपने मिस्टर सादिक और उनके कुछ सहयोगियों को मुलाकात के लिए बुलाया था. उस मीटिंग के महत्व के मद्देनज़र, मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं. मुझे उम्मीद है कि मैं कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा हूं और आप यह भी नहीं सोचेंगी कि मैं आप पर कोई दबाव डाल रहा हूं.

कश्मीर के सवाल को लेकर यह देश 19 वर्षों से परेशान है. इसकी कीमत हमने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से चुकाई है. हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन कश्मीर में ताकत के बल पर शासन करते हैं. हम अपने आपको बहलाते रहे हैं कि बख्शी साहब के नेतृत्व में हुए दो आम चुनावों ने जनता की इच्छाओं को व्यक्त कर दिया है और ये कि जनता के एक छोटे हिस्से पाकिस्तान समर्थक गद्दारों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए सादिक सरकार लोकप्रिय बहुमत पर आधारित सरकार थी. हमलोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद को येन-केन-प्रकारेण दबाव डालकर स्थापित करने का प्रयास करने देते हैं.

कश्मीर ने दुनिया भर में भारत की छवि को जितना धूमिल किया है, उतना किसी और मसले ने नहीं किया है. रूस समेत दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, जो हमारी कश्मीर संबंधी नीतियों की तारीफ करता हो, यद्यपि उनमें से कुछ देश अपने कुछ वाजिब कारणों से हमें समर्थन देते हैं.

ये कोई मायने नहीं रखता कि कितना अधिक, कितने जोर से और कितने लंबे समय से हम इस बात पर गुमान करते रहें कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसलिए कोई कश्मीर समस्या नहीं है. इसके बावजूद यह तथ्य अपनी जगह मौजूद है कि देश के उस हिस्से में हम एक गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या का सामना करते आ रहे हैं. वह समस्या इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर पर कब्ज़ा करना चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वहां जनता में गहरा और व्यापक राजनीतिक असंतोष है. देश की जनता को कश्मीर घाटी की वास्तविक स्थिति के बारे में अंधकार में रखा जा सकता है. लेकिन नई दिल्ली स्थित सभी विदेशी दफ्तर और सभी विदेशी संवाददाताओं को सच का पता है. यह लग सकता है कि हमारे खुफिया तंत्र को छोड़ कर सभी को सच का पता है. हमें भी तथ्यों की जानकारी है, लेकिन हम उनका सामना नहीं करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई (शायद सादिक साहब या कासिम साहब) एक दिन जादू की छड़ी घुमाएगा और पूरी घाटी में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव हो जाएगा.

कुछ ऐतिहासिक घटनाओं ने, जिनमें से कुछ हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं हैं, ने हमारी कार्यकुशलता (जो भारत सरकार को अब तक आ जानी चाहिए थी) को संकुचित करने का काम किया है. उदाहरण के लिए, अब राज्य के किसी भी हिस्से का किसी भी तरह से अलग होने का प्रयास अव्यावहारिक है, इस संदर्भ में यह बात मायने नहीं रखती कि यह लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के कितने अनुरूप है. जो भी समाधान होगा, वह अधिग्रहण की परिधि में ही होगा.

और यहीं पर शेख साहब की भूमिका निर्णायक हो सकती है. मैं उनकी रिहाई की बात इसलिए नहीं करता हूं कि वे मेरे मित्र हैं. निश्चित रूप से मित्रता प्रत्येक मानवीय परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे अंदर इतना नैतिक अनुशासन है कि मैं अपने सर्वप्रिय लोगों को, यदि इन्साफ का तक़ाज़ा यही हो तो, बिना किसी विरोध के फांसी पर चढ़ जाने दूं. यही बात राष्ट्रीय हित के मामलों में भी कह सकता हूं, लेकिन कई बार यह तय करना संभव नहीं होता है कि हमारे राष्ट्रीय हित क्या है? विभिन्न व्यक्ति, जो एक समान देशभक्त हैं, एक निश्चित परिस्थिति में इसकी अलग-अलग व्याख्या करते हैं.

इस लिहाज़ से मैं यह कहना चाहूंगा कि शेख अब्दुल्ला को उन पर लगे आरोपों के खिलाफ खुद को बेदाग साबित करने का अवसर दिए बिना गिरफ्तार करना न्यायसंगत नहीं था. अपनी तरफ से उन्होंने देश लौटने का फैसला लेकर अपनी वास्तविकता को बेहतर तरीके से स्थापित कर अपने विरोधियों का बेहतर तरीके से जवाब दिया है.

मैं ये भी नहीं सोचता हूं कि वे देश के गद्दार हैं. गोडसे ने सोचा था कि गांधी जी गद्दार थे. आरएसएस समझता है कि जयप्रकाश गद्दार हैं. गोडसे एक व्यक्ति था, जबकि आरएसएस एक निजी संगठन है. एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसके अनुरूप वह कार्य करती है. भारत सरकार किसी को गद्दार नहीं करार दे सकती, जब तक पूरी कानूनी प्रक्रिया से ये साबित न हो जाए कि वह गद्दार है. अगर सरकार ऐसा करने में अपने को असमर्थ पाती है, तब डीआईआर का प्रयोग करना और लगातार प्रयोग करना कायरतापूर्ण है, उस समय भी जब देश की सुरक्षा को कोई खतरा महसूस न हो.

मैं सोचता हूं कि चाऊएन लाई से मिलने का फैसला शेख साहब का एक अविवेकपूर्ण निर्णय था. लेकिन इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. कोई भी साफ दिल का व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि यह एक देशद्रोही कदम था. जब चीन ने 1962 में आक्रमण किया था, तब क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी वेदना प्रकट नहीं की थी? क्या उन्होंने 25 मई 1964 को रावलपिंडी में चौधरी गुलाम अब्बास को चीनी हस्तक्षेप की मांग करने के लिए सार्वजनिक रूप से डांट नहीं लगाई थी? लंदन में, क्या उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन (टाइम्स 19 मार्च 1965) में यह नहीं कहा था कि चीन का लद्दाख पर दावा करना अमान्य है. शेख के विदेशों में दिए गए बयानों पर तरह-तरह की बातें की गईं. मुझे संदेह है कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, तो उनके बयान जो विदेशी मीडिया में प्रकाशित हुए हैं और जिसे देश की मीडिया ने विकृत रूप में पेश किया है, में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे भारत में नहीं कहते रहे हों. मैं इस बात से सहमत हूं कि ज्यादा बेहतर ये होता कि शेख साहब कम बोलते और सतर्कता के साथ अपनी बातें रखते. लेकिन शेख साहब जैसी शख्सियत से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे अपने आप को बदलेंगे, वे बिलकुल चुप नहीं रह सकते हैं. यह हम भारतीयों की एक आम कमजोरी है. क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी बारी से पहले बयान नहीं दिए हैं? यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू के जीवनकाल में भी ऐसा होता रहा था.

मैं इस अध्याय को शेख साहब के एक बयान के हवाले से समाप्त करना चाहता हूं. विदेश यात्रा पर जाने से

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कश्मीर एक मानवीय समस्या है

पृष्ठ 5 का शेष

चुनाव को साफ-सुथरा नहीं कहा जा सकता है, जबतक निर्वासित नेताओं को समय रहते राज्य में आने नहीं दिया जाता. मैं यह ज़रूर स्वीकार करूंगा कि मैं जनमत संग्रह से पाबंदी हटाने का पक्षधर नहीं हूं. जनमत संग्रह (प्लेबेसाइट) अब बेमानी हो चुका है और यहां तक कि मौजूदा संदर्भ में यह राजद्रोह का मामला हो गया है. मैं उम्मीद करता हूं कि मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग और उनके सहयोगियों को इतनी समझ होगी कि वे मौजूदा स्थिति को समझ सकें (जैसा कि श्री भुट्टो न चाहते हुए भी धीरे-धीरे समझने लगे हैं) और हालात का पुनर्मूल्यांकन करके खुद को एक वास्तविक भारतीय पक्ष के रूप में ढाल लेंगे. मैं आपके (संपादक के) साथ पूरी तरह से सहमत हूं, जब आप ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार हम किस से डर रहे हैं?

मौजूदा कानून देशद्रोह की किसी भी गतिविधि से अच्छी तरह से निपटने के लिए पर्याप्त है. मुझे इसका भी विश्वास है कि कश्मीर घाटी के लोगों ने आत्म निरीक्षण किया होगा और धर्म के आधार पर पाकिस्तान के लिए उनके मन में जो भी बेहतर सोच होगी, वह बांग्लादेश की घटना के बाद समाप्त हो गई होगी. जम्मू और कश्मीर के लोग खास तौर पर यहां के मुसलमान नागरिक भारत और पाकिस्तान (अब उसका जो भी हिस्सा अब शेष बचा है) के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध स्थापित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकने की स्थिति में हैं. जैसा कि प्रधानमंत्री और मेरे समेत अनगिनत लोग कह रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ किसी तरह की दुर्भावना नहीं रखता और न ही पाकिस्तान के विघटन की इच्छा रखता है. शेष पाकिस्तान का विघटन अनगिनत समस्याएं पैदा करेगा, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि भारत और पूरे उपमहाद्वीप के लिए भी, जो विश्व की महाशक्तियों को बिगड़े हुए हालात में यहां के मामलों में हस्तक्षेप करने का मौक़ा देगा.

जब स्वायत्तता की मांग पर शेख मुजीबुर्रहमान ने 7 मार्च 1971 को अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो बांग्लादेश पर अपने पहले बयान में मैंने कहा था कि पाकिस्तान की अखंडता बंगबंधु (शेख मुजीबुर्रहमान) के हाथों में नहीं है, बल्कि याहिया खान और उनकी सरकार के हाथों में है. उस बयान के कुछ प्रासंगिक अंश का यहां मैं हवाला देना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा संकट के लिए यह मुनासिब है-

मुझे यह स्पष्ट कर लेने दीजिए कि जैसे मैं अपने देश की अखंडता में विश्वास रखता हूं, उसी तरह मैं पाकिस्तान को टूटते हुए भी नहीं देखना चाहता. पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासन द्वारा नरसंहार के बावजूद शेख मुजीबुर्रहमान अपने राज्य के लिए पूर्ण स्वायत्तता से अधिक कुछ भी नहीं मांग रहे हैं. पाकिस्तान से अलग होने का आखिरी फैसला उन्हें नापसंद है. ये उनके व्यक्तित्व की पहचान है. उनको स्वयं द्वारा खिंची गई रेखा की हद में रखना पश्चिमी पाकिस्तान के नागरिकों और सैनिक प्रशासन की ज़िम्मेदारी है. हमें आशा करनी चाहिए कि पश्चिमी पाकिस्तान में इतनी समझ होगी कि वह उन्हें इस हद से बाहर निकलने पर मजबूर नहीं करेगा.

लेकिन अफ़सोस, बाद की घटनाओं ने ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान में ये समझ नहीं थी. उसने निक्सन और किसिंजर जैसे दुराग्रही दोस्तों की मदद से भारत को शांति का दुश्मन साबित करने की कोशिश की. बाकी बचे पाकिस्तान की अखंडता पहले की तरह ही भारत के बजाए खुद पाकिस्तान के हाथों में है. भारत ने खान अब्दुल वली खान या बलूच गांधी अब्दुस समद खान के बजाए खुद राष्ट्रपति भुट्टो पर अपना रुख स्पष्ट किया है. भुट्टो को भी उसी तरह के सवालों का सामना करना है कि क्या उनमें पाकिस्तान के अलग-अलग गिरोहों के लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की कद्र करने की समझ है? पाकिस्तान एक समरूप देश नहीं है और केवल इस्लाम के नाम पर उसे एक नहीं रखा जा सकता है. शेख मुजिबुर्रहमान को फांसी पर चढ़ाने के राष्ट्रपति याहिया खान का आदेश मानने से इंकार करके भुट्टो (जो उस वक़्त विदेश मंत्री थे) ने अपनी सियासी दृढ़ता और दूरदर्शिता का सबूत दिया था. मैं उम्मीद करता हूं कि वह न केवल बलूचिस्तान और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, बल्कि खुद अपने प्रांत सिंध की स्वायत्तता की मांग पर वैसी ही दूरदर्शिता दिखाएंगे. बलूचिस्तान और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में नेशनल आवामी पार्टी और जमीअतुल उलेमा-ए-पाकिस्तान का गठबंधन (जिनकी इन प्रांतीय एसेंबली में बहुमत है) को सत्ता सौंपने से इंकार करना शुभ संकेत नहीं है. वे भी याहिया खान की गलतियों को दुहरा रहे हैं.

> **बहरहाल, भारत सरकार की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के क्षेत्र में और सेकुलरिज्म और लोकतंत्र के हमारे आदर्शों के प्रति एक बड़ी सेवा होगी, यदि वह साहस दिखाते हुए कश्मीर के निर्वासित नेताओं को घर वापस लौटने देती है और आने वाले चुनावों में एक समान अधिकार वाले नागरिक की हैसियत से अपनी सही भूमिका निभाने देती है. क्योंकि इस मुकाम पर कोई दूसरा रास्ता अदूरदर्शी और संकीर्ण मानसिकता का परिचायक होगा और खतरों से भरा होगा.**

ऐसे हालात में यदि जम्मू और कश्मीर के मुसलमान सच्चाई को स्वीकार करते हुए अंततः भारत के वफादार नागरिक के तौर पर रहने का मन बना लेते हैं, तो ऐसा कर वे न केवल अपनी प्रगति, विकास और कल्याण में योगदान देंगे, बल्कि पाकिस्तान में गड़बड़ी फ़ैलाने वाले तत्वों को कमज़ोर कर उसकी अखंडता को भी बचाने का काम करेंगे. ये तत्व अपने देश के नवनिर्माण और उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने, सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से अपनी जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं.

बहरहाल, भारत सरकार की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के क्षेत्र में और सेकुलरिज्म और लोकतंत्र के हमारे आदर्शों के प्रति एक बड़ी सेवा होगी, यदि वह साहस दिखाते हुए कश्मीर के निर्वासित नेताओं को घर वापस लौटने देती है और आने वाले चुनावों में एक समान अधिकार वाले नागरिक की हैसियत से अपनी सही भूमिका निभाने देती है. क्योंकि इस मुकाम पर कोई दूसरा रास्ता अदूरदर्शी और संकीर्ण मानसिकता का परिचायक होगा और खतरों से भरा होगा.

जैसा कि आपने अपने संपादकीय में कहा है कि नगा विद्रोहियों, जो भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला रहे हैं, को दिल्ली लाया गया और प्रधानमंत्री ने खुद उनसे बातचीत की और उस राज्य में अशांति के बावजूद वहां साफ-सुथरे चुनाव कराए गए, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं. शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों के चुनाव से पहले घर वापसी में मुझे कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा है. ऐसे में भारत अपना सर ऊंचा कर दुनिया को यह दिखा सकेगा कि जिन आदर्शों के लिए उसने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए एक बड़ा खतरा मोल लेकर उनका समर्थन किया था, उन्हीं आदर्शों को उसने बेझिझक अपने देश में अपनाया.

एक आखिरी बिंदु, हालांकि यह जम्मू और कश्मीर में चुनाव से संबंधित नहीं है, लेकिन इस विवाद के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और जो पाकिस्तान और कुछ बड़ी शक्तियों द्वारा पोषित है. ये बिंदु है सीजफायर लाइन (युद्ध विराम रेखा या नियंत्रण रेखा) की. इतने वर्षों बाद और इस रेखा के उस पार से पाकिस्तान के कम से कम तीन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमलों के बाद और हालिया पाक-भारत युद्ध के बाद सीजफायर लाइन की कोई वास्तविकता और औचित्य नहीं है. यह ऐसा बिंदु है, जिसपर देश और सरकार एकमत हैं. कुछ पागल और हाशिए के लोगों को छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि कोई ताक़त का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जम्मू और कश्मीर में मिलाना चाहता है. लेकिन एक आम राय यह है कि नियंत्रण रेखा और संयुक्त राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षक (जिनकी शांति कायम रखने में भूमिका शून्य है) अब बेकार हो चुके हैं. लिहाज़ा इस बिंदु पर भी एक राष्ट्रीय आम सहमति बन चुकी है कि तथाकथित नियंत्रण रेखा को युक्तिसंगत बना कर उसे दोबारा खींच कर एक स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रूप दे दिया जाए, जो भारत की सुरक्षा की गारंटी देगा और पाकिस्तान को यहां गड़बड़ी फैलाना मुश्किल हो जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो संयुक्त राष्ट्र की इस क्षेत्र में उपस्थिति गैरज़रूरी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हो जाएगी. मैं समझता हूं कि भारत के बाहर भी अब यह एहसास हो रहा है कि असली सीजफायर लाइन तर्कहीन थी और जल्दबाजी में खिंची गई थी. उसे खींचते समय वहां की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता और वहां के लोगों (खास तौर पर महाराजा और उनके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला) की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया था.

यह एक ऐसा मुद्दा है जिसपर कुछ न कुछ आदान-प्रदान की नीति ज़रूरी होगी. हमें आशा करनी चाहिए कि राष्ट्रपति भुट्टो वास्तव में शांति चाहते हैं और भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं, जो बेशक दोनों देशों के हित में है. ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय साजिशें भी समाप्त हो जाएंगी, जिनकी वजह से अतीत में काफी गड़बड़ियां पैदा हुईं. मुझे विश्वास है कि यदि भुट्टो समय को पहचानते हुए, किसी के हाथों का खिलौना बने बगैर और ऐतिहासिक तथ्यों को कबूल करते हुए भारत के साथ स्थाई शांति और आपसी सहयोग की इच्छा करते हैं, तो भारतीय सरकार भी इस दिशा में पीछे नहीं हटेगी. ■

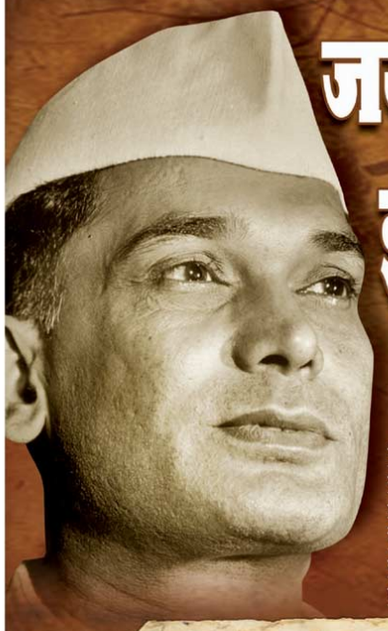

जयप्रकाश नारायण का इंदिरा गांधी को खत

23 जून 1966

मैं शेख अब्दुल्ला की रिहाई की वकालत क्यों करता हूं? क्योंकि यह हम लोगों को कश्मीर समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध करा सकता है. कैसे? क्योंकि अगर कश्मीर के भविष्य को लेकर भारत सरकार उनके साथ कोई समझौता करने में सफल हो जाती है, (जो अधिग्रहण की सीमाओं के दायरे में होगा) तो शेख अब्दुल्ला एकमात्र ऐसे कश्मीरी नेता हैं, जो कश्मीर घाटी के मुसलमानों के जनमत को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं. मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट है कि भारतीय संघ इस संबंध में अंतिम हद तक जा सकता है और वह है पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, जो अधिग्रहण की मूल शर्तों के मुताबिक होगा.

पृष्ठ 6 का शेष

पूर्व 10 फरवरी 1965 को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में एक स्वागत समारोह में उन्होंने कहा था कि हमारे आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार भारत हमारी जन्मभूमि है. भगवान न करे, अगर ऐसा होता कि भारत वैसा नहीं रहता जैसा अभी है और खंडित हो जाता है तो दूसरों को कौन बचाएगा? हमें समस्या को इस नजरिए से भी देखना चाहिए.

मैं शेख की रिहाई की मांग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वे मेरे दोस्त हैं या मैं नागरिक स्वतंत्रता से सरोकार रखता हूं. इस संदर्भ में मेरी प्राथमिक रुचि कश्मीर समस्या के समाधान खोजने की दिशा में है. जैसा कि मैं देख पाता हूं कि अगर इस समस्या का कोई समाधान संभव है, तो वह शेख अब्दुल्ला के सहयोग से ही संभव है. हालांकि मैं इस बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है. जो विचार मेरे सामने हैं, वे स्पष्ट रूप से शेख अब्दुल्ला की बिना शर्त रिहाई के पक्ष में हैं. उसमें जोखिम हो सकता है, लेकिन यह जोखिम तो हर बड़े राजनीतिक और सैनिक निर्णय में लेना होता है. वास्तव में, यह जोखिम मानव के अधिकतर निर्णयों में रहता है, यहां तक कि जब दो लोग शादी करने का निर्णय लेते हैं, तब भी रहता है.

यहां मैं विषय से थोड़ा अलग हटना चाहूंगा. ऐसा महसूस होता है कि नंदाजी, श्री आरके पाटील से कहते हैं कि जयप्रकाश कश्मीर मसला और शेख अब्दुल्ला के सवाल पर जन भावनाओं से पूरी तरह से नावाकिफ हैं. मैं सोचता हूं कि हमारे अधिकतर सहयोगी भी कुछ ऐसा ही विचार रखते हैं. इसलिए मैं कुछ बातें कहकर इसे स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आपके सहयोगियों को एक सही फैसले तक पहुंचने में मदद करेगी.

सबसे पहले, कुछ लोगों ने, जिनमें छिपे हुए वामपंथी और सभी हिंदू राष्ट्रवादी शामिल हैं, ने जयप्रकाश नारायण की एक खास छवि प्रस्तुत की, जिसमें उन्हें एक बेवकूफ आदर्शवादी और छिपे हुए गद्दार के रूप में पेश किया गया. वे उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं. उदाहरण के लिए, ऐसा मान लिया जाता है कि मैं नगाओं के लिए नगालैंड और पाकिस्तानियों को कश्मीर सौंपने की वकालत करता हूं. लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है. यहां तक कि अक्साई चीन के मामले में, मैंने एक लीज (एक अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त लेन-देन, जिसपर हाल में भारत-नेपाल समझौते में भारत ने सहमति दी है) का सुझाव दिया था. यह सलाह लेन-देन के प्रस्ताव पर आधारित था, जैसा कि चीन, भारत की चुम्बी घाटी या फिर 2500 मील के बॉर्डर पर किसी अन्य जगह के लिए भारत की मांग पर सहमत हो जाता है. लेकिन मेरी एक गलत छवि बनाकर पेश की गई, जिससे दूसरों के लिए आलोचना करना आसान हो गया.

लेकिन ये काम जयप्रकाश के प्रति लोगों के स्नेह को कम नहीं कर सका. मैं बिना लाग-लपेट के जोर देकर ये कहना चाहता हूं कि आपको छोड़कर आपकी सरकार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मेरी तरह लगातार और व्यापक रूप से लोगों के संपर्क में रहता हो. मैं रोज जनसभाओं को संबोधित करता हूं और मेरा अनुभव ये है कि लोग मुझे पूरी तरह से ध्यान लगाकर सुनते हैं और उसके बाद लोग मेरी बातों पर सहमति जताने के लिए आते हैं और कहते हैं कि उन्हें पूरी तरह से भ्रामक जानकारी दी गई थी. और जो मैं बातें कह रहा हूं, उससे वे पूरी तरह से सहमत हैं. पश्चिम पाकिस्तान की यात्रा के बाद दिल्ली में मेरी सिर्फ दो सभाओं में लोगों ने हंगामा किया और ये हंगामा खड़ा करने वाले आरएसएस के लोग थे, जो कुंद दिमाग के लोग थे. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग जो मुझे सुन रहे थे, उकसाने वाले लोग थे, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जिस दृढ़ता और विश्वास के साथ मैंने अपनी बात रखी, वो लोगों की समझ से परे नहीं थी.

अंत में, (विषयांतर से पहले) मैं यह कहना चाहूंगा कि देश के नेता जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं. नेतृत्व करना नेताओं का काम है, लेकिन उनमें से ज्यादातर इतने डरपोक हैं कि अलोकप्रिय नीतियों पर वे सच्चाई बयान नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर सकते हैं. जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने लोगों पर विश्वास करता हूं. वे बुद्धिमान और अच्छे हैं. अगर उनके सामने सभी तथ्य रखे जाएं, तो वे सही फैसला लेने में सक्षम हैं. बिना आपकी झूठी तारीफ के मैं यहां कहना चाहूंगा कि हाल में आपके द्वारा उठाए गए साहसिक कदम से आपने यह दिखा दिया है कि आपने जनता को एक उचित और साहसिक नेतृत्व दिया है.

इस पत्र के मूल उद्देश्य की तरफ लौटते हुए, मैं शेख अब्दुल्ला की रिहाई की वकालत क्यों करता हूं? क्योंकि यह हम लोगों को कश्मीर समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध करा सकता है. कैसे? क्योंकि अगर कश्मीर के भविष्य को लेकर भारत सरकार उनके साथ कोई समझौता करने में सफल हो जाती है, (जो अधिग्रहण की सीमाओं के दायरे में होगा) तो शेख अब्दुल्ला एकमात्र ऐसे कश्मीरी नेता हैं, जो कश्मीर घाटी के मुसलमानों के जनमत को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं. मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट है कि भारतीय संघ इस संबंध में अंतिम हद तक जा सकता है और वह है पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, जो अधिग्रहण की मूल शर्तों के मुताबिक होगा.

इस जगह पर कुछ सवाल पैदा होते हैं. क्या शेख साहब किसी ऐसी स्थिति के लिए सहमत होंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया, तो क्या वे कश्मीरियों को इस बात पर सहमति के लिए अपने पीछे गोलबंद कर सकेंगे? क्या स्वायत्त कश्मीर देर-सबेर भारतीय संघ से अलग होने की कोशिश नहीं करेगा?

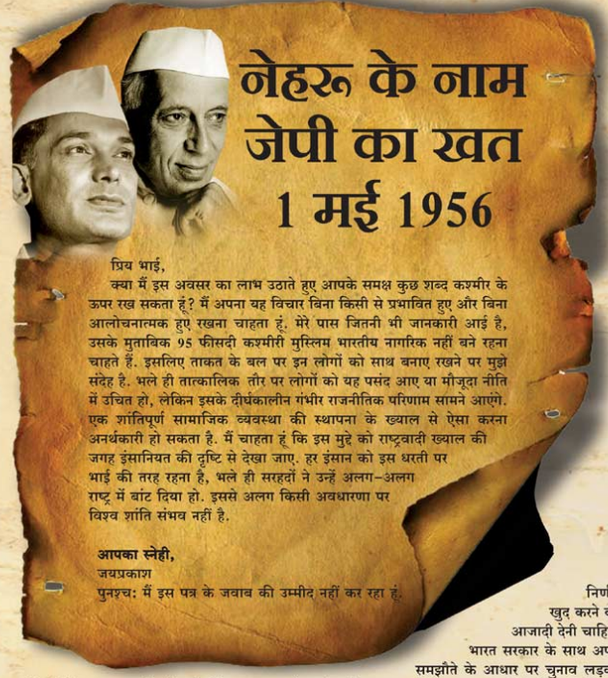

नेहरू के नाम जेपी का खत

1 मई 1956

प्रिय भाई,

क्या मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपके समक्ष कुछ शब्द कश्मीर के ऊपर रख सकता हूं? मैं अपना यह विचार बिना किसी से प्रभावित हुए और बिना आलोचनात्मक हुए रखना चाहता हूं. मेरे पास जितनी भी जानकारी आई है, उसके मुताबिक 95 फीसदी कश्मीरी मुस्लिम भारतीय नागरिक नहीं बने रहना चाहते हैं. इसलिए ताकत के बल पर इन लोगों को साथ बनाए रखने पर मुझे संदेह है. भले ही तात्कालिक तौर पर लोगों को यह पसंद आए या मौजूदा नीति में उचित हो, लेकिन इसके दीर्घकालीन गंभीर राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे. एक शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के ख्याल से ऐसा करना अनर्थकारी हो सकता है. मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को राष्ट्रवादी ख्याल की जगह इंसानियत की दृष्टि से देखा जाए. हर इंसान को इस धरती पर भाई की तरह रहना है, भले ही सरहदों ने उन्हें अलग-अलग राष्ट्र में बांट दिया हो. इससे अलग किसी अवधारणा पर विश्व शांति संभव नहीं है.

आपका स्नेही,
जयप्रकाश
पुनश्च: मैं इस पत्र के जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा हूं.

नंदाजी ने यह पूछकर कि शेख के विचार बदल चुके हैं, क्या इसका कोई प्रमाण है, पूरे मुद्दे पर लीपापोती करने का प्रयास किया है. इससे पहले वे कुछ और सोचते थे. श्री राधाकृष्णन और श्री नारायण देसाई का शेख अब्दुल्ला के साथ मीटिंग का जिक्र करते हुए 26 नवंबर 1965 को राज्य सभा में नंदाजी ने कहा था कि सर्वोदय नेताओं की मुलाकात ने एक बहुत सकारात्मक संकेत दिया था. अगर इसे मान भी लिया जाए कि शेख नहीं बदले हैं, तो भी उनके बारे में कही गई सभी बातें मेरे लिए बचकानी प्रतीत होती हैं. किसी आदमी को अधिक लचीला बनाने के लिए जेल में रखना सही रास्ता नहीं है. नंदाजी ने ब्रिटिश भारतीय जेल में रहकर स्वयं के अनुभव से यह बात ज्यादा सीखी होगी.

इसके अतिरिक्त, शेख बदल चुके हैं, की सरकारी घोषणा कर उन्हें रिहा कर दिया जाए, तो क्या होगा? उसके बाद अगर शेख श्रीनगर पहुंचेंगे तो क्या भीड़ शेर-ए-कश्मीर जिंदाबाद या भारत का पिट्ठू मुर्दाबाद जैसे नारे लगाएगी. कश्मीरियों को एक बेहतर भारतीय नागरिक बनाने के लिए राजी करने के लिए शेख के पास क्या रास्ता रह जाएगा? ये सभी चीजें इतनी स्पष्ट हैं. यह आश्चर्यजनक है कि क्यों गृहमंत्री इसे देख नहीं पा रहे हैं.

इसके उलट, मैं निश्चित हूं कि शेख साहब रिहाई के बाद कश्मीरियों के अधिकार (अपने भविष्य का निर्णय करने) के सवाल को बार-बार दोहराएंगे. वे फिर घोषणा करेंगे कि अधिग्रहण अंतिम नहीं था और तथाकथित आम चुनाव जनता की इच्छा को अभिव्यक्त नहीं करते हैं. हमलोगों को यह सब समझने के लिए अधिक परिपक्वता दिखानी होगी और उन पर पाकिस्तानी एजेंट का अभियोग नहीं लगाना होगा. वह कभी नहीं कहेंगे कि कश्मीरी भारत के अंदर स्वायत्तता की स्थिति पर सहमति दे दें क्योंकि ये सिर्फ कश्मीरी ही हैं जिन्हें यह निर्णय लेना है. इसके बाद अगर वे बाहर आते हैं और घोषणा करते हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान कश्मीर विधानसभा चुनाव और दो आम चुनावों के जरिए हो चुका है, जब वे जेल में थे, तब उनकी बातों का बख्शी साहब और सादिक साहब की तरह कोई महत्व नहीं रह जाएगा.

सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शेख अब्दुल्ला किस तरीके से चाहते हैं कि कश्मीरी अपने भविष्य का फैसला करें? मैं निश्चित हूं कि वे जनमत संग्रह नहीं चाहेंगे. तब कैसे? एक रास्ता है. और इन परिस्थितियों में सबसे बेहतर भी कि 1967 के आम चुनाव में लोगों को इस बात का निर्णय खुद करने की आजादी देनी चाहिए. भारत सरकार के साथ अपने समझौते के आधार पर चुनाव लड़कर शेख ऐसा कर सकते है. क्या कश्मीर के निवासी केंद्र के अधीन अधिक स्वायत्तता जैसी स्थिति पर खुश होंगे? मैं सोचता हूं, वे इसके लिए तैयार होंगे, अगर शेख साहब उनसे स्पष्ट रूप से कहें कि यह अपने आप को आत्म विनाश से सुरक्षित रखने का एकमात्र रास्ता है, नहीं तो उनका क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का क्षेत्र बनकर रह जाएगा. अगर यह दिखाया जाए कि उन्होंने अपने वास्तविक नेताओं के नेतृत्व में चुनाव के जरिए स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लिया है, तब पाकिस्तान को उनके मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं होगा. यह भारत-पाकिस्तान मैत्री की दिशा में सबसे बेहतर रास्ता होगा. तभी भारतीय पुलिस की ज्यादतियों से उन्हें छुटकारा मिलेगा और वे पूरी स्वतंत्रता का मजा ले सकेंगे, वैसी जिंदगी जी सकेंगे, जैसी जिंदगी वे जीना चाहते हैं. अगर यह सब उनके नेतृत्व में हो, जिसे वे अपना नेता मानते हैं, तब मुझे पूरी उम्मीद है कि वे लोग बिना विरोध के अपनी इच्छा से इसे स्वीकार कर लेंगे.

मुझसे पूछा जा सकता है कि किस आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि शेख अब्दुल्ला भारत के अंदर स्वायत्तता को स्वीकार कर लेंगे. बहस के एक हिस्से के रूप में, मैंने मीडिया को दिए बयान में कहा था, जिसे तब आप और आपकी सरकार की नोटिस में भी यह बात ली गई थी, उसी बात को मैं नीचे जस का तस रख रहा हूं.

कई वर्षों से माना जाता है कि शेख साहब कश्मीर के पाकिस्तान के साथ विलय के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने निस्संदेह एक स्वतंत्र कश्मीर के विचार का समर्थन किया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वे एक यथार्थवादी होने के नाते ये महसूस करेंगे कि...

1. पाकिस्तान से पिछले युद्ध के बाद, भारत कश्मीर समस्या के किसी ऐसे हल पर, जिसमें संघ से अलग होने की बात हो, पर राजी नहीं होगा.

2. दुनिया के एक ऐसे हिस्से में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जीवित रहने की संभावना बहुत कम है, जहां पाकिस्तान कश्मीर घाटी को हड़पने की इच्छा रखता हो और चीन उस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा हो.

इस बहस को आगे बढ़ाते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि शेख साहब ने नारायण और राधाकृष्णन से कहा था कि वे कश्मीर के पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता की स्थिति पर भी तैयार हो जाएंगे, बशर्ते इस स्वायत्तता को धीरे-धीरे कम नहीं किया जाए और राज्य के आंतरिक मामलों में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करे. अंतिम साक्ष्य के रूप में मेरे पास गुल शाह की रिपोर्ट है, जिससे जेजे पूर्ण रूप से आपको अवगत करा चुके हैं.

मैं मानता हूं कि मेरा केस पूरी तरह से फुलप्रूफ नहीं है. ऐसा कोई केस होता भी नहीं है. नंदा जी का केस भी ऐसा नहीं है. शेख अब्दुल्ला को जेल में रखकर कश्मीर में आम चुनाव कराना वैसा ही है, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद कर ब्रिटिश भारत में एक आम चुनाव का आदेश दे. कोई भी खुले दिमाग का व्यक्ति इसे निष्पक्ष चुनाव नहीं मानेगा. तब यह चुनाव भी पहले के दो आम चुनावों की तरह कोई राजनीतिक समाधान नहीं दे सकेगा. और अगर हमलोग अगले चुनाव के दौरान केंद्र के अधीन रहने के मसले पर कश्मीर की जनता की सहमति हासिल करने के अवसर को गंवा देते हैं तो भारत के पास इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं होगा. ऐसा सोचना कि आखिरकार हमलोग वहां के निवासियों को काबू में कर लेंगे और ताकत का प्रयोग कर कम से कम केंद्र के साथ सहयोग के लिए राजी कर लेंगे, अपने को भ्रम में रखना है. वर्तमान स्थिति में वहां की जनता के बीच असंतोष को देखते हुए इसे पाकिस्तान के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए. देर-सबेर चीन भी बहती गंगा में हाथ धो लेने से पीछे नहीं रहेगा. अगर कश्मीर की जनता के बहुमत से इस मुद्दे का समाधान ढूंढ लिया जाता है, तो वहां गड़बड़ी फैलाने वाली बाह्य शक्तियों के लिए कश्मीर एक ऐसी उर्वर भूमि नहीं रह जाएगी, जहां वे गड़बड़ी कर सकें. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है. कोई भी उत्तरदायी सरकार फिर हमपर इल्जाम नहीं लगा सकेगी.

जो दूसरा सवाल पूछा जा सकता है वो ये कि क्या शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत करेंगे? हां, उन्होंने भारत-पाक युद्ध को ध्यान में रखते हुए दो सर्वोदयी मित्रों से कहा था कि वे अपने आप को भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए तैयार कर रहे थे. उन्होंने कहा था कि पहले स्टेज का मतलब यह है कि पाकिस्तान को बाद में इसमें शामिल किया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि वह भारत सरकार और उनके बीच हुए समझौते पर अपनी सहमति दे. मैं इस प्रयोग में कोई भी अप्रिय बात नहीं देखता हूं. देर-सबेर कश्मीर के मसले से जुड़े किसी भी वास्तविक समझौते पर पाकिस्तान की सहमति ली जा सकती है, ताकि सीमा पर युद्धविराम को लागू किया जा सके और दो देशों के बीच के तनाव को, जिसका बुरा असर कश्मीर पर पड़ता है, को कम किया जा सके. भारत के साथ समझौते पर पाकिस्तान की सहमति लेने की शेख साहब की चिंता पर नाराज हुए बिना हमलोगों को खुद पहल करनी चाहिए और इस संदर्भ में उनके ओहदे का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

मैं एक लंबा पत्र लिखने के लिए आपसे माफी चाहता हूं. लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह मेरा देश के प्रति कर्तव्य था कि इन विचारों को आपके और आपके सहयोगियों के सामने रखूं. ■

आपका शुभेच्छु
जयप्रकाश नारायण

10 अक्टूबर 1968 को जम्मू और कश्मीर स्टेट पीपुल्स कन्वेंशन में

जयप्रकाश नारायण का उद्घाटन भाषण

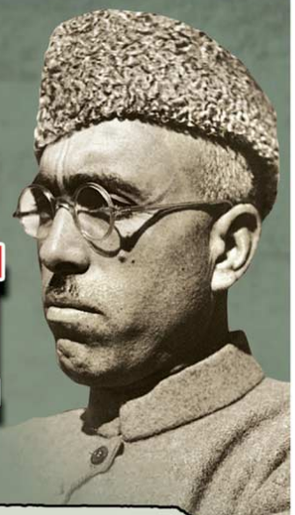

दोस्तो,

मैं शेख अब्दुल्ला का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया. शायद आपको मालूम हो कि मैं यहां आने से थोड़ा झिझक रहा था. दरअसल शुरू में मेरा फैसला नकारात्मक था, लेकिन दो बातों ने मुझे यहां आने पर राज़ी किया. पहला, शेख साहब के लिए मेरे मन में स्नेह और सम्मान और दूसरा, शायद मेरे दिल की गहराइयों से निकली बेलाग बातें, जहां एक ओर एक व्यावहारिक निर्णय तक पहुंचने में आपके लिए सहायक होंगी, वहीं दूसरी ओर भारत की आम राय को भी प्रभावित करेंगी और वो भी यहां के हालत को एक यथार्थवादी और रचनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे.

इस सम्मेलन के विषयवस्तु में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस राज्य और देश के अन्य भागों के उन लोगों के संबंध में कुछ कहूं, जो ये दावा करते हैं कि कश्मीर समस्या में अब हल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है. कश्मीर भारत का वैसा ही अभिन्न अंग है, जैसा उत्तर प्रदेश है. हालांकि वे तमाम लोग, जो इस विचार के प्रचारक हैं, वे भी दरअसल इस सवाल पर एकमत नहीं हैं. मिसाल के तौर पर एक तरफ भारतीय जन संघ है और दूसरी तरफ कांग्रेस और सरकार के कुछ लोग हैं, जो चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया जाए और कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ एकीकृत कर दिया जाए और देश के अन्य भागों के नागरिकों को वहां जाने और ज़मीन खरीद कर बसने की आज़ादी दी जाए. यहां मुख्यमंत्री जीएम सादिक जैसे लोग भी हैं, जो कहते हैं कि कश्मीर वास्तविक रूप से भारत का अभिन्न अंग है, हालांकि वे मानते हैं कि राज्य की स्वायत्तता का मामला बहस का मामला है. इस आम मुद्दे के कई नजरिये हैं, जैसे (क) जम्मू को राज्य से अलग कर देना चाहिए या (ख) इस क्षेत्र को राज्य के भीतर कुछ स्वायत्तता देनी चाहिए. इन दोनों नज़रियों के कुछ मध्यवर्ती नजरिए भी हैं.

दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला और उनसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं, जो इस विचार पर सहमत नहीं हैं कि राज्य का अधिग्रहण (एक्सेशन) अंतिम और अटल है. अगर शेख साहब समान विचारों वाले चंद लोगों से घिरे एक ऐसे व्यक्ति होते, जिनका प्रभाव क्षेत्र छोटा होता, तो उनके विचारों को नज़र अंदाज़ किया जा सकता था. अगर ख्याली सोच को अलग कर दिया जाए, तो यह मानना पड़ेगा कि शेख अब्दुल्ला आज भी राज्य के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं. शायद यह तथ्य कुछ लोगों के लिए असुविधाजनक और अप्रिय हो, लेकिन हक़ीकत यह है कि आज भी घाटी और राज्य के कई दूसरे क्षेत्रों में उनका ज़बरदस्त जन समर्थन बरक़रार है. बहरहाल, ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है, जो यह समझती है कि कश्मीर समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता, जब तक समाधान में शेख साहब की भागीदारी न हो.

यहां आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1947 में कश्मीर का भारत के साथ अधिग्रहण के लिए यदि कोई एक व्यक्ति सबसे अधिक ज़िम्मेदार है, तो वह है शेख मुहम्मद अब्दुल्ला. इस संदर्भ में एक ही तरह की दो ऐतिहासिक घटनाओं का ज़िक्र ज़रूरी है. आज़ादी के समय अविभाजित भारत के मुसलमानों का भारी बहुमत दो राष्ट्र के सिद्धांत को मानते हुए जिन्ना के पीछे खड़ा था. ऐसे में जो दो बेहतरीन अपवाद थे, वे थे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत व जम्मू और कश्मीर के मुसलमान. इन दोनों क्षेत्रों के मुसलमानों ने अलग मुस्लिम देश की भावनात्मक मांग पर साथ देने से इंकार कर दिया था. यहां यह याद दिलाना ज़रूरी है कि ऐसा दो अत्यधिक धार्मिक, कद्दावर और करिश्माई नेताओं के कारण संभव हुआ. ये नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान और शेख अब्दुल्ला. इस राज्य से जुड़ी और खास बात है जिसकी ओर मैं उन लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, जो यह दावा करते हैं कि कश्मीर के संबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे हल करना है और वह बात है, घाटी में व्यापक रूप से लगातार पाया जाने वाला असंतोष. इस असंतोष का कुछ हिस्सा वैसा ही है, जो कमोबेश पूरे देश में पाया जाता है. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह असंतोष मुख्य रूप से राज्य के राजनीतिक स्थिति की वजह से है. यह राजनीतिक स्थिति खास तौर पर शेख अब्दुल्ला से असहमति के कारण है और राज्य में विश्वसनीय लोकतंत्र और एक बेहतर सरकार के अभाव के कारण पैदा हुई है. राज्य में चुनाव से संबंधित कुछ अर्जियों पर हाल में आए फैसले यहां लोकतंत्र के संचालन की वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं.

मुझे लगता है कि वे सभी लोग जो ज़ोर-शोर से यह दावा करते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उन्हें इस निरंतर व्याप्त असंतोष पर बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता है. लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि ऐसे लोगों में इस तरह की चिंता नहीं पाई जाती है. इनमें अधिकतर लोग यह समझते हैं कि नीतियों में बदलाव किए बिना समय के साथ इस समस्या का समाधान हो जाएगा. यह उनकी समझ में नहीं आता कि 21 वर्ष की अवधि गुज़र जाने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और यदि मौकापरस्ती और अनिश्चितता की यही नीति जारी रही, तो समस्या का समाधान आने वाले 21 साल में भी नहीं हो पाएगा. यदि स्थिति को ऐसे ही नियंत्रण से बाहर जाने दिया गया और शेख अब्दुल्ला को ऐसे ही नज़रअंदाज़ किया गया, तो अतिवाद को बढ़ावा मिलेगा और इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे.

कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनके नज़दीक हर समस्या का समाधान ताक़त के इस्तेमाल से किया जा सकता है. उनके लिए इसका बहुत कम महत्व है कि शेख अब्दुल्ला जनता में कितने लोकप्रिय हैं या उनके चाहनेवाले कितने नाराज़ हैं. ये समझते हैं कि ताक़त का इस्तेमाल इन सारी चीज़ों का मुकाबला कर लेगी. इस तरह की बचकाना और प्रतिक्रियावादी सोच एक खास तरह की मानसिकता को सहज रूप से पसंद आती है. लेकिन बड़े पैमाने पर ताक़त का इस्तेमाल, खास तौर पर कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक है. इससे जुड़ा एक और वास्तविक खतरा है. कश्मीर में लगातार ताक़त पर निर्भरता भारत के दूसरे क्षेत्रों में लोकतंत्र को कमज़ोर करेगी, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगी और देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था ऐसे ज़ख्म बन जाएंगे, जिनसे हमेशा पीप रिसती रहेगी.

मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि 1968 की दुनिया का मिज़ाज 1947 की दुनिया से बिल्कुल अलग है. इन बीच के वर्षों में नए कारक सामने आ गए हैं. इन कारकों ने कश्मीर समस्या के समाधान में शामिल मुद्दों को बदल दिया है. आत्मनिर्णय (प्लेबेसाइट) के अधिकार को भी बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार कश्मीर की जनता की आज की ज़रूरतों के लिहाज़ से देखा जाना चाहिए. इसमें कोई शक नहीं कि आत्मनिर्णय के अधिकार के व्यापक और दूरगामी प्रभाव हैं, मिसाल के तौर पर हर व्यक्ति को अपनी जीवनशैली अपनाने और अपनी संस्थाओं का चरित्र निर्धारण का अधिकार है. लेकिन यह अत्यंत ही जटिल विषय है और एक आधुनिक नेशन स्टेट (राष्ट्र-राज्य) होने के संदर्भ में यह जटिलता और बढ़ जाती है. मैं नेशन स्टेट का प्रशंसक नहीं हूं. दरअसल मैं इसे एक अप्रचलित और पुरानी अवधारणा मानता हूं. लेकिन फिर इसका अस्तित्व है और आज भी यह लोगों के जज़्बात को भड़काती है और उन्हें एक सूत्र में जोड़ती है. यह अवधारणा धर्म, जाति, भाषा, संस्कृत और विचारधारा (यहां तक कि साम्यवादी विचारधारा) को भी प्रभावित करती है.

नेशन स्टेट के संदर्भ में किसी कौम या राष्ट्र को परिभाषित करना और भौगोलिक सीमा तय करना अत्यंत कठिन काम है. क्या कश्मीरी एक कौम हैं? अगर एक कौम हैं, तो फिर डोगरा और लद्दाखी कौन हैं? आप सीमा कहां खींचेंगे? आप एक नज़र दौड़ा कर खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वर्तमान नेशन स्टेट (चाहे वे जैसे भी वजूद में आए हों) अपने अंदर के किसी कौम द्वारा आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग का किस दृढ़ निश्चय के साथ विरोध करते हैं.

ये बहुत ही मुश्किल तथ्य है, जिसका संज्ञान अवश्य लिया जाना चाहिए. चाहे ये किसी को पसंद हो या न हो. भारतीय नेशन स्टेट की रचना भी बंटवारे की त्रासदी (जिसने इसकी भौगोलिक सीमाएं तय की) के कारण अव्यवस्थित ढंग से

मेरा सुझाव एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है. मेरे द्वारा सुझाए गए बिंदुओं की हद में समस्या का समाधान करने पर पाकिस्तान कैसी प्रतिक्रिया देगा? ये दलील अक्सर दी जाती है कि जबतक यहां की स्थिति से पाकिस्तान को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तबतक राज्य में शांति और सुरक्षा की कोई ज़मानत नहीं दे सकता, इसमें सच्चाई है. इसलिए आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी. पाकिस्तान का सार्वजनिक रुख हमेशा से यही रहा है कि राज्य की जनता अपने भाग्य का फैसला करेगी.

हुई थी. भारत भी पाकिस्तान की तरह या किसी भी नेशन स्टेट की तरह शांतिपूर्वक या स्वेच्छा से किसी मांग पर अपने किसी हिस्से को टूट कर अलग नहीं होने देगा. आइए इस हकीक़त को मान लेते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि आत्मनिर्णय के अधिकार को हासिल करने के लिए सैन्य ताक़त का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नेशन स्टेट से इस तरह से अलग हुआ हिस्सा उस समय तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कोई दूसरा नेशन स्टेट अपने स्वार्थ के लिए उसकी मदद न करे. बहरहाल, इस तरह की संभावनाएं आज की बहस के लिए अप्रासंगिक हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि यहां मौजूद लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है, जो इस समस्या का सैन्य या हिंसात्मक समाधान का पक्षधर है.

ये कुछ अप्रिय और अपरिहार्य सच्चाइयां हैं. आपका मित्र और शुभचिंतक होने के नाते मुझे सच्ची बात कहनी ही पड़ेगी. इस सम्मेलन में उपस्थित लोगों को साफ़ तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि (पाकिस्तान के साथ) 1965 की जंग के बाद कोई भी भारतीय सरकार उस समाधान को नहीं स्वीकार करेगी, जिसमें कश्मीर को भारतीय संघ से अलग रखा जाएगा या इसे और सकारात्मक ढंग से यूं कहा जा सकता है कि इस समस्या का समाधान भारतीय संघ की संरचना के अनुरूप ही तलाश करनी होगी. मेरे इस बयान से आपको आश्चर्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि यह पहला मौक़ा नहीं है, जब मैंने सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कही है. कम से कम आपमें से कुछ लोगों को यह जानना चाहिए कि इसी तरह के विचार उन अनगिनत लोगों के भी हैं, जो पिछले कई वर्षों से कश्मीर का एक सर्वमान्य समाधान निकलने के लिए प्रयासरत हैं.

जो मुख्य बातें, मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, वह यह है कि इतने जटिल और गंभीर मुद्दे पर अपने नेताओं के साफ-सुथरे और बेलाग मशवरे के बिना जनता कैसे फैसला करेगी? मैं बहुत दृढ़ता से यह महसूस करता हूं और आप से जोर दे कर कहना चाहता हूं कि यही अवसर है, जब आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आत्ममंथन कर एक निर्णय लेकर और जनता को अपनी बेलाग राय देकर आप अपना और जनता का क़र्ज़ उतार सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि यहां उपस्थित नेताओं को जनता में जाकर यह बताने में कोई परेशानी होगी कि यहां जो फैसले लिए गए हैं, वह मौजूदा परिस्थिति में सबसे बेहतर विकल्प हैं. ये फैसले यहां शांति, खुशहाली और आत्मसम्मान की ज़मानत देंगे. यदि यह सम्मेलन राजनीतिक बहस की औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि मौजूदा संकट से निकलने की एक रचनात्मक और ईमानदार कोशिश है, तो मैं समझता हूं कि यही समस्या के समाधान की ओर ले जाने वाला सबसे बुद्धिमतापूर्ण रास्ता है.

मेरा सुझाव एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है. मेरे द्वारा सुझाए गए बिंदुओं की हद में समस्या का समाधान करने पर पाकिस्तान कैसी प्रतिक्रिया देगा? ये दलील अक्सर दी जाती है कि जबतक यहां की स्थिति से पाकिस्तान को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तबतक राज्य में शांति और सुरक्षा की कोई ज़मानत नहीं दे सकता. इसमें सच्चाई है. इसलिए आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी. पाकिस्तान का सार्वजनिक रुख हमेशा से यही रहा है कि राज्य की जनता अपने भाग्य का फैसला करेगी. लिहाज़ा यदि आप यहां एक फैसला लेते हैं और जनता को इस पर राजी कर लेते हैं (मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप उन्हें राज़ी कर लेंगे) तो पाकिस्तान के पास आपत्ति का कोई उचित कारण नहीं बचेगा. दुनिया भी उस समझौते को मान लेगी, जो कश्मीर के लोगों को मान्य होगा, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को इस समझौते को मानने पर बाध्य कर देगा. अगर ऐसा हुआ, तो भारत-पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी.

आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे सुझाव, जिनकी मैं यहां वकालत कर रहा हूं, पर भारत सरकार की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी? हालांकि मैं भारत सरकार की तरफ से नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आपके इन सुझावों को स्वीकार करते ही भारत सरकार और आपके प्रतिनिधियों के बीच सार्थक बातचीत का रास्ता साफ़ हो जाएगा. ऐसी स्थिति में राज्य के जो दूसरे नेता हैं और जिन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया है, वे भी आपके साथ शामिल होकर आपकी ताक़त बढ़ा सकते हैं. ऐसा हुआ तो, मुझे लगता है कि यहां एक नया सूरज उदय होगा.

यह सवाल कि भारतीय संघ में राज्य की संवैधानिक हैसियत को संघ द्वारा एकतरफा तौर पर समाप्त नहीं किया जाएगा? एक ऐसा सवाल है, जिस पर बहस होनी बाकी है. लेकिन इस तरह की बहस के लिए यह उचित जगह नहीं है, बल्कि यह बहस भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के टेबल पर होनी चाहिए. मुझे मालूम है कि देश के कुछ हल्कों में यह राय है कि किसी भी राज्य को विशेष रियायत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि भारत के बदले हुए हालात में इस तरह के विचार पर कायम रहा जा सकता है. अक्सर ऐतिहासिक कारणों से आम चलन में बदलाव की आवश्यकता होती है.■

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

मीडिया में पाकिस्तान की बौद्धिक दलाली बंद होनी चाहिए

आपके लिए श्रीनगर से एक अनुभव लेकर आया हूं. आप में से बहुत सारे लोग श्रीनगर नहीं गए होंगे और कुछ जो गए होंगे, वे 80 दिन पहले गए होंगे. पिछले 80 दिनों में कश्मीर में जो हो रहा है, वो एक त्रासदीपूर्ण, विस्मयकारी और अद्भुत है. आप अपने घर में स्वयं को बंद कर लें और चार दिनों तक घर से बाहर न निकलें, आपको कैसा लगेगा. चार दिन में लगने लगेगा कि आप जेल में बंद हैं और आपको बाहर की हवा खानी है. अब आप सोचिए कि लगभग 60 लाख लोग पिछले 80 दिनों से अपने घरों में बंद हैं, उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है. उन्हें सामान खरीदने बाजार जाना हो, तो जान हथेली पर लेकर जाना होता है. उन्हें यदि डॉक्टर के पास जाना हो, तो जान गंवाने के डर के साथ जाना पड़ता है और हम सिर्फ चार दिन अगर घर में बंद रह जाएं, तो हमें लगता है कि हमारे साथ ये क्या हो गया.

श्रीनगर में पिछले 80 दिनों से यही हाल है, लेकिन श्रीनगर के लोग इस स्थिति को स्वीकार कर चुके हैं. कश्मीर में जो बच्चा सन 1950 में पैदा हुआ, अब वो कितने वर्ष का होगा आप अंदाज लगाइए और उसने, इस पूरी पीढ़ी ने कश्मीर में लोकतंत्र का स्वाद नहीं चखा. उसने बंदूकों की गरज सुनी है, उसने आंसू गैस के गोले देखे हैं, उसने सेना देखी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज देखी हैं, लाठियां देखी हैं, पानी की बौछारें देखी हैं. वहां पर अक्षर ज्ञान के मायने भी बदल गए हैं. 80 दिनों के इस लगातार कर्फ्यू के बाद वहां के लोगों ने ये तय किया है कि हम भारत की सरकार द्वारा किए गए वादों का कोई हल निकालेंगे, चाहे इसके लिए जितना दुख झेलना पड़े, हम झेलेंगे. टैक्सी ड्राइवर कहता है, आजादी चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में रोटी नहीं आती और टैक्सी चलाकर कमा नहीं पाता, पुलिस का सिपाही भी यही कहता है, डॉक्टर भी यही कहते हैं और पूरा कश्मीर आजादी, आजादी चिल्ला रहा है. हम यहां हिंदुस्तान में बैठे ये मान रहे हैं कि ये सब वहां पाकिस्तान करा रहा है.

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हर शुक्रवार को एक कैलेंडर जारी करती है और उसमें किस दिन जनता का बंद शुरू होगा और जनता का बंद खत्म होगा, इसका समय लिखा होता है. सवेरे आठ बजे बच्चे सड़कों के ऊपर पत्थर लगा देते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं और शाम के 6 बजे उन पत्थरों को हटा लेते हैं. दुकानदार दिन भर अपनी दुकानें बंद रखते हैं और शाम 6 बजे अपनी दुकानें खोल देते हैं. पेट्रोल पंप 6 बजे का इंतजार करता है, उसके पेट्रोल पंप के सामने स्कूटरों और कारों की कतार लग जाती है और ठीक 6 बजे घड़ी देखकर पेट्रोल डालना शुरू करता है. ये माना जा सकता है कि सरकार के डर से, कर्फ्यू की वजह से दुकानें नहीं खुलीं, लेकिन कर्फ्यू तो 24 घंटे का है, शाम 6 बजे दुकानें क्यों खुल जाती हैं? इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता. बैंकों को अपना वक्त बदलना पड़ा. भारत सरकार के स्वामित्व में चलने वाले बैंक दिनभर नहीं खुलते, शाम 6 बजे खुलते हैं. आठ बजे बैंक बंद भी हो जाते हैं और आठ बजे दुकानें भी बंद हो जाती हैं. दिन भर अगर कर्फ्यू की वजह से दुकानें बंद हैं, तो शाम 6 बजे कैसे खुल जाती हैं और आठ बजे कैसे बंद हो जाती हैं? इसका मतलब कश्मीर में सन 1942 की तरह नेतृत्व जनता की हाथ में आ गया है और इसके कई उदाहरण हैं.

वहां 6 साल से लेकर और 16 साल तक के बच्चे सड़कों पर हैं. लोग मोहल्लों में एक बल्ब के नीचे बैठकर अपनी शाम और रात गुजारते हैं क्योंकि बच्चों और घर के मालिकों को भी लगता है कि अगर हम चार बल्ब जलाएंगे, तो इसे हमारी खुशी मान ली जाएगी. इसलिए वो मातम और विरोध जताने के लिए घर में सिर्फ एक बल्ब जलाते हैं. बकरीद में 13 तारीख को श्रीनगर में किसी ने नया कपड़ा नहीं पहना. एक सज्जन ने नया कपड़ा पहना भी, तो जब दो मिनट बीते, उन्होंने उतार दिया और अपना पुराना कपड़ा पहन लिया क्योंकि नए कपड़े पहनने से खुशी का इजहार होता है. इन बच्चों को कुछ नहीं पता कि कौन संपादक है, कौन डॉक्टर है, उन्हें तो बस ये पता है कि वे आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन बच्चों को बहुत बड़ी फिलॉसफी भी नहीं पता. कश्मीर के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार ग्रेटर कश्मीर के संपादक फैय्याज कुल्लू बताते हैं कि दस बार मेरे घर से फोन आता है कि तुम ठीक तो हो. मैं सड़क पर निकलूं और कहूं कि मैं फैय्याज कुल्लू हूं, तो कोई नहीं मानता. इसका उदाहरण उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब आ रहे थे और बच्चों ने गाड़ी रोक ली. उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, तब बच्चों ने कहा कि इससे क्या हुआ डॉक्टर हो, गाड़ी यहां खड़ी करो और पैदल जाओ. डॉक्टर साहब पैदल गए. इसे हम बच्चों का अतिरेक कह सकते हैं. लेकिन 6 साल से 16 साल के बच्चे अगर अतिरेक करते हैं, तो उन्हें संभालने का, उनसे संवाद करने का जिम्मा किसका है? क्या कश्मीर के लोगों का या दिल्ली की सरकार का? सवाल है, हमें इस पर सोचना चाहिए.

श्रीनगर के किसी वर्ग में अपने इस काम को लेकर कोई दुख नहीं है. श्रीनगर के मोहल्लों में छोटे-छोटे ग्रुप बन गए हैं, जो अपने आस-पास के 50, 60, 70 घरों में जाते हैं और देखते हैं कि उनके यहां खाना-पीना है या नहीं, दवाई है या नहीं. अगर कोई तकलीफ है, तो मोहल्ले से ही सामान इकट्ठा कर वो उन घरों को दे देते हैं. वहां कहीं बाहर से इमदाद नहीं जाती. इसका मतलब कश्मीर के लोग एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं. प्रोफेसर गनी बट दो घंटे तक हमें समझाते हैं कि कश्मीर समस्या का ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पहलू क्या है? वो जब समझाते हैं, तब हमें लगता है कि भारत की जनता को भी उन पहलुओं से रूबरू होना चाहिए. मैंने प्रधानमंत्री जी और भारत के लोगों की जानकारी के लिए इसी अंक में श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1954, 56 और उसके बाद भी कुछ अखबारों में लिखे उनके पत्र व लेख छापे हैं. लगता है कि जयप्रकाश जी ने जो उस समय लिखा था, वही आज भी घट रहा है. क्या भारत सरकार पिछले 66 साल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी और अगर आगे नहीं बढ़ी तो हम क्यों छाती पीटकर कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई. भारत सरकार ने वचन दिया था और उस वचन को किसी भी दल की सरकार हो, उसने बड़ी आसानी से भुला दिया. पूरे कश्मीर में घूमने पर न तो कहीं चाय की दुकान खुली मिलती है, न ही खाने या सामान बेचने की दुकान. ये दुकान डर की वजह से नहीं बंद हैं, अपनी स्वेच्छा से बंद हैं. छह साल से 16 साल तक के बच्चे पत्थर चलाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम कुछ नहीं कर सकते, तो पत्थर ही चलाएं और उसके बदले में सरकार

> **मैं देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और इस देश के तमाम सोचने-समझने वाले लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर को तबाह होने से बचा लीजिए. वहां एक जन आंदोलन चल रहा है. पाकिस्तान को इतना बड़ा मत कीजिए कि लगे हिंदुस्तान उसके सामने बौना है. बुद्धिजीवी बौद्धिक दलाली फौरन बंद होनी चाहिए. टेलीविजन चैनल पर ये बौद्धिक दलाल बैठकर चीख-चीखकर पाकिस्तान का हाथ बता रहे हैं. उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये देश में पाकिस्तान की बौद्धिक दलाली कर रहे हैं और पाकिस्तान को दुनिया में बड़ा बना रहे हैं.**

की टुकड़ियां पैलेट गन चलाती हैं. उन लोगों का सवाल है, देश में इतने बड़े आंदोलन हुए वहां तो गोलियां नहीं चली, तो हमारे यहां गोलियां क्यों चल रही हैं. हमारी बातों का जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन गोलियों के रूप में जवाब अवश्य आता है. दरअसल 80 दिनों के इस कर्फ्यू ने इतना संकेत तो दिया है कि भारत के दूसरे प्रांतों के लोग और खासकर मीडिया के लोग कश्मीर जाएं और वहां के लोगों से संवाद कर समस्या की जड़ तक पहुंचें. हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि कश्मीर में लोग जाएंगे और वहां के लोगों की भावनाओं को समझेंगे क्योंकि हम सब एक तरह से एकपक्षीय बौद्धिक अंधेपन की जकड़ में फंस गए हैं. मैं चार दिन श्रीनगर में रहा और श्रीनगर के लोग खुले दिल से मिलने आए, खुले दिल से बातें कीं. एक रात मुझे लगा कि रात में श्रीनगर देखना चाहिए. मैं 13 तारीख की रात दस बजे एक कार में बैठा और ड्राइवर के साथ श्रीनगर की सड़कों पर निकल गया. लगभग सवा घंटे मैं श्रीनगर की सड़कों पर, जिसमें दो बार लाल चौक से गुजरना हुआ, घूमता रहा. मुझे कहीं पर भी सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना नहीं दिखी. एक जगह तीन चार ट्रक खड़े थे, जिसमें मैंने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्स के लोग सो रहे हैं. एक जगह चार-पांच लोग, वो भी वीआईपी रोड पर महबूबा मुफ्ती के मकान के पास, चार-पांच फोर्स के लोग खड़े थे. पूरे शहर में मुझे कोई नहीं दिखाई दिया. सड़कें सुनसान. हालांकि मुझे ये अपेक्षा थी कि मेरी गाड़ी बहुत सारी जगहों पर रोकी जाएगी, मुझे प्रताड़ित भी किया जा सकता है, इसलिए मैंने अपना आईकार्ड अपनी जेब में रखा था, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई दिया. मैं वैसे ही घूमा श्रीनगर में, जैसे मैं दिल्ली और मुंबई में घूमता हूं. वो कर्फ्यू का बसा हुआ डर, कर्फ्यू का आतंक कश्मीर में कम है, कश्मीर के बाहर बहुत ज्यादा है.

दक्षिण कश्मीर में 16-17 साल के बच्चे नारे लगा रहे थे, लगभग 60-70 का झुंड होगा, सेना के लोग उनसे कहने लगे कि भागो, नहीं तो गोली मारेंगे. आप विश्वास करेंगे, उन सब लड़कों ने अपनी कमीज खोल दी, नंगी छाती उनके सामने कर दी कि गोली मारो, हम मरने के लिए तैयार हैं, हमारे पास बचा क्या है. सेना की बंदूकें नीचे हो गईं, जो सेना किसी को नजदीक नहीं आने देती, उसके पहले ही गोली चला देती है, यही उनकी ट्रेनिंग है, उनकी भी बंदूकों से अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं निकली. एक बड़े आर्मी अफसर की सरकार को यह हिदायत कि यह एक राजनीतिक मसला है, आप राजनीतिक तौर पर ठीक कीजिए. सेना अपने लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए नहीं बनी है, वे दुश्मन से लड़ने के लिए बनी है. वहां के लोगों में उस जनरल के प्रति मुझे अपार श्रद्धा का भाव दिखाई दिया.

दरअसल मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत की सरकारों ने कश्मीर के लोगों के मन से डर निकाल दिया है. उनके मन में बंदूकों, टैंकों, आंसू गैस और पैलेट गन का डर ही नहीं बचा. आपने इतनी ज्यादा ये सारी चीजें उन्हें दिखाईं कि अब 80 साल के व्यक्ति को छोड़ दीजिए, 6 साल का बच्चा भी इन चीजों से नहीं डरता है और कहता है कि या तो हमें आजादी दो या फिर गोली मार दो.

दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान में पूजा करने वाले, धर्म को मानने वाले, पेड़, गाय और पत्थर में भगवान देखने वाले लोग आपस में बातचीत करते हैं कि कश्मीर में कितने लोग मरेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक हजार, दो हजार, तीन हजार, उन्हें गोली से उड़ा दो. मुंबई और दिल्ली में भी व्यापारियों के बीच ये बातें सुनीं, सब लोगों को गोली से उड़ा देना चाहिए. ये वो लोग हैं, जो पूजा-पाठ करते हैं, जिनकी धर्म में आस्था है, जो कहते हैं कि इंसान को गोली से उड़ा दो.

लेकिन श्री नगर और कश्मीर के लोगों को भारत के नागरिक समाज से बहुत आशाएं हैं. उन्हें सरकार से कोई आशा नहीं है क्योंकि सरकारों ने तो उन्हें 60 साल से छला है. उन्हें आशा है भारत के नागरिक समाज से, जिसमें आज भी लोकतंत्र के प्रति प्यार और इंसान के प्रति भाईचारे का भाव भरा हुआ है. नागरिक समाज भी आज खामोश है. अगर नागरिक समाज कश्मीर में कोई पहल करे तो समस्या का हल निकले या न निकले, कश्मीर के लोगों के दिल के साथ एक संवाद अवश्य कायम हो सकता है.

और मैं देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और इस देश के तमाम सोचने-समझने वाले लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर को तबाह होने से बचा लीजिए. वहां एक जन आंदोलन चल रहा है. पाकिस्तान को इतना बड़ा मत कीजिए कि लगे हिंदुस्तान उसके सामने बौना है. बुद्धिजीवी बौद्धिक दलाली फौरन बंद होनी चाहिए. टेलीविजन चैनल पर ये बौद्धिक दलाल बैठकर चीख-चीखकर पाकिस्तान का हाथ बता रहे हैं. उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये देश में पाकिस्तान की बौद्धिक दलाली कर रहे हैं और पाकिस्तान को दुनिया में बड़ा बना रहे हैं. पाकिस्तान की कोई हैसियत हिंदुस्तान के सामने नहीं है, पर ये बौद्धिक दलाल अगर समझ जाएं, वही ज्यादा अच्छा, अन्यथा ये इतिहास में ऐसे लोगों की श्रेणी में आएंगे, जिन्होंने अपने देश का सम्मान बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी.

मैं देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं कि कश्मीर में खराब दिन आने वाले हैं. कश्मीर के लोग इस बार कोई भी जुल्म सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या भारत की पूरी राजनीतिक सत्ता, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों दलों के लोग शामिल हैं, इतिहास में ये लिखवाना चाहते हैं कि हम अफ्रीकी देशों, पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान की तरह असंवेदनशील हैं. हम अपने लोगों का ख्याल नहीं रख सकते या हम अपने लोगों को जबरदस्ती ठेलकर, उन्हें चिढ़ाकर, धकेलकर पाकिस्तान की गोद में भेजना चाहते हैं.

एक बात और कहना चाहता हूं, 370 के खिलाफ जितने लोग चीख-चीखकर कह रहे हैं, वे दरअसल इतने मूर्ख हैं कि वो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं. कश्मीर और भारत के बीच समझौता हुआ था कि कश्मीर के बारे में अंतिम निर्णय होने तक धारा 370 वहां लागू रहेगी और जिस दिन 370 खत्म हुई, उस दिन उस समझौते के तहत कश्मीर आजाद हो जाएगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा. इन पढ़े-लिखे गंवारों को जिन्हें न इतिहास की समझ है, न कानून की समझ है, जिन्हें सिर्फ चीखना-चिल्लाना आता है, ये इस देश से कश्मीर को अलग करना चाहते हैं. कश्मीर को साथ रखने की अकेली गारंटी धारा 370 है. भारत की सरकार को चाहिए कि वो कश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाए कि अगले 50 वर्षों तक धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. यहां से वो कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत शुरू करे, वरना आने वाले समय में जो 30 या 60 दिनों से ज्यादा नहीं है, हम कश्मीर में नरसंहार देखेंगे, हत्याएं देखेंगे, आगजनी देखेंगे और एक ऐसा तांडव देखेंगे जो इतिहास में भारत का मुंह बदरंग कर देगा. प्रधानमंत्री जी, क्या आपसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि आप आगे बढ़कर ईश्वर, इतिहास, समय और प्रारब्ध द्वारा दी गई अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और कश्मीर के लोगों के साथ संवाद कर उनके मन की तकलीफ और दर्द पर मरहम लगाएंगे. मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

गया

हज भवन को लेकर सियासत गर्म

बिहार से हज यात्रियों को जेद्दाह जाने के लिए पहले पटना हवाई अड्डे से कोलकाता या मुम्बई जाना पड़ता था और वहां से जेद्दाह के लिए हवाई जहाज मिलती थी. लेकिन 2001 में जब गया में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हुआ तो हज यात्रियों के लिए बिहार सरकार ने गया का ही चयन किया और यहीं से हज यात्रियों को जेद्दाह भेजा जाने लगा. उसके बावजूद हज यात्रियों को कोलकाता या मुम्बई से दूसरी जहाज पकड़नी पड़ती थी, लेकिन बाद में जब बौद्ध देशों से गया हवाईअड्डे पर बड़े-बड़े जहाज आने-जाने लगे, तो बिहार सरकार और भारत सरकार ने बिहार के हज यात्रियों के लिए गया हवाई अड्डे से जेद्दाह के लिए सीधी उड़ान शुरू कर दी.

सुनील सौरभ

बिहार के चप्पे-चप्पे में राजनीति रची-बसी है. मौका चाहे कोई भी हो, राजनीतिज्ञ अपने विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी करना नहीं भूलते. यह अलग बात है कि इन राजनीतिज्ञों की बातों को अब बिहार की जनता समझने लगी है. मतलब और वोट बैंक की जातीय राजनीति तो बिहार के नश-नश में है. जब से गया में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत हुई है, तब से बिहार के हज यात्री यहीं से सीधा जेद्दाह के लिए उड़ान भरते हैं. लेकिन बिहार से हज के लिए मक्का जाने वाले हज यात्रियों को गया में लाकर ठहराने के लिए हज भवन निर्माण को लेकर राजनीति होने लगी है. जदयू-राजद तथा पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हम सेक्यूलर के नेता गया में हज भवन के निर्माण पर लगे प्रश्न चिन्ह पर एक-दूसरे को दोषी

ठहरा रहे हैं. गया में हज भवन बनाने की घोषणा जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री रहते हुए की थी. लेकिन जीतनराम मांझी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इस योजना पर ग्रहण लग गया. 1 सितम्बर 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हज के लिए जाने वाले यात्रियों से मिलने गया हवाई अड्डा पहुंचे. उन्होंने हज यात्रियों से कहा कि हमने मुख्यमंत्री रहते हुए गया में हज भवन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि गया में हज भवन बने, क्योंकि एक दलित मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी. यदि हज भवन बना, तो क्रेडिट भी मुझे मिलेगा. मांझी ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के हित में मेरे द्वारा घोषित सारी योजनाओं पर ग्रहण लगा दिया है. नीतीश जानते हैं कि यदि इन योजनाओं को पूरा करेंगे, तो क्रेडिट जीतनराम मांझी को मिलेगा. इसीलिए गया में हज भवन बनाने के मामले में भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है. जिसकी वजह से हज यात्रियों को गया पहुंचकर हवाई अड्डे के पास टेंट में ठहरना पड़ रहा है. जीतनराम मांझी के इस बयान

के दूसरे दिन 2 सितम्बर 2016 को बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर हज यात्रियों के अंतिम जत्थे को विदा करने के लिए गया हवाई अड्डा पहुंचे. मंत्री ने जीतनराम मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने गया में हज भवन बनाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जमीन का एनओसी नहीं मिली थी. नीतीश कुमार अब नए सिरे से गया में हज भवन बनाने पर विचार कर रहे हैं. मंत्री के इस बयान के बाद हम सेक्यूलर के प्रवक्ता राजेश पाण्डेय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने हज भवन के लिए पशुपालन विभाग के कैम्पस में जमीन का आवंटन भी कर दिया था और गया के तत्कालीन जिला पदाधिकारी के रिपोर्ट के बाद पशुपालन विभाग ने 2014 में ही सरकार को एनओसी दे दी थी. राजेश पाण्डेय ने कहा कि बिहार के वर्तमान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर को गया में हज भवन बनाने के मामले में जमीन आवंटन और एनओसी की जानकारी है, लेकिन वे जान बुझकर इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं.

बिहार से हज यात्रियों को जेद्दाह जाने के लिए पहले पटना हवाई अड्डे से कोलकाता या मुम्बई जाना पड़ता था और वहां से जेद्दाह के लिए हवाई जहाज मिलती थी. लेकिन 2001 में जब गया में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हुआ तो हज यात्रियों के लिए बिहार सरकार ने गया का ही चयन किया और यहीं से हज यात्रियों को जेद्दाह भेजा जाने लगा. उसके बावजूद हज यात्रियों को कोलकाता या मुम्बई से दूसरी जहाज पकड़नी पड़ती थी, लेकिन बाद में जब बौद्ध देशों से गया हवाईअड्डे पर बड़े-बड़े जहाज आने-जाने लगे, तो बिहार सरकार और भारत सरकार ने बिहार के हज यात्रियों के लिए गया हवाई अड्डे से जेद्दाह के लिए सीधी उड़ान शुरू कर दी. बीच के कुछ वर्षों को छोड़कर गया से ही प्रतिवर्ष हज यात्रियों का जत्था जेद्दाह के लिए उड़ान भरते रहा है.

2014 में गया से जब दोबारा हज यात्रियों का जत्था रवाना होने को था, उसके उद्घाटन में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने उपस्थित होकर हज यात्रियों की सलामती के लिए दुआ की और उन्होंने कहा था कि सभी तरह की सुविधाएं हज यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी. श्री रामानुजाचार्य मठ के स्वामी राघवाचार्य ने हज यात्रियों को समारोह में कहा था कि गया से जाने वाले हज यात्रियों को वे अपने मठ तथा अपने अन्य भवनों में ठहराने व सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं. स्वामी राघवाचार्य जी कि इस घोषणा से गया शहर के साम्प्रादायिक सौहार्द के वर्षों से चली आ रही परम्परा को एक बड़े मिशाल के रूप में लोगों ने लिया था. तब बिहार हज कमेटी के सदस्य मौलाना उमर नूरानी ने भी इस समारोह में घोषणा की थी कि पितृपक्ष में देश-दुनिया से गया आने वाले तीर्थयात्रियों को ठहराने के लिए मदरसे तथा अन्य भवनों को वे उपलब्ध कराएंगे. गया के साम्प्रादायिक सौहार्द के इस माहौल को देखकर तब के तमाम राजनीतिज्ञों को अपनी राजनीति करने का मौका नहीं मिल पाया था. बिहार हज कमेटी के गया कैम्प के समन्वयक प्रो. मोती करीमी ने बताया कि गया से हज के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों को हज कमेटी की ओर से सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

बिहार के कोने-कोने से गया आकर हज के लिए जेद्दाह जाने वाले यात्रियों की सेवा में हम सभी तत्पर हैं. इन सब के बावजूद इस बार हज यात्रियों के लिए चाहे जो भी सुविधा बिहार या भारत सरकार ने उपलब्ध करायी हो, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते हुए राजनीतिज्ञ अपनी-अपनी घोषणा को लेकर राजनीति करने में लगे हैं. गया में हज भवन बनेगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन राजनीतिज्ञ इसे लेकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं. गया के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने भी घोषणा करते हुए कहा कि गया में हज भवन बनेगा तो अपनी ओर से निजी तौर पर 11 लाख रुपये देंगे. आजादी के पूर्व से साम्प्रादायिक सौहार्द के अद्भुत मिशाल को कायम रखने वाले गया शहर के माहौल को राजनीतिज्ञ हज भवन के निर्माण को लेकर माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन गया के बुद्धिजीवी वर्ग विभिन्न सम्प्रादाय के लोगों ने बयानबाजी कर सामाजिक माहौल को खराब करने वाले राजनीतिज्ञों से सावधान रहने की बात कह रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

दो दिन की भारी बारिश

पानी में डूब गया पूरा शहर

चौथी दुनिया ब्यूरो

पिछले कई दशक से पानी के लिए तरस रहा बिहार का हेरिटेज शहर गया-बोधगया भारी वर्षा से परेशान है. 5-6 सितंबर को हुई भारी बारिश ने पूरे शहर को डूबो दिया. बारिश के बाद भी आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं. बारिश की वजह से गया अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, समाहरणालय, नगर-निगम कार्यालय, अस्पताल समेत शहर के निचले इलाकों में स्थित मोहल्लो में पानी भर गया. गया के हवाई अड्डे के रनवे पर दो फीट पानी का जमाव हो गया, जिसकी वजह से आने-जाने वाली सभी उड़ाने दो दिनों तक रद्द कर दी गईं. इसके अलावा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भी दो फीट जल जमाव हो गया, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया और कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा. रेलवे अनुमंडल अस्पताल, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, प्रभावती अस्पताल में भी भारी जलजमाव हो गया, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों काफी परेशानी उठानी पड़ी.

महाबोधि मंदिर, 80 फीट मंदिर समेत एक दर्जन से अधिक विदेशी बौद्ध मठ पानी में डूब गए. भारी बारिश ने गया और बोधगया में बाढ़ का रूप ले लिया. कुछ मोहल्लो की स्थिति इतनी खराब हो गई, उनका जायजा लेने खुद नीतीश कुमार को आना पड़ा. लोगों का कहना है कि 70 की दशक के शुरुआत में ऐसी भारी बारिश हुई थी और तब इतनी तबाही नहीं मची थी, क्योंकि उस समय शहर की आबादी कम थी और मोहल्लों का विस्तार भी बहुत अधिक नहीं हुआ था. अंग्रेजों द्वारा बनाया ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छी तरह काम कर रहा था. शहर के आस-पास स्थित नालों, आहर-पईन और छोटी नदियों का अतिक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन पिछले दो दशक में भूमि माफियाओं ने आहर-पईन, नदी और बड़े नाले की भूमि को गलत तरीके से बेच कर घरों का निर्माण कर दिया, जिसकी वजह से पानी का निकास बंद हो गया. इन सभी आहर-पईन, नदी नालों का जुड़ाव फल्गु नदी से था. उसका नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे की रिकार्ड तोड़ भारी बारिश हुई, तो गया शहर के नए बसे मोहल्ले पंतनगर, अशोक विहार, मधुसूदन कालोनी, मयूर विहार, विष्णुपुरी कालोनी, विष्णु-विहार कालोनी, सिद्धार्थपुरी कालोनी, करीमगंज, दुर्गा बारी रोड मोहल्ला पूरी तरह डूब गया. इनमें से कुछ मोहल्लों में स्थिति इतनी खराब हो गई कि घरों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह पानी में डूब गए. यहा के निवासियों को अपने घर की छतों या पहले तल्ले पर भागकर जान बचानी पड़ी. वर्षा का पानी इतनी तेजी से घरों में घुसा कि लोगों को घर में पड़ी वस्तुओं को हटाने का भी मौका नहीं मिला. लोगों को खाने और पीने के पानी के लाले पड़ गए. चारों ओर हाहाकर मच गया. छोट-छोटे बच्चों के लिए दूध की समस्या उत्पन्न हो गई. स्थिति की भयावहता को देखकर राज्य सरकार ने जिला प्रशासन की मांग पर दो दिन बाद एसडीआरफ की टीम गया भेजी. जिससे इन मोहल्लों में फंसे हजारों लोगों को बाहर निकाला गया और राहत शिविर में रखा गया.

लेकिन अधिकतर लोग दूसरे मोहल्लों में अपने रिश्तेदार के यहां जाकर रह रहे हैं. इन मोहल्लों में जो लोग अपने मकान के पहले मंजिले पर रह रहे हैं, उन लोगों को भी सांप बिच्छु और अन्य तरह के कीड़े-मकोड़ों का डर सता रहा है. हालांकि इसके लिए भी एसडीआरफ की टीम द्वारा दवा का छिड़काव किया जा रहा है. वाबजूद इसके अबतक अनेक घरों में सैकड़ों सांपों को मारा जा चुका है. सर्वे करने वाली एजेंसी इंटेक के आर्किटेक्ट अभिषेक कुमार ने कहा है कि गया शहर की इन समस्याओं के लिए गया शहर की प्राचीनकाल के तालाबों का अतिक्रमण कर उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है. इंटेक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कभी गया शहर में 80 से 100 के आसपास सरोवर हुआ करते थे. ये सरोवर गर्मी में गया शहर को एक तरफ तापमान को ठीक रखते थे, तो वहीं दूसरी तरफ भूर्गीय जलस्तर को ठीक रखते थे. जिससे कि इस शहर के लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होती थी. दूसरी ओर गया शहर के प्रसिद्ध बॉटमनाला को शहर के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. अभी भी आधा दर्जन से अधिक लोग इस नाले पर घर बनाए हुए हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निलेश द्रेवरे जब गया नगर-निगम के नगर आयुक्त बनकर आए तो उन्होंने बॉटमनाला के अतिक्रमण को हटाना शुरू किया था. इस नाले पर बनाए गए कई मकान और कई दुकानें तोड़ी गईं, लेकिन तबतक निलेश द्रेवरे का स्थानातरण हो गया. नए आए नगर आयुक्त ने इस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया. शहर की प्रसिद्ध मधुश्रवा नदी जो बोधगया से निकलकर गया में विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में मिलती थी, इस नदी का लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और बाद में इस नदी को मनसरवा नाले के रूप में घोषित कर इसकी भूमि पर दर्जनों मकान बना दिये गए. गया नगर-निगम के पूर्व मेयर शाहगुफ्ता प्रवीण के मकान और पार्क का अधिकांश हिस्सा इसी मनसरवा नाले के ऊपर बना हुआ है. जिसकी वजह से पंतनगर, अशोक विहार, मधुसूदन कॉलनी के लोगों का घर पानी में डूबा हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने आस-पास के लोगों को जो अस्थायी रूप से टेंट लगाकर अपना व्यवसाय करते थे उनको हटा दिया, लेकिन पूर्व मेयर के मकान और पार्क को कब तोड़ा जाएगा, जिससे कई मोहल्लों को डूबने से बचाया जा सके.

अभी भी वर्तमान स्थिति में गया शहर के आधा दर्जन मोहल्लों में दो फीट से लेकर तीन फीट तक पानी जमा है जिसे निकालने में भारी परेशानी हो रही है. सबसे बड़ी समस्या पानी हटने के बाद विभिन्न तरह की बीमारी और महामारी होने की संभावना से लोग दहशत में है. लोगों में इस सवाल को लेकर काफी आक्रोश है कि नगर-निगम, अंचल कार्यालय और अन्य संबंधित कार्यालयों की ओर से सरकारी भूमि, नदी और नाले का अतिक्रमण कर फर्जी कागजात बनाकर जो मकान बनाया है इसे प्रशासन की ओर से कब तोड़ा जाएगा? फिलहाल गया शहर पानी से परेशान है. विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला भी शुरू हो रहा है. जिसमें देश-विदेश से लाखों लोगों को आना है. ऐसे में जिला प्रशासन और सरकार की कठिन परीक्षा होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड
पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी
Laboratory Tested Please Compare Lab Report Laboratory Tested
Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior
लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें ।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है
प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com
सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट
सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

शहाबुद्दीन के जेल से निकलने का सच

शहाबुद्दीन राजद के लिए वह कितने महत्वपूर्ण हैं इसकी दो मिसालें काफी हैं. कोई तीन महीने पहले जब राजद ने संगठन की सर्वोच्च कार्यसमिति का गठन किया तो जेल के अंदर रहने के बावजूद शहाबुद्दीन उस समिति के सदस्य मनोनीत किए गए. दूसरी मिसाल सोशल मीडिया में वायरल हुआ वह वीडियो है जिसमें बिहार के एक मंत्री कारावास के अंदर उनसे विमर्श करते हुए दिखते हैं. रही बात शहाबुद्दीन के समर्थकों में उनके महत्व की तो भागलपुर से सीवान तक उनके स्वागत में उमड़ी भीड़ और फूटे पटाखों के दौरान मना जश्न इसकी गवाही है.

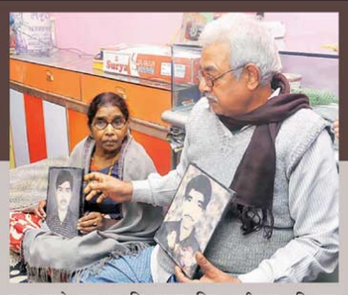

इर्शादुल हक

जेल में बंद किसी भी आपराधिक छवि के बिहारी नेता की इतनी चर्चा मीडिया में शायद ही कभी हुई हो जितनी मोहम्मद शहाबुद्दीन की होती रही है. ग्यारह साल की लम्बी अवधि में जब तक शहाबुद्दीन जेल में रहे मीडिया की बड़ी खबर रहे. इसलिए शहाबुद्दीन पर बात आगे बढ़ाने से पहले बात मीडिया की कर ली जाए. बात मीडिया की करना इसलिए भी जरूरी है कि पिछले तीन महीने में मीडिया शहाबुद्दीन मामले में बुरी तरह गच्चा खा गया. इस हत्या में शहाबुद्दीन का नाम अप्रत्यक्ष रूप से खूब उछला था. कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने घोषणा कर दी. सरकार के इस फैसले को मीडिया के सम्मिलित अभियान का असर माना गया. तब यह मीडिया ही था जिसने ऐसा समा बांधा कि जैसे पुलिस सीवान जेल में बंद शहाबुद्दीन के गिरेबान तक हाथ पहुंचा चुकी हो. इसी बीच शहाबुद्दीन को सीवान जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया. इस मामले को ऐसे देखा-दिखाया गया जैसे शहाबुद्दीन सीवान के अमन-चैन के लिए खतरा हों, लेकिन तब किसी को इसका आभास तक नहीं था कि शहाबुद्दीन का भागलपुर शिफ्ट किया जाना, उन अनेक कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण था जिसके वजह से आज शहाबुद्दीन जेल से जमानत पा कर रिहा हो चुके हैं. तब मीडिया या तो अति उत्साह में था या उसे इस बात का आभास तक न था कि शहाबुद्दीन का भागलपुर शिफ्ट किया जाना, आने वाले दिनों में उनके लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला था और हुआ भी वैसा ही. शहाबुद्दीन 10 सितम्बर को जमानत पर रिहा कर दिए गए.

अब यहां शहाबुद्दीन की रिहाई के किस्से के पीछे का किस्सा जान लेना जरूरी है. तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि मीडियाई शोर का कितना बड़ा लाभ शहाबुद्दीन को मिल गया. गौर से देखें तो यह रिहाई के किस्से से ज्यादा रिहाई की रणनीति जैसी मालूम पड़ती है. दिलचस्प तो यह है कि इस रणनीति से पर्दा तब उठा जब पटना हाईकोर्ट ने जमानत का आदेश पारित किया और इस पर उनके वकील यदुवंश गिरी ने बहस की. यदुवंश गिरी ने जमानत के लिए जो तर्क अदालत में पेश किये उसी आधार पर, तेजाब हत्याकांड के गवाह राजीव रौशन की हत्या मामले में न्यायमूर्ति जितेंद्र मोहन शर्मा की पीठ ने जमानत दे दी. यदुवंश गिरी ने अदालत में जमानत के लिए जो आधार पेश किया वह गौर करने लायक है. गिरि ने कहा जिस समय घटना हुई (राजीव रौशन की हत्या) के समय मेरे मुवक्किल (शहाबुद्दीन) जेल में थे. इस मामले में हाईकोर्ट ने इसी वर्ष 3 फरवरी को जमानत अर्जी खारिज करते हुए नौ महीने में ट्रायल प्रक्रिया पूरी करने का आदेश विशेष अदालत को दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने 20 मई को सीवान जेल से अगले छह माह के लिए शहाबुद्दीन को विशेष केंद्रीय कारागार भागलपुर भेज दिया. ऐसे में उन्हें तारीख पर कोर्ट में हाजिर नहीं किया जा सकता था और ट्रायल प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी. इसके अलावा इस मामले में विशेष कोर्ट ने कोई संज्ञान तक नहीं लिया और फिर हुआ यूं कि शहाबुद्दीन को इस मामले में जमानत मिल गई.

अब फिर जरा हम शहाबुद्दीन बनाम मीडिया के मामले पर लौटते हैं. तब यह स्पष्ट हो जायेगा कि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल शिफ्ट किए जाने को सीवान में अमन के खतरे से जोड़ कर देखने का मीडियाई नजरिया कैसे गच्चा खाने वाला साबित हुआ. फिर से याद रहे कि तब शहाबुद्दीन को भागलपुर शिफ्ट करने को सिर्फ इस नजरिए से देखा गया था कि वहां की जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन जांच प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं. गौर करने की बात है कि तब शहाबुद्दीन को भागलपुर शिफ्ट करने के फैसले पर सुशील मोदी समेत तमाम विपक्षी नेताओं में ऐसी खामोशी छायी थी, जैसे वह इस फैसले से संतुष्ट हों, लेकिन जमानत के पीछे की इस रणनीति पर अब स्वाभाविक है कि कानून के जानकार बारीकी से गौर करेने लगे हैं. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का जो फैसला किया है, हो सकता है कि इन्हीं पहलुओं पर गौर करने के बाद यह फैसला लिया हो.

ऐसा सोचने वाले बहुत से लोग हैं कि आखिर जो शहाबुद्दीन निर्मम हत्या और फिरौती समेत पचासों मामलों के संगीन आरोपी होने के साथ हत्या के दो मामलों में सजायाफ्ता तक हों वह आम लोगों के एक खास हिस्से, उनकी पार्टी राजद, विपक्ष और यहां तक कि मीडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हैं? उनका महत्व 10 सितम्बर को भी तब दिखा जब वह जेल से बाहर आए. सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, हाजरों खास व आम लोगों द्वारा उनका स्वागत और मीडिया की लगातार कवरेज इस बात की गवाही है कि शहाबुद्दीन सबके लिए महत्वपूर्ण हैं, भले जिस रूप में हों. दरअसल शहाबुद्दीन एक प्रतीक हैं. विपक्ष के लिए सियासी आक्रमण का. राजद के लिए वोट बैंक का और मीडिया के लिए टीआरपी का. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान शहाबुदीदन पर अपराध और कुशासन के प्रतीक के रूप में जब हमला कर रहे थे तो वह इसी बहाने वोटों के साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम कर रहे थे. यही काम बिहार से उनकी पार्टी के नेता गिरिराज सिंह अब भी कर रहे हैं. अगर शहाबुद्दीन भाजपा के लिए अपराध के मुखौटे के पीछे साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रतीक हैं तो दूसरी तरफ राजद के लिए शहाबुद्दीन वोटों के लिए एक खास सम्प्रदाय के नुमाइंदे के प्रतीक बन जाते हैं. राजद के लिए वह कितने महत्वपूर्ण हैं इसकी दो मिसालें काफी हैं. कोई तीन महीने पहले जब राजद ने संगठन की सर्वोच्च कार्यसमिति का गठन किया तो जेल के अंदर रहने के बावजूद शहाबुद्दीन उस समिति के सदस्य मनोनीत किए गए और दूसरी मिसाल सोशल मीडिया में वायरल हुआ वह वीडियो है जिसमें बिहार के एक मंत्री कारावास के अंदर उनसे विमर्श करते हुए दिखते हैं. रही बात शहाबुद्दीन के समर्थकों में उनके महत्व की तो भागलपुर से सीवान तक उनके स्वागत में उमड़ी भीड़ और फूटे पटाखों के दौरान मना जश्न इसकी गवाही है. यही कारण है कि अपनी इसी ताकत के भरोसे शहाबुद्दीन जिस पहले व्यक्ति पर प्रोक्ष रूप से हमला कर रहे हैं वह कोई विपक्षी दल नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. लालू प्रसाद को अपना आजीवन नेता घोषित करते हुए वह नीतीश को नेता मानना तो दूर उन्हें परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता कर खुद अपना और राजद के वर्चस्व को सिद्ध करना चाहते हैं. ऐसे में जब यह बाहुबली और आपराधिक छवि का नेता पक्ष, विपक्ष और अपने समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण हो तो स्वाभाविक तौर पर मीडिया उसे अनदेखा नहीं कर सकता.

अब कानून और कारावास के शिकंजों से बचे रहना शहाबुद्दीन की प्राथमिकता होगी. पर साथ ही सीवान में बिखर चुके अपने संगठन को सहेजने में वह लगेंगे. लेकिन अब जो माहौल उनके सामने होगा वह 12 वर्ष पूर्व के माहौल से एक दम अलग होगा. पहले की तरह रॉबिनहुड की छवि भाजपा उन्हें रचने की आजादी नहीं देगी, बल्कि वह शहाबुद्दीन पर अपने साम्प्रदायिक हथियारों से निशाना बनाना बेहतर मानेगी. सीवान में ओमप्रकाश यादव ने इसी हथियार से शहाबुद्दीन के साम्राज्य को बिखरने का नुस्खा अपनाया था. तब पहली बार ओमप्रकाश यादव ने शहाबुद्दीन के किले को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फतह किया था. लेकिन दूसरी बार उन्होंने जदयू का दामन थामने के बजाए भाजपा में शामिल होना उचित माना था. तब उनको पता था कि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की बहुत संभावना जदयू में नहीं थी. दूसरी बार ओमप्रकाश शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को हरा कर इस नुस्खे के महत्व को जान चुके हैं. याद रहे कि शहाबुद्दीन ने कभी साम्प्रदायिक राजनीति नहीं की. अपने राजनीतिक जीवन में मुस्लिम मुद्दे पर शहाबुद्दीन ने कभी मुंह नहीं खोला. सीवान में दो बार एमएलए और अनेक बार एमपी बनने का उनका यही नुस्खा था, लेकिन अब उन्हें मुस्लिम छवि फिट पड़ सकती है. वह उनके लिए सेफ साइड भी होगा. राजद में मुस्लिम कद्दावर नेता की नितांत कमी भी है. मुस्लिम छवि के साथ वह सीवान की सरहदों से निकल कर बिहार भर में अपना मैदान बनाने का मौका भी तलाशने का रास्ता चुन सकते हैं. दूसरी तरफ राजद के लिए, शहाबुद्दीन का मुस्लिम चेहरा बनके उभरना बेहतर भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है. शहाबुद्दीन ओवैसी इफैक्ट को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

पायरिया कारण और निवारण
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. अविनाश कुमार ओरल केयर क्लिनिक, काली स्थान, बेगूसराय (ग्लोकल हॉस्पिटल में कार्यरत)

बेगूसराय काली स्थान से डॉ. अविनाश कुमार ने दांतों के प्रति लोगों के दैनिक दिनचर्या में आलस्य को पायरिया होने का प्रमुख कारण बताया और साथ ही डॉ. अविनाश ने दांतों में होने वाली कैविटि को रोकने के लिए डेन्टिस्ट के सम्पर्क में रहने की भी बात भी कही। यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो दांत आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपके दैनिक जीवन में होने वाले कष्ट को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इसकी सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। पायरिया से होने वाले कारणों के बारे में बताते हुए डॉ. अविनाश ने बताया कि दांतों और मसूढ़ों की सही से सफाई नहीं हो पाने के कारण ही पायरिया होता है और यदि किन्हीं को डायबिटिज है तो उन्हें पायरिया होने की संभावना प्रबल होती है।

पायरिया के बारे में एक गलत धारणा यह है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं जबकि हकीकत ये है कि इसका इलाज मुमकिन है। पायरिया की वजह से हिलते दांतों को भी पक्का किया जा सकता है। अच्छी तरह से मुंह, दांत और जीभ की साफ-सफाई से ये बीमारी दूर हो सकती है। मसूड़ों को अगर ज्यादा नुकसान पहुंचा हो तो सर्जरी के जरिए उसे भी ठीक किया जा सकता है। अगर मसूड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच गया हो और दांत मसूड़ों से निकलने के करीब हो तो डेंटल इम्प्लांट के जरिए फिर से दांत लगाए जा सकते हैं। पायरिया शरीर में कैल्शियम की कमी होने, मसूड़ों की खराबी और दांत-मुंह की साफ सफाई में कमी रखने से होता है। इस रोग में मसूड़े पिलपिले और खराब हो जाते हैं और उनसे खून आता है। सांसों की बदबू की वजह भी पायरिया को ही माना जाता है। असल में मुंह में 700 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। इनकी संख्या करोड़ों में होती है। अगर समय पर मुंह, दांत और जीभ की साफ-सफाई नहीं की जाए तो ये बैक्टीरिया दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। पायरिया होने पर दांतों को सपोर्ट करने वाले जॉ बोन को नुकसान पहुंचता है। सावधानी- मुंह की अंदरुनी साफ-सफाई का ध्यान रखें - दांतों को अच्छी तरह साफ करें - जीभ को अच्छी तरह साफ करें - हार्ड टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं करें- रात को सोने से पहले भी ब्रश करें। घरेलू उपचार- आंवला जलाकर सरसों के तेल में मिलाएं. - इसे मसूड़ों पर धीरे-धीरे मलें- नीम की पत्तियां, काली मिर्च और काला नमक मिलाकर पीस लें. - इसका नियमित सेवन करें - खस, इलायची और लौंग का तेल मिलाकर मसूड़ों में लगाएं - जीरा, सेंधा नमक, हरड़, दालचीनी, दक्षिणी सुपारी को समान मात्रा में लें - इसे बंद बर्तन में जलाकर पीस लें - इस मंजन का नियमित प्रयोग करें - फिटकरी और काला नमक बारीक पीसकर दांतों पर मलें। - भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

JOHNSON PAINTS
— Interior & Exterior Wall Paints —
JP
बड़े अच्छे लगते हैं...
PERFECT Exterior Emulsion
JOHNSON Exterior Emulsion
JOHNSON PAINTS INDUSTRIES

अवध विश्वविद्यालय के व्हिसिल ब्लोअर प्रोफेसर की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा प्रबंधन

कलई खोल दी तो बुरा मान गए

वि.वि. और कॉलेज चला रहे हैं फर्जी कोर्स और हो रही हैं फर्जी परीक्षाएं

भंडाफोड़ कर दिया तो अपराधियों की तरह ऑपरेट करने लगा सिस्टम

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक ने परीक्षक के बतौर अमेठी के एक कॉलेज को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया और उसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को दी तो पूरा विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रोफेसर की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया. प्रोफेसर की रिपोर्ट से आधिकारिक तौर पर खुलासा हुआ कि विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों की साठगांठ से अमेठी के प्रेमनगर छीड़ा स्थित आचार्य विनोबा भावे महाविद्यालय फर्जी तरीके से परीक्षाएं कराने, फर्जी तरीके से शिक्षकों की भर्ती दिखा कर वेतन निकालने और फर्जी तरीके से पास के सर्टिफिकेट जारी करने का धंधा करता है. परीक्षक के बतौर कॉलेज में परीक्षा लेने गए अवध विश्वविद्यालय के फिजिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्राध्यापक डॉ. अनिल कुमार यादव ने जब फर्जीवाड़ा पकड़ लिया, तब उन्हें पहले तो रिश्वत देकर मनाने की कोशिश की गई, नहीं माने तो पिस्तौल की नोक पर दस्तावेजों पर दस्तखत करा लिए गए. प्रोफेसर ने इस घटना की रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रबंधन को दी तो प्रबंधन ने कॉलेज पर कार्रवाई करने के बजाय प्रोफेसर की ही फजीहत कर दी. स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ऐसे कॉलेजों से कितना उपकृत रहता है. विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलसचिव सह परीक्षा नियंत्रक अब्दुल मुईद अंसारी ने तो इस मामले को पर्सनल ले लिया. प्रोफेसर के खिलाफ अंसारी मुकदमे पर मुकदमे ठोक रहे हैं. अंसारी ऐसे बौखलाए हैं कि जैसे कॉलेज का फर्जीवाड़ा वही चलवा रहे थे. स्थानीय पुलिस तक कह रही है कि मुकदमे बेबुनियाद हैं, लेकिन स्थानीय अदालत पहले से ही खुद को अंसारी का पक्षकार माने बैठी है. अंसारी की अराजकता पर कुलपति प्रो. जीसीआर जायसवाल निरीह मौन साधे बैठे हैं. सरकार की जांच में प्रोफेसर द्वारा उद्घाटित तथ्य सच पाए गए थे और विश्वविद्यालय के कुलपति को कॉलेज की फर्जी परीक्षा रद्द करने पर विवश होना पड़ा था. लेकिन कॉलेज वालों के हाथ काफी लंबे और ऊंचे साबित हुए. हाईकोर्ट ने पक्षकार की बिना सुने, रद्द घोषित परीक्षा परिणाम को फिर से जारी कराया और फर्जी परीक्षार्थी पास हो गए. प्रोफेसर ने अर्जी दाखिल की कि अदालत ने उनकी बात सुने बिना फैसला जारी कर दिया, लिहाजा उनकी बात सुनी जाए. यह बात कहने पर अदालत ने प्रोफेसर पर दो लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया. कानून की धज्जियां उड़ गईं. प्रोफेसर अपनी ईमानदारी लिए-लिए दर-दर भटक रहा है. कॉलेज का गोरखधंधा जारी है. फर्जी परीक्षाएं जारी हैं. फर्जी तरीके से पास छात्र भी कहीं धंधा कर रहे होंगे. फर्जी कॉलेज के फर्जी शिक्षक नैतिकता पर भाषण दे रहे होंगे. देश का सिस्टम क्या है और यह कैसे अपराधियों की तरह ऑपरेट करता है, डॉ. अनिल यादव का मामला इसे व्याख्यायित करने वाला फिट केस है.

अब खबर तफसील से...अमेठी के प्रेम नगर छीड़ा स्थित आचार्य विनोबा भावे महाविद्यालय में पीजीडीसीए (पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन) की परीक्षा लेने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से डॉ. अनिल कुमार यादव और अतिथि प्रवक्ता कुमारी श्वेता श्रीवास्तव को बाह्य परीक्षक बनाया गया था. डॉ. अनिल प्रायोगिक परीक्षा कराने महाविद्यालय पहुंचे तो पाया कि वहां प्रायोगिक परीक्षा के लिए कोई उपकरण और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं. इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने परीक्षा शुरू करने का जोर बनाया. मौखिक परीक्षा के बाद उपस्थिति पत्रक पर कुल उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या 50 पाई गई, जिसमें एक छात्र के स्थान पर उसका भाई परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया. मूल्यांकन की औपचारिकताएं चल ही रही थीं कि कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रेम कुमार तिवारी ने 10 ऐसे छात्रों को भी उपस्थित दिखाने और उन्हें नंबर देने के लिए दबाव बनाया, जो परीक्षा में मौजूद ही नहीं थे. दबाव बढ़ने पर कुमारी श्वेता श्रीवास्तव सादे अवॉर्ड शीट व उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करके वहां से चली गईं. लेकिन डॉ. अनिल कुमार अड़े रहे. उन्होंने यह भी पाया कि उत्तर पुस्तिकाओं में श्वेता श्रीवास्तव की हस्ताक्षरित पांच कॉपियां और बढ़ी हुई हैं. यानी 50 के बजाय चमत्कारिक तरीके से कुल 55 उत्तर पुस्तिकाएं पाई गईं. इसके अलावा 10 और छात्रों को ऊपर से शामिल किए जाने का दबाव. डॉ. अनिल ने फर्जी छात्र (मुन्ना भाई) को परीक्षार्थी नहीं मानने और अनुपस्थित छात्रों को परीक्षार्थी के रूप में दर्ज नहीं करने का स्टैंड लिया तो कॉलेज प्राचार्य बौखला उठे. डॉ. अनिल कुमार यादव का कहना है कि प्राचार्य के इशारे पर हथियार दिखा कर उनसे सादे अवॉर्ड शीट्स पर हस्ताक्षर कराए गए और परीक्षा से संबंधित प्रपत्र और पारिश्रमिक तक छीन कर उन्हें अपमानित कर कॉलेज परिसर से बाहर निकाल दिया गया.

वहां से लौटते ही डॉ. अनिल यादव ने इस घटना के बारे

कुलपति प्रो. जीसीआर जायसवाल

अब्दुल मुईद अंसारी

में विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित सूचना दी और आचार्य विनोबा भावे महाविद्यालय में कराई गई फर्जी परीक्षा तत्काल प्रभाव से रद्द करने और दोषी प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का औपचारिक अनुरोध किया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस गंभीर शिकायत पर ठंडा रुख दिखाया. शिक्षकों का दबाव बढ़ने पर विश्वविद्यालय ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी. समिति ने सुनवाई भी की लेकिन रिपोर्ट नहीं सौंपी. जांच समिति के सदस्य भी भारत की मुख्यधारा से प्रभावित पाए गए, लिहाजा जांच में पक्षपात की शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से की गई. इस तरह इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रवेश हुआ. शासन के निर्देश पर मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई. सरकार की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को सौंप दी. लेकिन सरकार की पांच सदस्यीय समिति ने भी डॉ. अनिल कुमार का पक्ष नहीं सुना. इसकी भी शिकायत शासन से की गई. इस पर शासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से 13 बिंदुओं पर विस्तृत आख्या तलब की. समिति ने डॉ. अनिल की भी बात सुनी. उत्तर प्रदेश शासन ने अमेठी के प्रेम नगर छीड़ा स्थित आचार्य विनोबा भावे महाविद्यालय में हुई विवादास्पद परीक्षा को निरस्त करने का आदेश (पत्रांक: वीआईपी-130-सत्तर-6-2013-3(124)-2014 दिनांक-27.11.2013) जारी कर दिया. शासन ने उक्त परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली और अनियमितता की शिकायत को स्वीकार करते हुए दोषियों के खिलाफ एक महीने के अंदर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन से यह भी कहा कि की गई कार्रवाई से शासन को बाकायदा अवगत कराया जाए. सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. प्रेम कुमार तिवारी को केंद्राध्यक्ष के पद से हटाने का भी आदेश साथ-साथ जारी किया. शासन के इस आदेश पर अवध विश्वविद्यालय के कुलपति ने अमेठी के प्रेमनगर छीड़ा स्थित आचार्य विनोबा भावे महाविद्यालय की पीजीडीसीए प्रायोगिक परीक्षा-2011 रद्द कर दी. लेकिन शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कॉलेज के दोषी प्राचार्य और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई और न ही इस बारे में शासन को अवगत कराने की कोई जरूरत समझी गई.

परीक्षा रद्द होने का आदेश जारी होते ही भ्रष्ट-तंत्र सक्रिय हो उठा. आचार्य विनोबा भावे महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉ. प्रेम कुमार तिवारी ने तथ्यों को छुपाते हुए विश्वविद्यालय के निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी. पूर्वनियोजित तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में अपनी पैरवी लचर रखी और हाईकोर्ट के जज एसएन शुक्ला ने रद्द परीक्षाफल फिर से घोषित करने का फैसला सुना दिया. हाईकोर्ट ने केंद्राध्यक्ष पद से कॉलेज प्रिंसिपल को हटाए जाने के सरकारी आदेश को भी खारिज कर दिया. अदालत ने इस मामले में न विश्वविद्यालय की कुछ सुनी और न ही डॉ. अनिल कुमार की कोई बात सुनी. डॉ. अनिल कुमार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने की कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि डॉ. अनिल इस मामले के प्रमुख पक्षकार थे. डॉ. अनिल ने इसके खिलाफ

रिव्यु-पेटिशन दाखिल किया तो जज राजीव शर्मा ने डॉ. अनिल कुमार यादव पर दो लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया. उसी बेंच ने विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से दाखिल स्पेशल अपील भी बेसाख्ता खारिज कर दी. विडंबना यह है कि हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में बाद में परीक्षा नियंत्रक बने अब्दुल मुईद अंसारी ने 11 उन छात्रों का परीक्षाफल भी घोषित कर दिया, जो परीक्षा में बैठे ही नहीं थे. इसकी शिकायत करने पर कुलपति ने एक्जेक्यूटिव काउंसिल के सदस्य पूर्व पुलिस महानिदेशक केएल गुप्ता की अध्यक्षता में छह सदस्यीय जांच समिति गठित की. दिसम्बर 2014 में इस समिति की पहली बैठक हुई जिसमें परीक्षा नियंत्रक मुईद अंसारी को प्रथम द्रष्टया दोषी पाया गया और उनसे अग्रिम सुनवाई के लिए मूल अभिलेख मांगा गया. इस बैठक की सूचना जांच समिति के एक सदस्य शैलेन्द्र वर्मा को नहीं दी गई थी. परीक्षा नियंत्रक को बचाने के इरादे से बैठक की कार्यवाही (प्रोसीडिंग्स) को दर्ज भी नहीं किया गया.

इसके बाद व्हिसिल ब्लोअर डॉ. अनिल कुमार यादव के खिलाफ साजिशें सतह पर आने लगीं. परीक्षा नियंत्रक अब्दुल मुईद अंसारी ने डॉ. अनिल के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुलपति पर दबाव बनाना शुरू किया. कुलपति ने विज्ञान संकाय के अध्यक्ष प्रो. आरएल सिंह और भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अध्यक्ष डॉ. एसएन शुक्ला की मौजूदगी में डॉ. अनिल कुमार को अपने आवास पर बुलाकर प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और इसे शीघ्र निस्तारित करने का आश्वासन दिया. यहां तक कि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर दिए अपने वक्तव्य में भी कुलपति ने व्हिसिल ब्लोअर डॉ. अनिल कुमार प्रसंग का जिक्र किया और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की बात कही. लेकिन मामला ठंडे बस्ते में ही चला गया.

भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले डॉ. अनिल ने इस बीच अब्दुल मुईद अंसारी द्वारा पद का दुरुपयोग कर बिना औपचारिक मंजूरी के विश्वविद्यालय के धन से अपने सरकारी आवास में स्विमिंग पूल, मछली पालन हेतु पक्का तालाब, बकरी पालन के लिए पक्का शेड, मुर्गी पालन के लिए लोहे के पिंजड़े बनवाने के कृत्यों का भी पर्दाफाश कर दिया. इस पर अंसारी और बौखला गए. उन्होंने अंजनी यादव के नाम से डॉ. अनिल यादव के खिलाफ शिकायतनामा दाखिल कराया. बाद में अंजनी यादव ने ही उसे फर्जी करार दिया. लेकिन अंसारी की हरकतें रुकी नहीं. डॉ. अनिल कुमार यादव के खिलाफ अंसारी सारे हथकंडे अपना रहे हैं और आपराधिक षडयंत्र रच रहे हैं. इस बारे में डॉ. अनिल यादव ने प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग आयोग, मानवाधिकार आयोग और फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर वस्तुस्थिति की जानकारी दी है और सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है. डॉ. यादव ने अब्दुल मुईद अंसारी द्वारा पद का दुरुपयोग कर विश्वविद्यालय को वित्तीय क्षति पहुंचाने, शासनादेशों और अदालती आदेशों की अवहेलना कर सत्र 2015-16 की प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने, महाविद्यालयों को मान्यता देने में गलत रास्ता अख्तियार करने के बारे में भी शासन को विस्तृत जानकारी दी. अंसारी ने पद के दुरुपयोग की इंतिहा तब कर दी जब उनकी बेटी बुसरा अंसारी एमए उर्दू की परीक्षा दे रही थीं. नियमतः अंसारी को गोपनीय मुद्रण व परीक्षा कार्यों से दूर रहना चाहिए था. लेकिन अंसारी ने नियम और नैतिकता को ताक पर रख कर अपनी बेटी को प्रथम वर्ष (अनुक्रमांक-140011391002) में 77 प्रतिशत और द्वितीय वर्ष (अनुक्रमांक-2390002) में 72.6 प्रतिशत, यानी कुल 74.7 प्रतिशत (821/1100) अंक दिलवाए. ये अंक विश्वविद्यालय के इतिहास में उर्दू विषय में विगत कई वर्षों में गोल्ड मेडल प्राप्त छात्रों के अंकों से भी कहीं अधिक हैं. मुईद अंसारी डॉ. अनिल कुमार यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर मुकदमे ठोके जा रहे हैं. जबकि पुलिस की ही रिपोर्ट कहती है कि दर्ज किए जा रहे मुकदमे फर्जी हैं, संदेहास्पद हैं और निरस्त किए जाने योग्य हैं. फिर भी हमारा सिस्टम व्हिसिल ब्लोअर के पक्ष में कहां खड़ा होता है! पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराए जाने और दोषियों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई किए जाने की डॉ. अनिल कुमार यादव की मांग नक्कारखाने में तूती की आवाज की तरह घुट रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

अवध विश्वविद्यालय का पीजीडीसीए ही फर्जी!

सूचना के अधिकार के तहत अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने यहां चल रहे पीजीडीसीए कोर्स के बारे में जो सूचनाएं दीं, वे चौंकाने वाली हैं. इस सूचना से तमाम छात्र और उनके अभिभावक हतप्रभ हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन खुद कहता है कि पीजीडीसीए (पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन)पाठ्यक्रम का कोई अध्यादेश विश्वविद्यालय के पास नहीं है. यानी इस पाठ्यक्रम का संचालन अवैध रूप से हो रहा है. किसी भी नए पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए कुलपति नियमतः संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्टडीज) को निर्देशित करते हैं. अध्ययन बोर्ड नवसृजित पाठ्यक्रम का अध्यादेश और सिलेबस तैयार करता है. उसके बाद उसे एकेडेमिक काउंसिल और एक्जेक्यूटिव काउंसिल से पास कराया जाता है. इन औपचारिकताओं के बाद राज्य सरकार से पाठ्यक्रम शुरू करने की औपचारिक अनुमति मांगी जाती है. लेकिन विश्वविद्यालय ने ऐसा कुछ नहीं किया. इसी तरह अमेठी के प्रेमनगर छीड़ा स्थित आचार्य विनोबा भावे महाविद्यालय में भी पीजीडीसीए की मान्यता अनुमोदित नहीं है, लेकिन कागजातों पर वहां इसकी पढ़ाई हो रही है और परीक्षाएं भी ली जा रही हैं.

सपाई हलचल से बेअसर काम में जुटे शख्स पर नेतृत्व को भरोसा

गोप से होप

अस्थिरता के बीच स्थिर हितैषी के रूप में उभरी अरविंद सिंह गोप की छवि

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी अशांत है. पार्टी की अंदरूनी कलह कौमी एकता दल के सपा में विलय प्रसंग के बाद उभर कर सतह पर आ गई. इस कलह का शमन हो भी जाए, पर जो नुकसान होना था, वह तो हो ही गया. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश यादव को हटा कर शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने चाचा शिवपाल यादव के मंत्रिमंडलीय विभागों में कटौती कर डाली. उसके पहले अखिलेश यादव शिवपाल के चहेते मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटा कर अपनी ताकत दिखा चुके थे. समाजवादी पार्टी में लखनऊ से दिल्ली तक सरगर्मी मची है. कभी लखनऊ में बैठकें हो रही हैं तो कभी मुलायम और शिवपाल के बीच दिल्ली में गुफ्तगू हो रही है. शिवपाल से सारे महत्वपूर्ण विभाग छीन कर अखिलेश ने दिखाया कि वे मुख्यमंत्री हैं. फिर शिवपाल ने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी त्याग दिया. शिवपाल ने सरकार में अपमानजनक स्थितियों के कारण पहले भी इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन मुलायम के कहने पर मान जा रहे थे. इस बार स्थितियां विकट हैं. विडंबना यह भी है कि शिवपाल यादव को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का आधिकारिक पत्र सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव के हस्ताक्षर से जारी हुआ, जबकि रामगोपाल मुलायम के इस फैसले से सार्वजनिक असहमति जाहिर कर चुके हैं. रामगोपाल इस मामले में अमर सिंह की साजिश करार देने पर तुले हैं.

पार्टी की इस अस्थिरता के बीच अधिकांश नेता भी अस्थिर हैं. इधर-उधर झांक रहे हैं, बगलें ताक रहे हैं कि वे खुद को किस खेमे का साबित करें कि फायदा हो. सपा ऐसे ही अवसरवादी नेताओं की भीड़ से आक्रांत है. अभी से चर्चा होने लगी है कि पार्टी टूटी तो कौन अखिलेश के साथ रहेगा तो कौन शिवपाल के साथ. मीडिया वाले भी अभी से समाजवादी पार्टी को तोड़ कर किस खेमे का किस दल के साथ गठबंधन होगा, इसकी भविष्यवाणी परोसने में लगे हैं. ऐसे में समाजवादी पार्टी के लखनऊ मुख्यालय में एक नेता आम जनता के झुंड के बीच बैठा उनकी शिकायतें निपटाता हुआ और पार्टी के लिए चुनावी रणनीतियों पर चर्चा में मशगूल दिखता है तो आश्चर्य भी होता है और संतोष भी. अस्थिरता में भी पार्टी के स्थिर हितैषी की भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री और पार्टी के महासचिव अरविंद सिंह गोप. गोप कहते हैं, 'मैं तो सपा का सिपाही हूं. शीर्ष नेतृत्व के जो विचारधारात्मक मसले हैं, उन्हें निपटाना शीर्ष नेतृत्व का काम है. मुझे तो सपा के अभिभावक मुलायम सिंह यादव और सरकार के अभिभावक अखिलेश यादव ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूं और पार्टी हित के लिए काम करते रहने के लिए प्रतिबद्ध हूं. मैं तो इस बात से ही गौरवान्वित रहता हूं कि देश के सबसे बड़े किसान नेता मुलायम सिंह यादव मुझे राजनीतिक गुरु के रूप में प्राप्त हुए. उन्होंने सिखाया, गरीब-किसान-कमजोर की मदद करना, जुल्म-अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना और हृदय को विशाल रखना. नेताजी की यह सीख मेरे जीवन का मूल मंत्र है. उत्तर प्रदेश का विकास मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मूल लक्ष्य है. इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर मैंने अपने ग्राम्य विकास विभाग के जरिए ग्राम विकास की विभिन्न योजनाओं पर ऐतिहासिक काम कराए. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं में अपनी तरफ से कई अतिरिक्त सुविधाएं भी संलग्न कीं. देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री ने जिस तरह केवल काम को प्राथमिकता दी है, उससे यह स्पष्ट है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी.'

मंत्री, विधायक और पार्टी महासचिव के तीन रूपों में बंटी भूमिका का समन्वय और एक दूसरे के साथ ईमानदारी बरतने का प्रसंग आने पर गोप ने कहा, 'देखिए मैं तो एक विधायक ही था, लेकिन आपकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता को नेतृत्व के स्तर से कोई देख भी रहा होता है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुझे राज्य मंत्री के बतौर ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी और काम को देखते हुए उन्होंने मुझे अपने कैबिनेट में शरीक करने का गौरव प्रदान किया. शायद इसी प्रतिबद्धता का पुरस्कार है कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने मुझे पार्टी का प्रदेश महासचिव बना दिया. मुख्यमंत्री ने मुझे मंत्री के रूप में परफॉर्म करने का सुअवसर दिया तो नेताजी ने मुझे सांगठनिक क्षमता दिखाने का सुअवसर दिया. मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण दायित्व और पार्टी संगठन में महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे शासनिक, राजनीतिक और जन-प्रतिनिधिक संतुलन और समन्वय स्थापित करने में काफी मदद करती है. मैं मंत्री, महासचिव और विधायक तीनों दायित्वों को निभाने के लिए समय देता हूं और तीनों दायित्वों के साथ न्याय करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूं. अब चुनाव आने वाला है तो सांगठनिक स्तर की बैठकों का सिलसिला चल रहा है. यूथ विंग की बैठकें हो रही हैं. बूथ वाइज बैठकें हो रही हैं. साइकिल यात्राएं चल रही हैं, वृक्षारोपण अभियान चल रहे हैं. प्रत्येक दिन दो विधानसभा क्षेत्रों का दौरा चल रहा है. सांगठनिक तौर पर पूरा मैराथन चल रहा है, सरकारी योजनाएं कार्यान्वयन के स्तर पर अलग परवान पर हैं, लेकिन कहीं से भी मंत्री के दायित्व, महासचिव के दायित्व और जन प्रतिनिधि के दायित्व की उपेक्षा नहीं हो रही है.'

बातचीत के बीच में यह भी प्रसंग आया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता अरविंद सिंह गोप समाजवादी पार्टी से आखिर कैसे जुड़ गए, तो गोप फ्लैशबैक में चले जाते हैं. कहते हैं, 'मैं अपने सारे अच्छे-बुरे संघर्ष के दिनों को याद रखता हूं. यह बात मुझे बहुत सुकून देती है कि मैं उन कुछ सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हूं जिस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतना भरोसा करते हैं. मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एक सामान्य छात्र ही तो था. बाद में छात्र राजनीति से जुड़ा और ऐसा पहला छात्र संघ अध्यक्ष बना जिसे समाजवादी पार्टी का सीधा समर्थन प्राप्त हुआ था. नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जैसे मुझे गोद ले लिया. उन्होंने मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ हैदरगढ़ से चुनाव लड़वा दिया. मतगणना में एक दौर ऐसा भी आया, जब राजनाथ सिंह मुझसे पिछड़ रहे थे. देशभर में खलबली मच गई थी. हालांकि मैं चुनाव हार गया, लेकिन इस चुनाव ने मुझे पार्टी में स्थापित कर दिया. सालभर बाद ही वर्ष 2003 में राजनाथ सिंह राज्यसभा चले गए और मैं फिर हैदरगढ़ सीट से मैदान में आ डटा. मेरा पर्चा दाखिला अखिलेश यादव जी की अगुवाई में ही हुआ था. इस उप चुनाव में मेरी जीत हुई. उप चुनाव तो कई जगह हुए थे लेकिन हैदरगढ़ अकेली सीट थी, जहां से सपा जीती थी. इस जीत से तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती इतना बौखला गई थीं कि उन्होंने कुछ ही घंटे के भीतर बाराबंकी जिला प्रशासन के सभी अफसरों का तबादला कर दिया. एक साल बाद सपा की सरकार बनने पर नेताजी ने मुझे लोक निर्माण राज्यमंत्री बनाया था. यह नेताजी का ही आशीर्वाद था कि मैंने 2007 का चुनाव भी जीता. फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में मायावती सरकार के खिलाफ प्रबल संघर्ष में शरीक होने का अवसर मिला, वह संघर्ष इस चरम परिणति पर पहुंचा कि बसपा की चिंदियां बिखर गईं. 2012 के चुनाव में सपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, उस जीत में अरविंद सिंह गोप नाम का सपा का सिपाही भी शरीक था. बाराबंकी की छहों विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी ने ही जीती. मुझे तो हैदरगढ़ सीट आरक्षित हो जाने के कारण नये चुनाव क्षेत्र रामनगर की चुनौती भी मिली थी. पर, संघर्ष तो समाजवादियों के संस्कार में है. सपा जूझारू जन-संघर्षों से ही पैदा हुई पार्टी है. हम सब अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जैसे मार्गदर्शक और ऊर्जा से भरे हुए नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं. नेताजी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के जूझारू नेतृत्व के कारण हमने 2012 का चुनाव जीता था और हमें पूरा यकीन है कि 2017 में भी फिर बहुमत की सरकार बनाएंगे.'

> **अनुभवी मुलायम का निर्देशन और अभिभावकत्व, विकासोन्मुखी अखिलेश यादव का बेदाग चेहरा और इनके आह्वान पर जूझ पड़ने वाले कार्यकर्ता, हमारी जीत के दावे का सूत्र वाक्य है. आप प्रदेशभर में सर्वे करा लीजिए. प्रदेश का युवा भारी संख्या में अखिलेश यादव के साथ है. समझदार जनता हमारे साथ है. हमारा घोषणा पत्र और इस पर हमारा किया गया काम हमारे इस दावे का सबूत है.**

2017 में विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किस सूत्र वाक्य पर आधारित है? इस पर अरविंद सिंह गोप कहते हैं, 'अनुभवी मुलायम का निर्देशन और अभिभावकत्व, विकासोन्मुखी अखिलेश यादव का बेदाग चेहरा और इनके आह्वान पर जूझ पड़ने वाले कार्यकर्ता, हमारी जीत के दावे का सूत्र वाक्य है. आप प्रदेशभर में सर्वे करा लीजिए. प्रदेश का युवा भारी संख्या में अखिलेश यादव के साथ है. समझदार जनता हमारे साथ है. हमारा घोषणा पत्र और इस पर हमारा किया गया काम हमारे इस दावे का सबूत है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के युवकों को लैपटॉप देकर आधुनिक विज्ञान की जरूरत से उन्हें जोड़ा. तब लोगों ने खिल्लियां उड़ाई थीं और बाद में तमाम राज्यों ने उसकी नकल की. अब मुख्यमंत्री ने स्मार्ट फोन देने की घोषणा कर दी है. अब हर व्यक्ति विकास योजनाओं के काम पर नजर रखेगा और मुख्यमंत्री तक को सीधे स्मार्ट फोन से सूचित कर पाएगा. लखनऊ समेत कई जिलों में मेट्रो परियोजना शुरू हुई. लखनऊ में तो जल्दी ही मेट्रो रेल चलने भी लगेगी. उत्तर प्रदेश एक मुकम्मल देश की तरह प्रगति कर रहा है.'

लेकिन किसानों और बेरोजगारों की हालत और प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली? सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि गोप कहने लगते हैं, 'किसानों की खुशहाली मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह सीख उन्हें विरासत में भी मिली है. अखिलेश यादव ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कई योजनाएं लागू की हैं. उत्तर प्रदेश में खेती में अहम योगदान दे रही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाजवादी पार्टी सरकार लगातार प्रयासरत है. किसानों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार कई योजनाएं ला चुकी है. अब न कहीं खाद की किल्लत होती है और न बीज की. गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए भी सरकार लगातार चीनी मिलों पर दबाव बनाए हुई है. कई मिलों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट तक जारी कर दिए गए हैं. जहां तक शिक्षित युवकों की बेरोजगारी का प्रश्न है, मेट्रो रेल परियोजना से लेकर साइबर सिटी और स्मार्ट सिटी की योजना रोजगार के रास्ते ही तो खोलेगी. लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा. बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन जैसी योजनाएं इन्हीं चिंताओं के कारण तो शुरू की गईं. कानून व्यवस्था के मोर्चे पर वास्तविकता से अधिक बदनामी है. इसमें मीडिया की भूमिका अतिरंजित है. जबकि यूपी में अन्य राज्यों की तुलना में अपराध कम हैं. यूपी में पुलिस का जिस तरह आधुनिकीकरण हुआ, उसका भी तो ईमानदार विश्लेषण होना चाहिए. पुलिस के सारे खटारा वाहन बदल डाले गए. पुराने जर्जर हथियार बदल दिए गए. चौबीस घंटे ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के एक दिन का साप्ताहिक अवकाश का नियम बना दिया गया. आज उत्तर प्रदेश की 100 डायल योजना की दुनियाभर में चर्चा है और कई देश इसे देखने-समझने यूपी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसका श्रेय मीडिया वाले क्यों नहीं देते!' 'हम फिर जीत कर आ रहे हैं...' यह कहते हुए अरविंद सिंह गोप ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली किसी मीटिंग के लिए गंवई साफा बांध कर निकल पड़ते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

विवाद के भंवर में साहित्य

अनंत विजय

साहित्यिक पत्रिका सामयिक सरस्वती के ताजा अंक में कथाकार और पेंटर प्रभु जोशी और कहानीकार भालचंद्र जोशी के बीच का एक विवाद प्रकाशित हुआ है. इस विवाद को लेकर संपादक की एक टिप्पणी है-साहित्य में विवाद का पुराना रिश्ता है. समय-समय पर साहित्य की दुनिया में लेखकों के लिखे पर विवाद होते रहते हैं. कुछ वर्ष पुरानी बात है जब मैत्रेयी पुष्पा को लेकर ये हवा गरम रहती थी कि उनके लिए राजेन्द्र यादव और उनकी एक पूरी टीम लिखती है. फिर ये विवाद महुआ माजी को लेकर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में चर्चा का विषय बना. ...तो कथाकार जयश्री रॉय के लेखन पर भी इस विवाद के छींटे आईं. इधर ताजा विवाद प्रभु जोशी के ऑडियो ने फैलाया है, जिसमें वो कथाकार भालचंद्र जोशी पर अपनी बात कहते हैं. हमने उनके ऑडियो को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने की कोशिश की है. साथ ही इस विषय पर भालचंद्र जोशी का मत भी प्रकाशित कर रहे हैं. हमारा मानना है कि साहित्य में इस तरह के विवादों से साहित्य को ही नुकसान होता है. इस विवाद पर पाठकों की प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित है. जोशी बनाम जोशी विवाद पर थोड़ा ठहरकर आते हैं, लेकिन पहले सामयिक सरस्वती के संपादक की टिप्पणी पर बात कर लेते हैं. संपादक का मानना है कि इस तरह के विवादों से साहित्य का नुकसान होता है लेकिन अगली ही पंक्ति में वो पाठकों से प्रतिक्रिया मांग रहे हैं. संभव है वो अपने मत पर पाठकों की स्वीकृति चाहते हों लेकिन अगर संपादक का मानना है कि इस तरह के विवादों से साहित्य का नुकसान होता है तो उसको अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका में इतना जगह देना क्या उचित है? यह तो वैसी ही प्रवृत्ति है जो इन दिनों न्यूज़ चैनलों में खासतौर पर दिखाई देने लगी है. बहुधा विवादित वीडियो पर ये लिखा होता है कि-चैनल इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है लेकिन उस वीडियो को दिनभर बार-बार दिखाया जाता है. अगर विवाद साहित्य के लिए नुकसानदायक हैं तो उसको हवा देने की क्या आवश्यकता और अगर वीडियो के प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकते हैं तो उसको लगातार दिखाने की क्या मजबूरी? इसके पीछे की वजह क्या है इस बारे में फैसला लेने का अधिकार पाठकों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए.

अब आते हैं जोशी बनाम जोशी विवाद पर. दरअसल, पिछले दिनों इंदौर में एक साहित्यिक जलसे में कथाकार और चित्रकार प्रभु जोशी के दिए भाषण का एक ऑडियो साहित्य प्रेमियों के बीच व्हाट्सएप पर जमकर साझा किया गया. इस ऑडियो में प्रभु जोशी अपनी दमदार आवाज में भालचंद्र जोशी के लेखन को लेकर आक्रामक नजर आ रहे थे. लेकिन ऑडियो और उसकी सत्यता की प्रामाणिकता हमेशा से संदिग्ध रही है लिहाजा साहित्य जगत में आपसी बातचीत में तो प्रभु जोशी के इस कथित ऑडियो को लेकर खूब चर्चा हुई लेकिन कहीं इसके बारे में न तो लिखा गया और न ही छापा गया. अब सामयिक सरस्वती ने प्रभु जोशी के उस ऑडियो का लिप्यांतरण कर छाप दिया है और साथ में भालचंद्र जोशी की लंबी सफाई भी छापी गई है. प्रभु जोशी ने अपने भाषण में दावा किया है कि जबतक भालचंद्र जोशी उनके साथ रहे तबतक उनकी कहानियों का पुनर्लेखन करते रहे. अपने दावों के समर्थन में वो अपने बेटे का उदाहरण देते हुए कहते हैं-मेरा बेटा कभी-कभी फोन करता और बाइचांस ये (भालचंद्र जोशी) होते तो उठा लेता था तो वो चिढ़ता था कि ये आदमी... क्या फिर आपसे कहानी लिखवाने आ गया है. आप अपनी भाषा का क्लोन पैदा करना चाहते हो क्या पापा? जिस दिन आप लिखना शुरू करोगे तो लोग समझेंगे कि भालचंद्र जोशी की नकल कर रहा है. प्रभु जोशी ने अपने भाषण में ये साबित करने के लिए कि वो भालचंद्र की कहानियों का पुनर्लेखन करते हैं, अपनी पत्नी से हुई बातचीत से लेकर बेटे को लिखे पत्रों का हवाला देते हैं. वो कई साहित्यकारों से हुई बातचीत का हवाला भी देते हैं और भालचंद्र को मूर्ख साबित करने की कोशिश करते हुए ये सलाह भी देते हैं कि वो खोखला जीवन जीना बंद करें.

इसके अलावा प्रभु जोशी ने भालचंद्र पर किए एहसानों की सूची भी गिनाई. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी प्रतीत होती है कि प्रभु जोशी को ये अब लगता है कि उन्होंने भालचंद्र जोशी के लिए कहानियां लिखकर गलती कर दी. भालचंद्र उनसे ज्यादा मशहूर हो गया. लेकिन प्रभु जोशी ने जिस तरह से दूसरे साहित्यकारों का नाम लिया है उससे उनकी भी कुंठा उजागर होती है. जैसे एक जगह वो आलोचक रोहिणी अग्रवाल को रोहिणी-बोहिणी अग्रवाल कहते हैं. क्या इस तरह से साथी रचनाकारों का नाम लेना वो भी सार्वजनिक मंच पर, मर्यादित व्यवहार है? इससे पता चलता है कि प्रभु जोशी के अंदर भालचंद्र को लेकर कोई ग्रंथि है जिसकी वजह से वो ऐसी हल्की और अमर्यादित बातें करते हैं. अगर कुछ देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि प्रभु जोशी उनकी कहानियों का क्लाइमेक्स बदल देते हैं या फिर कुछ बदलाव का सुझाव देते हैं तो इसमें गलत क्या है. हंस के संपादक राजेन्द्र यादव ने जाने कितने कहानीकारों की कहानियों का अंत बदलवाया होगा, कितनी कहानियों के पात्रों के चरित्र को बदलवाया होगा तो क्या ये मान लिया जाए कि सबके लिए यादव जी ही लिखते थे. साथी रचनाकार एक दूसरे से अपनी रचनाएं साझा करते हैं और उसपर सुझाव आदि भी मांगते और उसपर अमल करते हैं. इसमें बुराई क्या है.

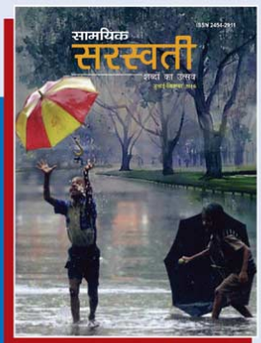

जोशी बनाम जोशी विवाद के अलावा जिस तरह से कवयित्री गगन गिल को लेकर फेसबुक पर विवाद उठा वो भी बिल्कुल अवांछित था. जिस तरह से गगन गिल के विवाद में फेसबुक पर लेखक बंटे नजर आए वो भी चिंतनीय है. गगन गिल विवादों से दूर रहती हैं और निर्मल वर्मा की मृत्यु के बाद साहित्यिक समारोहों आदि में भी कम ही नजर आती हैं. उन्होंने खुद को समेट लिया है तो ऐसे माहौल में उनपर कीचड़ उछालना गलत है. जिस तरह से कुछ लेखकों ने अपनी साथी लेखिकाओं को लेकर टिप्पणियां की वो उनकी मानसिकता को उघाड़ने वाली हैं.

भालचंद्र जोशी ने अपनी सफाई में भी ये माना है कि प्रभु जोशी ने उनकी कुछ कहानियों में बदलाव के सुझाव दिए थे जो उन्होंने मान लिए थे. अपनी सफाई में भालचंद्र ने भी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं. उनकी टिप्पणियों पर गौर करें-शहर के इस असफल और भारत भवन के पेंटरों की भाषा में प्राथमिक स्कूल के बच्चोंनुमा पेंटिंग करने वाले पेंटर और एक चुके हुए लेखक दोनों ने अपने सभी क्षेत्रों की असफलता और कुंठा की भड़ास मुझ पर निकाली और इस कुंठा, भड़ास और ईर्ष्या से लिपटी भाषा से निर्मित खुद की स्तरहीन छवि से उपस्थित श्रोताओं को हतप्रभ कर दिया. इसके अलावा अपने लेख में भालचंद्र जोशी ने प्रभु जोशी पर अंधविश्वासी होने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कई प्रसंगों को उद्धृत कर प्रभु जोशी के दोहरे चरित्र को उजागर करने का उपक्रम भी किया है. परंतु लगभग हर विवाद की तरह इस विवाद की नींव भी पांच लाख रुपयों को लेकर पड़ी प्रतीत होती है जब प्रभु जोशी के लिए भालचंद्र जोशी ने जुटाए थे. खैर ये व्यक्तिगत मसले हैं और उनको साहित्यिक विवाद की आड़ देना उचित नहीं है. दरअसल इन दिनों हिंदी में साहित्यिक विवादों की जगह व्यक्तिगत राग-द्वेष ने ले ली है.

जोशी बनाम जोशी विवाद के अलावा जिस तरह से कवयित्री गगन गिल को लेकर फेसबुक पर विवाद उठा वो भी बिल्कुल अवांछित था. जिस तरह से गगन गिल के विवाद में फेसबुक पर लेखक बंटे नजर आए वो भी चिंतनीय है. गगन गिल विवादों से दूर रहती हैं और निर्मल वर्मा की मृत्यु के बाद साहित्यिक समारोहों आदि में भी कम ही नजर आती हैं. उन्होंने खुद को समेट लिया है तो ऐसे माहौल में उनपर कीचड़ उछालना गलत है. जिस तरह से कुछ लेखकों ने अपनी साथी लेखिकाओं को लेकर टिप्पणियां की वो उनकी मानसिकता को उघाड़ने वाली हैं. हमारा तो मानना है कि लेखिकाओं पर टिप्पणी करने वाले लेखक अपने गिरेबां में झांक कर देखना चाहिए. दरअसल हिंदी साहित्य में इन दिनों विवादों का स्तर बहुत गिर गया है. हिंदी के पाठकों को याद होगा कि मई दो हजार एक में साहित्यिक पत्रिका वर्तमान साहित्य में उपेन्द्र कुमार की एक कहानी-झूठ कीमूठ छपी थी. उस कहानी में तलवार को रूपक के रूप में उठाकर महानगर दिल्ली के बजबजाते हुए समकालीन साहित्यिक परिदृश्य को उभारने की कोशिश की गई थी. उस व्यंग्यात्मक रचना की सफलता इस बात में थी कि वो कहानी सपाटे से हिंदी साहित्यकारों के चरित्र, व्यवहार और लेखन को गहराई में उजागर ही नहीं करती, साहित्य की राजनीति से भी परिचित कराती हुई सीधे मर्म पर चोट करती है. उस वक्त हिंदी के कुछ साहित्यकारों ने तलवार के प्रतीक को जातीय दंभ से जोड़कर देखा था लेकिन उसपर हुई चर्चा में एक साहित्यिक मर्यादा कायम रही थी. कई अखबारों ने उस कहानी पर पूरे पृष्ठ की परिचर्चा करवाई थी परंतु कहीं भी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी गई थी. कुछ ऐसा ही हुआ था जब राजेन्द्र यादव ने होना सोना लिखा था. जमकर बहसे हुईं, तर्क वितर्क हुए लेकिन तब भी कुतर्क को कोई स्थान नहीं मिला था. जबकि अब तो विवादों में कुतर्क ही केंद्र में है और बाकी सबकुछ परिधि के बाहर. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.tbn@gmail.com

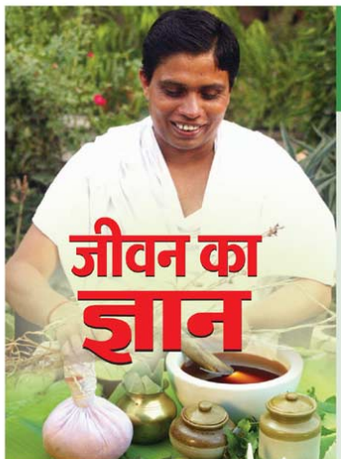

अंजीर

परिचय

अंजीर दो प्रकार का होता है. 1. कृषित या बोया हुआ, जिसके पत्ते व फल बड़े होते हैं. 2. जंगली, जिसके फल व पत्ते इससे छोटे होते हैं. अंजीर के फल अत्यन्त पौष्टिक होते हैं. जिस जमीन में चूने का अंश अधिक होता है, उसमें अंजीर बहुत अच्छी तरह से फलता है. यह मूलतः भूमध्यसागरीय भागों, दक्षिण-पश्चिम एशिया एवं मध्य पूर्वी भागों में पाया जाता है. यह विश्व में बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से पुर्तगाल, यूरोप, नेपाल में 1200 मी तक की उंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है. भारत में इसकी उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों एवं दक्षिणी प्रदेशों में खेती की जाती है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **शिरशूल-** अंजीर वृक्ष की छाल को पीसकर माथे पर लेप करने से शिर की वेदना का शमन होता है.
- **मुख रोग-** शुष्क अंजीर फल का क्वाथ बनाकर गरारा करने से मुखपाक आदि रोगों का शमन होता है.
- **श्वसनतंत्र विकार-** अंजीर की शाखाओं का क्वाथ बनाकर 10-20 मिली मात्रा में पीने से श्वसन-संस्थागत विकारों में लाभ होता है.
- **राजयक्ष्माजन्य रक्तनिष्ठीवन-** पके हुए अंजीर में मधु मिलाकर खाने से रक्त निष्ठीवन तथा पुरानी खांसी में लाभ होता है.
- **दमा-** अंजीर तथा गोरख इमली चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें. इसे एक-दो ग्राम मात्रा में प्रातः सेवन करने से दमा में लाभ होता है.
- **हृदयविकार-** अंजीर फल का सेवन करने से हृदय एवं रक्तवाहिनी संबंधी विकारों में लाभ होता है.
- अंजीर फल का सेवन करने से प्रवाहिका तथा आंखों की सूजन का शमन होता है.
- अंजीर का पाचक के रूप में प्रयोग अजीर्ण तथा हृद्दाह आदि की चिकित्सा में किया जाता है.
- अंजीर मूल को पीसकर लगाने से सफेद दाग तथा दाद में लाभ होता है.
- अंजीर के कच्चे फल से प्राप्त आक्षीर को लगाने से चर्मकील में लाभ होता है.
- सफेद कोढ़ की प्रारंभिक अवस्था में अंजीर के पत्तों का रस लगाने से अत्यन्त लाभ होता है.
- **त्वचा रोग-** फोड़ों को जल्दी पकाने के लिए अंजीर को पीसकर लेप करना चाहिए.
- सूखे या हरे अंजीर को पीसकर, जल में पकाकर, गुनगुना लेप करने से सूजन का शमन होता है.
- प्रतिदिन 1 अंजीर का सेवन करने से शरीर दौर्बल्य का शमन होता है तथा शरीर पुष्ट हो जाता है या शुष्क अंजीर के एक या दो फलों को रात्रि पर्यंत जल में भिगोकर प्रातः सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है.
- **कीट दंश-** अंजीर के आक्षीर को दंश स्थान पर लगाने से कीट दंशजन्य वेदना तथा दाह आदि प्रभावों में लाभ होता है. ■

प्रयोज्यांग : *पत्र, फल, मूल, आक्षीर तथा काण्डत्वक्.*

मात्रा : *क्वाथ 10-20 मिली. शुष्क फल एक-दो या चिकित्सक के परामर्शानुसार.*

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

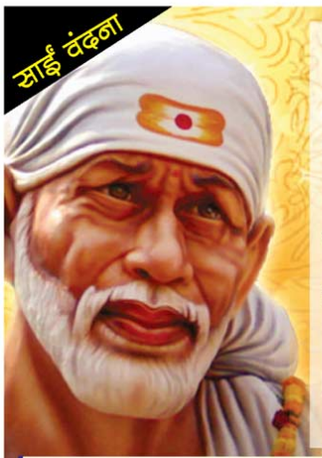

शाश्वत साईं चेतना

जब वे सद्गुरु की दिव्य संवेदनशीलता और अन्य ईश्वरीय गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, तब वे उनकी पूजा करनी भी शुरू कर देते हैं. इस प्रकार करते-करते वे क्रमशः सद्गुरु के साथ एक प्रकार का सूक्ष्म मानसिक एवं भावात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं. वे यह भी अनुभव करने लगते हैं कि सद्गुरु आध्यात्मिक प्रगति में उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको सांसारिक कठिनाईयों से बचाते भी रहते हैं.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

भक्ति ही ईश्वर या सद्गुरु-पूजन का मूल मंत्र है. श्री शिरडी साईं बाबा के अनुसार श्रद्धा एवं सबूरी भक्ति-मार्ग के दो आवश्यक गुण हैं. भक्ति-परंपरा के इतिहास को पढ़ने का यह अहसास होता है कि एक शरीरधारी सद्गुरु के प्रति दृढ़ आस्था रखना संभवतः ज्यादा सहज है, बल्कि उन सद्गुरुओं के प्रति जो कि शरीर छोड़ चुके हैं. श्री सद्गुरु अदृश्य एवं सूक्ष्म क्रिया-कलापों के साथ प्रत्यक्ष रूप में भी जन-कल्याण के लिए अपने असंख्य कर्म करते रहते हैं. एक शरीरधारी सद्गुरु को भक्तगण अपनी इंद्रियों के माध्यम से पारस्परिक रूप में तथा प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं और छू सकते हैं, जो कि सद्गुरु की निश्चल प्रतिमा, फोटो या चित्र आदि के द्वारा संभव नहीं है. जिन भक्तों ने सद्गुरु के मानवीय शरीर-धारण की अवधि में उनके साथ (चाहे वह शारीरिक रूप में उनसे कहीं दूर हो) एक सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया द्वारा आध्यात्मिक संयोग स्थापित कर लिया, उनके लिए सद्गुरु के शरीर छोड़ने के बाद भी इस प्रकार का सूक्ष्म मानसिक संपर्क बना रहता है. वो भक्त जो सद्गुरु के साथ रहते हुए भी इस प्रकार की प्रगति नहीं कर पाये थे या तो जो सद्गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाए थे, ऐसे भक्तों के लिए सद्गुरु के शरीर छोड़ने के बाद उनके प्रति उसी प्रकार का श्रद्धा-भाव बनाये रखना कठिन था. इस कारण उनके गुरु-ध्यान और एकाग्रता एवं एकनिष्ठता में क्रमशः ह्रास होने की संभावना रहती है. सद्गुरु के समक्ष भक्तगण एक प्रकार की सूक्ष्म मनःस्थिति को प्राप्त करते हैं, जिसको हम अन्य भाषा में आध्यात्मिक पोषण या आध्यात्मिक पुष्टिकरण भी कह सकते हैं. सद्गुरु के महाप्रयाण के पश्चात उनकी समाधि का पूजन भक्तगण केवल उसके कलात्मक सौंदर्य के कारण ही नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं उस समाधि के नीचे उन सद्गुरु का शरीर है, जिनको कि वे प्यार करते हैं.

जो भक्त सद्गुरु के महाप्रयाण के बाद जन्म लेते हैं, उनकी स्थिति कुछ और है. सद्गुरु से संबंधित अनुभव-प्राप्त उन पुराने भक्तों से या आदि से सद्गुरु के दिव्य गुणों के बारे में उन्हें जो जानकारी प्राप्त होती है, उससे प्रभावित होकर वे भक्त बन जाते हैं. आजकल तो इस प्रकार की सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं. अतः जब वो सद्गुरु के अनुगामी या अनुयायी बन जाते हैं, तो फिर वे (भक्तगण) अपने गुरु से संबंधित साहित्य पढ़ने लगते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न करने लगते हैं. जब वे सद्गुरु की दिव्य संवेदनशीलता और अन्य ईश्वरीय गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, तब वे उनकी पूजा करनी भी शुरू कर देते हैं. इस प्रकार करते-करते वे क्रमशः सद्गुरु के साथ एक प्रकार का सूक्ष्म मानसिक एवं भावात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं. वे यह भी अनुभव करने लगते हैं कि सद्गुरु आध्यात्मिक प्रगति में उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको सांसारिक कठिनाईयों से बचाते भी रहते हैं.

हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं कि केवल एक शरीरधारी सद्गुरु ही अपने भक्तों का दिशा-निर्देश कर सकते हैं एवं उनकी रक्षा कर सकते हैं और जब एक बार वे अपना शरीर छोड़ देते हैं तो वे अपने भक्तों को सक्रिय रूप से सहायता नहीं पहुंचा सकते. इसीलिए जिन्हें वे जीवित सद्गुरु कहते हैं, केवल उन्हीं का अनुसरण करने पर ही बल देते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

डेल स्टेन की रफ्तार विश्व क्रिकेट में कर रही धमाका, कई रिकॉर्ड तोड़े

अब हरभजन के रिकॉर्ड पर निशाना

डेल स्टेन ने सभी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीम के खिलाफ पांच विकेट अपनी झोली में डाला है. टेस्ट क्रिकेट में अकरम को पीछे छोड़ने वाले डेल स्टेन अब हरभजन सिंह के 417 विकेट के रिकॉर्ड को भी बेहद आसानी से पार कर सकते हैं. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में मुथाया मुरलीधरन ने 800 विकेट चटकाए जिसके पास तक पहुंचना किसी भी गेंदबाज के लिए सपना होगा. वन डे में भी स्टेन का प्रदर्शन ठीक रहा है. उन्होंने 112 वन डे मैचों में 175 विकेट चटकाए हैं. कुल मिलाकर डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका की टीम में सबसे बड़े मैच विनर के रूप में उभरे हैं.

सैयद मोहम्मद अब्बास

विश्व क्रिकेट जगत में आजकल बल्लेबाजों की धूम देखी जा सकती है. बल्लेबाज आए दिन रिकॉर्ड बनाते हैं. मौजूदा समय में विराट का बल्ला खूब बोल रहा है. क्रिकेट जगत में पहले सचिन के नाम का सिक्का चमकता था, लेकिन उनके संन्यास के बाद विराट अपने बल्ले की ताकत के बदौलत खूब नाम कमा रहे हैं. जहां एक ओर बल्लेबाज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं वहीं गेंदबाजों ने भी अपना लोहा मनवाया है. डेल स्टेन की गेंदें आग उगल रही हैं. रफ्तार और गजब की स्विंग का मिश्रण कराने वाले स्टेन ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दुनिया के कई बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए हैं. आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले डेल स्टेन लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं. आलम यह है कि अब बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंदबाजी बुरा सपना साबित हो रही है. डेल स्टेन ने हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए कीवी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. स्टेन की सफलता का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने केवल 84 टेस्ट मैचों में कुल 416 विकेट झटक कर अकरम के 414 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. डेल स्टेन की नजर अब हरभजन सिंह के रिकॉर्ड पर लगी हुई है. उनकी गेंदों की स्पीड देखकर डेल स्टेन को स्टेन गन के नाम से भी पुकारा जाने लगा है.

क्रिकेट में अक्सर बल्लेबाजों की खूब तारीफ होती है लेकिन गेंदबाजों को उतनी तव्वजो नहीं दी जाती. 70 और 80 के दशक में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की खूब चर्चा होती थी. यह वह दौर था जब वेस्टइंडीज की टीम में तेज गेंदबाजों की लम्बी फौज होती थी. माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, कोर्टनी जैसे गेंदबाज किसी टीम की बल्लेबाजी के लिए खौफ का सबब हुआ करते थे. उस जमाने में वेस्टइंडीज क्रिकेट की तूती बोलती थी. ऐसा नहीं है कि उस दौर में वेस्टइंडीज के पास बल्लेबाज नहीं थे लेकिन चर्चा केवल उनके तेज गेंदबाजों की हुआ करती थी. मैल्कम मार्शल का नाम सुनते ही दुनिया के कई धाकड़ बल्लेबाज सहम जाते थे. 81 टेस्ट खेलने वाले मैल्कम मार्शल ने कुल 376 विकेट चटकाए. मैल्कम मार्शल की गेंदों में रफ्तार के साथ-साथ खतरनाक बाउंसर सबसे बड़ा हथियार हुआ करती थी. बाद के दौर में वेस्टइंडीज के पास कई और गेंदबाज सामने आए और विश्व क्रिकेट पर अपनी गेंदबाजी को लेकर सुर्खिया बटोरीं. उनमें वॉल्श और कर्टली एम्ब्रोस का नाम सबसे प्रमुख है. हालांकि इसके बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट जूझता हुआ नजर आया. जिस गेंदबाजी के सहारे वेस्टइंडीज ने विश्व क्रिकेट पर बरसों राज किया, वहां अब आला दर्जे के तेज गेंदबाजों का अकाल देखा जा सकता है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के पास भी कई तेज गेंदबाज मौजूद थे. उनमें सबसे खतरनाक मर्व ह्यूजेस का नाम शामिल है. मैरगा का नाम भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सम्मान के साथ लिया जाता है. उनकी सटीक लाइन लेंथ और दोनों ओर स्विंग कराने की गजब की क्षमता थी. अभी कुछ साल पहले क्रिकेट के भगवान सचिन से उनकी टक्कर देखते ही बनती थी. भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो अतीत में खासकर भारतीय टीम में तेज गेंदबाजों की भारी कमी देखी जा सकती थी लेकिन पाकिस्तान अकेली टीम थी जिसके पास तेज गेंदबाजों की लम्बी कतार हुआ करती थी. पाकिस्तान को तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री भी कहा जाता था. एक से एक बड़े नाम हुआ करते थे. 70 के दशक में सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग की खूब तारीफ होती थी. उसके बाद इमरान और अकरम की जोड़ी ने दुनिया के कई बल्लेबाजों के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी. बाद में यह कारवां वकार यूनुस तक पहुंचा. हाल में भी कई तेज गेंदबाज पाक गेंदबाजी की धरोहर आगे बढ़ा रहे हैं. बात अगर भारतीय टीम की जाए तो केवल कपिल देव ने भारतीय गेंदबाजी को अपने मजबूत कंधों पर उठाया था. उन्होंने अपने दौर के हैडली के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था. कपिल की गेंदों में भले ही रफ्तार न हो लेकिन गेंदों को स्विंग कराने में वे माहिर माने जाते थे. यह बात सत्य है कि भारत में कोई ऐसा तेज गेंदबाज पैदा नहीं हुआ जो केवल अपनी रफ्तार के नाम जाना जाता हो. दरअसल भारतीय गेंदबाजी में हमेशा स्पिनरों का बोलबाला हुआ करता है.

मौजूदा समय में विश्व क्रिकेट में गेंदबाजी में डेल स्टेन सबसे अव्वल माने जाएंगे. उनकी गेंदों में रफ्तार भी है, खतरनाक स्विंग के साथ वॉर्कर भी है. विश्व क्रिकेट में उनकी गेंदों की रफ्तार करीब 145 केपीएच से ज्यादा होती है. हालांकि रफ्तार पाने के चक्कर में वह चोटिल भी हो चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका के सबसे तेज गेंद डालने वाले डेल स्टेन ने हाल ही में चोट के बाद शानदार वापसी की. न्यूजीलैंड के खिलाफ इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला. उन्होंने दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की जीत में खास योगदान देते हुए आठ विकेट चटकाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम डेल स्टेन की बदौलत टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है. उनकी सफलता का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जाता है कि उनके करियर के 70 प्रतिशत विकेट से दक्षिण अफ्रीका ने जीत का स्वाद चखा है. ऐसा नहीं है कि वह केवल तेज पिच पर खतरनाक होते हैं बल्कि वह भारत जैसी स्लो विकेट पर भी कहर बनकर टूटते हैं. उन्होंने यहां 90 विकेट चटकाए हैं. डेल स्टेन ने अपने करियर की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेलकर की थी. उस जमाने में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी की बागडोर मखाया एंटीनी के हाथों में हुआ करती थी. स्टेन के डेब्यू मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की हार जरूर हुई थी लेकिन स्टेन ने अपनी गेंदों से लोगों को प्रभावित किया. स्टेन की गेंदों में खासियत है विकेट के दोनों ओर स्विंग कराना. दक्षिण अफ्रीका तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड के संन्यास लेने के बाद एक अच्छे तेज गेंदबाज की खोज में लगा हुआ था, शायद डेल स्टेन ने इस कमी को दूर कर दिया. वह लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं. उन्होंने पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 2010 में 155.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डालकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी थी. इतना ही नहीं 2008-2014 के बीच शानदार गेंदबाजी की बदौलत वे नम्बर वन टेस्ट गेंदबाज रहे हैं. हाल ही में जारी आईसीसी रैंकिंग में डेल स्टेन ने आर अश्विन को पछाड़ कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया. डेल ने पांच बार टेस्ट क्रिकेट में दस विकेट चटकाए. उन्होंने यह कारनामा दो बार न्यूजीलैंड के खिलाफ जबकि भारत, पाकिस्तान व ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक-एक बार किया है. इसके आलावा 26 बार वह टेस्ट क्रिकेट में पांच विकेट चटका चुके हैं. इसके साथ डेल स्टेन ने सभी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीम के खिलाफ पांच विकेट अपनी झोली में डाला है. टेस्ट क्रिकेट में अकरम को पीछे छोड़ने वाले डेल स्टेन अब हरभजन सिंह के 417 विकेट के रिकॉर्ड को भी बेहद आसानी से पार कर सकते हैं. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में मुथाया मुरलीधरन ने 800 विकेट चटकाए जिसके पास तक पहुंचना किसी भी गेंदबाज के लिए सपना होगा. वन डे में भी स्टेन का प्रदर्शन ठीक रहा है. उन्होंने 112 वन डे मैचों में 175 विकेट चटकाए हैं. कुल मिलाकर डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका की टीम में सबसे बड़े मैच विनर के रूप में उभरे हैं.

तेज गेंदबाजों में भारत के पास अभी 150 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला गेंदबाज नहीं है. तेज गेंदबाजों की भारी कमी से जूझ रही भारतीय टीम में कई गेंदबाज आए और खराब फिटनेस के बाद करियर तबाह भी कर लिया. हालांकि कपिल देव अपनी सटीक लाइन लेंथ की वजह से सुर्खियों में खूब रहे. कपिल के बाद श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद ने अपनी स्विंग के जरिए खूब नाम कमाया. श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद का दौर थमने के बाद टीम इंडिया में जहीर, नेहरा और पठान की तिकड़ी भी दुनिया के कई बल्लेबाजों के लिए सिर दर्द बन गई थी. तीनों ही गेंदबाज हवा में स्विंग कराने के माहिर थे, लेकिन रफ्तार के मामले में थोड़ा कमजोर थे. बीच के दौर में मुनाफ पटेल का नाम उनकी गेंदबाजी की रफ्तार के लिए चर्चा में था, लेकिन मुनाफ की खराब फिटनेस ने उनके करियर को लंबित कर दिया. वहीं जहीर खान का जलवा भी खूब देखने को मिला. पठान चैपेल के प्रयोगों की भेंट चढ़ गए. दूसरी ओर इस दौर में आशीष नेहरा ने भी अपनी तेज गेंदबाजी का खूब लोहा मनवाया. करियर के शुरुआती दौर में उनकी गेंदबाजी में रफ्तार देखी जा सकती थी, लेकिन चोट और खराब फिटनेस ने उनके करियर को आगे बढ़ने में रोड़ा पैदा किया, हालांकि किसी तरह से वे दोबारा टीम इंडिया में वापसी करने में भी सफल रहे. मौजूदा दौर में भारतीय टीम में मध्यम तेज गेंदबाजों की भरमार है, लेकिन किसी की भी स्पीड में उतना दम नहीं दिखता है. हाल के दिनों में मोहम्मद शमी और उमेश यादव की गेंदों से थोड़ी उम्मीद जगती है. दरअसल भारतीय पिचें तेज गेंदबाजों के लिए माकूल नहीं होती हैं. इसके चलते भारत से तेज गेंदबाज नहीं निकलते हैं. विकेट काफी बेकार और धीमा होता है और स्पिनरों को पिच से अच्छी खासी मदद मिलती है. कुल मिलाकर अगर भारत को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला कोई खिलाड़ी मिल जाता है तो टीम इंडिया के लिए यह अच्छी बात होगी. भारतीय क्रिकेट बोर्ड को तेज विकेट बनाने की भी जरूरत है. ■

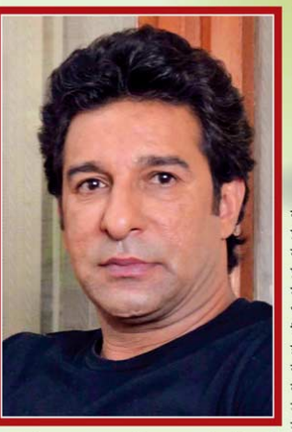

feedback@chauthiduniya.com

अक्की ने एक्टिंग और अपने एक्शन से लोगों को दीवाना बनाया

बॉलीवुड का असली राउडी अक्षय कुमार

पिछले 25 सालों से अक्षय सिल्वर स्क्रीन पर छाए हुए हैं. हर साल करीब 3 से 4 फिल्में आती हैं. कॉमेडी हो या देशभक्ति अक्षय हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ते हैं. जहां एक ओर अक्षय बेबी, हॉलीडे और रुस्तम जैसी देशभक्ति फिल्में करते हैं तो वहीं दूसरी ओर सिंह इज ब्लिंग और ब्रदर्स जैसी मसाला फिल्मों में भी नज़र आते हैं. अक्षय आज जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने में उनकी सालों की लगन और मेहनत है. चांदनी चौक की गलियों से बॉलीवुड की चमकती हुई दुनिया में अक्षय कैसे पहुंचे, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है.

प्रवीण कुमार

अक्षय कुमार ने हाल ही में आपना 49वां जन्मदिन मनाया. बॉलीवुड की लगभग तमाम हस्तियों ने अक्षय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उनका जन्म अमृतसर के एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में हुआ. शायद यह बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अक्षय का असली नाम राजीव हरी ओम भाटिया है. उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे. अक्षय बहुत कम उम्र से ही एक कलाकार के रूप में जाने गए. अक्षय ने जो आज मुकाम बॉलीवुड में बनाया है वह असान नहीं था. इस मुकाम को पाने के लिए अक्षय ने दिन-रात कड़ी मेहनत की है. वह जहां आज जिस मुकाम पर हैं इसके लिए वह अपने फैंस का हमेशा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. अक्षय के फैंस उनकी हर फिल्म का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. दर्शकों में अक्षय का क्रेज भी जबरदस्त है. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा कमाती हैं.

अक्षय ने बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म *सौगंध* से की, जो सराहा नहीं गया. उनकी पहली प्रमुख हिट फिल्म 1992 की थ्रिलर फिल्म *खिलाड़ी* थी. 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गईं. लेकिन 1994 का वर्ष अक्षय के लिए बेहतरीन वर्ष रहा जिसमें उनकी फिल्में *मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी* और *मोहरा* हिट साबित हुईं थी. अक्षय ने अपने फिल्मी करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखें है.

वर्ष 2007 अक्षय के लिए उनके करियर का इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सफल वर्ष रहा. उनकी पहली रिलीज़, *नमस्ते लंदन* आलोचनात्मक दृष्टि व कामर्शियल दृष्टि से सफल रही. उनकी दो अगली रिलीज़ फिल्में *हे बेबी* और *भूल भुलैया*, दोनों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुईं और आख़िरी रिलीज़ *वेलकम* ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और अक्षय पांच लगातार हिट फिल्म देने वाले हीरो बन गए. तब से लेकर अक्षय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड के इस सुपर स्टार ने आज जो शोहरत हासिल की है, वह काबिले तारीफ है.

खिलाड़ी की फैन फॉलोविंग पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है. वो अक्सर अपनी फिल्म और अपने काम के लिए चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन एक वक़्त ऐसा भी था जब खिलाड़ी अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स की वजह से चर्चा में बने रहते थे.

गोविंदा ने हीरो बनने के लिए किया प्रेरित

मुंबई में अक्षय मशहूर फोटोग्राफर जयेश के पास गए और उनको अपना असिटेंट बनाने के लिए कहा. अक्षय जयेश की मदद के लिए लाइट उठाने तक का काम करने लगे. काम के दौरान वो गोविंदा की कुछ फोटोज उन्हें देने गए. उस वक्त गोविंदा ने अक्षय को देखकर कहा कि तू हीरो क्यों नहीं बनता, ये सुनकर अक्षय के दिल में ये बात घर कर गई कि वो भी हीरो बन सकते हैं. 1990 में उन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया, जिसके बाद उन्हें एक फिल्म *आज* का ऑफर मिला, जब फिल्म रिलीज़ हुई तो पता चला कि उनका रोल सिर्फ 7 सेकेंड का था. इस फिल्म के हीरो का नाम था अक्षय. उसी वक्त राजीव भाटिया यानी अक्षय ने अपना बदलकर उस फिल्म के हीरो के नाम पर अक्षय रख लिया, तो इस तरह से वह राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बन गए.■

वो जिस एक्ट्रेस के साथ भी फिल्म में काम करते उसके साथ उनका नाम जुड़ जाता. कई हसीनाओं ने तो ये भी दावा किया की अक्षय ने उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन शादी नहीं की थी. ट्विंकल खन्ना से शादी के पहले अक्षय को लोग प्ले बॉय भी कहा करते थे. कई हसीनाओं को डेट करने के बाद खिलाड़ी अक्षय का दिल आ बैठा रवीना टंडन पर. दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे और रिश्ते को आगे भी ले जाना चाहते थे लेकिन दोनों की प्रेम कहानी कड़वी तब हुई जब दोनों के बीच एक्ट्रेस रेखा आ गईं. बात उस समय की है जब अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन एक साथ फिल्म *खिलाड़ियों के खिलाड़ी* में काम कर रहें थे.

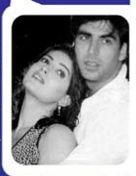

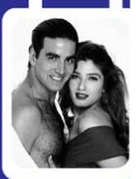

कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय और रेखा एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे. उस वक्त रवीना टंडन अक्षय की ज़िन्दगी में थीं, लेकिन इसके बावजूद अक्षय खुद को रेखा के करीब जाने से रोक नहीं पाए. रवीना टंडन, रेखा की हरकतों से परेशान थीं और उन्होंने उन्हें अक्षय से दूर रहने के लिए कहा था.

एक वक़्त ऐसा भी आ गया था जब रेखा अपने घर से अक्षय के लिए खाना बना कर लाती थीं. उसी वक्त रवीना ने ये सब रोकने की ठानी. अक्षय कुमार का अफेयर रवीना टंडन के अलावा कई अभिनेत्रियों के साथ रहा है, जिनमें पूजा बत्रा, शिल्पा शेट्टी, आयशा जुल्का और प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्री शामिल थीं. कहा जाता है कि अक्षय अपनी हर गर्लफ्रेंड को सिद्धि विनायक मंदिर जरूर ले जाते थे. बीते जमाने के सुपर स्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से दो बार सगाई होने के बाद अंत में उन्होंने 2001 में शादी कर ली. अक्षय के दो बच्चे (बेटी नीतारा और बेटा अरव कुमार) हैं.

वैसे, अक्षय कुमार इन दिनों अपने काम से काफी खुश होंगे, क्योंकि इस साल उनकी 3 फिल्में आईं और सुपरहिट रहीं. हालिया फिल्म *रुस्तम* को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी हो गई.

अक्षय कुमार की आई तीनों फिल्में *हाउसफुल-3*, *एयरलिफ्ट* और *रुस्तम* ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. फिलहाल अक्षय फिल्म *जॉली एलएलबी-2* की शूटिंग में व्यस्त हैं. यह फिल्म फरवरी 2017 में रिलीज़ होगी. लगभग अक्षय की यह फिल्म भी सुपरहिट होगी. जिस गति से अक्षय हिट पर हिट फिल्में दिए जा रहे हैं, इससे लगता है कि अक्षय को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बैंकॉक में किया वेटर का काम

अक्षय ने खाना बनाने से लेकर कार्ड बेचने तक का काम किया. अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने कई छोटे काम भी किए. बैंकॉक से काम की तलाश में अक्षय को बांग्लादेश भी जाना पड़ा, वहां से कोलकाता जाकर अक्षय ने एक ट्रेवेल एजेंसी में भी काम किया. कोलकाता से अक्षय मुंबई पहुंचे जहां वो कुंदन के गहने बेचने लगे.■

जैकलीन तय करना चाहती हैं बॉलीवुड में लंबा सफ़र

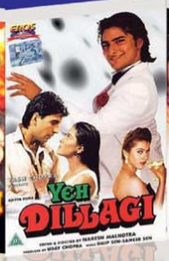

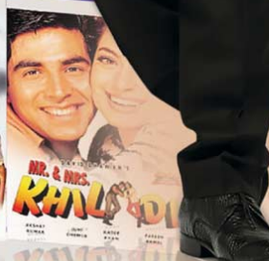

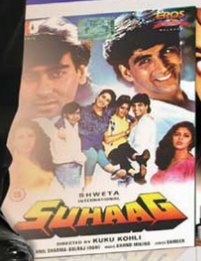

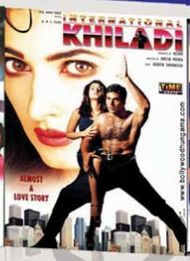

जानी-मानी अभिनेत्री और पूर्व मिस श्रीलंका जैकलीन फर्नांडीस बॉलीवुड में लंबा सफ़र तय करना चाहती हैं. जैकलीन ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2009 में प्रदर्शित फिल्म *अलादीन* से की थी. जैकलीन की हाल ही में फिल्म *अ फ्लाइंग जट* प्रदर्शित हुई है जो दर्शकों के बीच ख़ास प्रभाव नहीं छोड़ सकी. इससे पूर्व जैकलीन की इस वर्ष *हाउसफुल 3* और *ढिशूम* ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया.

जैकलीन इस बात से सहमत नहीं हैं कि उन्होंने बॉलीवुड में अपना मुकाम बना लिया है. उनका कहना है कि उन्हें हिन्दी फिल्म उद्योग में विशेष सफलता हासिल करने के लिए अभी लंबा सफ़र तय करना है.

अपने देश जाकर वहां के लोगों की मदद करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने श्रीलंका में थोड़ा काम किया है. मैंने श्रीलंका की फिल्मों में काम किया है और मिस श्रीलंका सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए ख़ासतौर से मार्गदर्शक और निर्णायक के रूप में काम किया है.

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि फिलहाल लोगों के लिए कुछ करने से पहले खुद को स्थापित कर लूं. मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है.■

...सिर्फ 3 लोगों को पता है

कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?

बाहुबली: *द बिगनिंग* एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी. इसके फैंस इस सीरिज की अगली फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं. फिल्म बाहुबली ने अपने पीछे एक सवाल छोड़ दिया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?

इस सवाल का जवाब सिर्फ तीन लोगों को पता है. ये तीन लोग हैं फिल्म के निर्देशक एस.एस. राजामौली, प्रभास और फिल्म का कहानीकार. फिल्म का क्लाइमैक्स सीन देखने के बाद दर्शक इस सवाल से जूझ रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? आख़िरकार इस सवाल का जवाब शूट कर लिया गया है. लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, को फिल्मा लिया गया है. फिल्म की टीम ने जानबूझकर इस सीक्रेट को कुछ ही लोगों की जानकारी तक सीमित रखा जिससे यह कारण लीक न होने पाए. इसी वजह से इस हिस्से की शूटिंग भी इस तरह से की गई कि सिर्फ 3 लोगों को ही इसकी जानकारी है. अगली बाहुबली फिल्म का पोस्टर फिल्म के हीरो प्रभास के जन्मदिन 23 अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया जएगा. दूसरी फिल्म *बाहुबली : द कंक्लूजन* 2017 में रिलीज़ होगी. यह अब तक की सबसे अधिक इंतज़ार की जा रही फिल्म मानी जा रही है.■

ऋतिक बनेंगे फाइटर

बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद माचो मैन ऋतिक रोशन को लेकर फिर से फिल्म बना सकते हैं. सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन को लेकर फिल्म *बैंग-बैंग* बनाई थी. *बैंग-बैंग* टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई थी. बैंग-बैंग के दौरान ही सिद्धार्थ ने ऋतिक को फिल्म *फाइटर* की कहानी सुनाई थी जो ऋतिक को पसंद आई. सिद्धार्थ ने स्क्रीनप्ले लिख लिया है और वे फिल्म को जल्दी शुरू करना चाहते हैं. ऋतिक इसमें एअरफोर्स पायलट के रूप में नज़र आएंगे. फिल्म के लिए निर्माता की तलाश की जा रही है. यह फिल्म टॉम क्रूज अभिनीत हॉलीवुड की फिल्म *टॉप गन* से प्रेरित बताई जा रही है.

ऋतिक रोशन हाल ही में प्रदर्शित फिल्म *मोहनजोदाड़ो* की असफलता को भूलने की कोशिश में लगे हुए हैं. ऋतिक अब अपनी नई फिल्मों पर ध्यान देना चाहते हैं. इस समय वह फिल्म *काबिल* में व्यस्त हैं और अब जल्दी ही फिल्म साइन करने के मूड में हैं. राकेश रोशन उनको लेकर *कृष-4* अगले वर्ष के अंत तक शुरू करेंगे.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

ऋतिक रौशन हाल ही में प्रदर्शित फिल्म मोहनजोदाड़ो की असफलता को भूलने में कोशिश में लगे हुये हैं.